राष्ट्रीय आय लेखा पद्धति

(भारत के विशेष संदर्भ में)

कक्षा XII के लिए अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक

के० एस० रेड्डी

ए० पी० गोयल

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्राक्कथन

प्रस्तुत पुस्तक 12 वीं कक्षा के लिए सर्वप्रथम सन् 1978 में प्रकाशित 'राष्ट्रीय लेखा पद्धति' नामक पुस्तक का परिमार्जित संस्करण है। सन् 1978 से पुस्तक के अनेक संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं। हमने विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों से अनेक उपयोगी सुझाव प्राप्त किए हैं।

जनवरी 1984 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 10+2 स्कूल शिक्षा प्रणाली आरम्भ करते समय बनाई गई सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्याओं की समीक्षा करने के लिए एक संगोष्ठी आयोजित की थी। इस कोर्स की पाठ्यचर्या को सुधारने के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए, और संशोधित पाठ्यचर्या पर आधारित वर्तमान पुस्तक 'राष्ट्रीय आय लेखा पद्धति' प्रकाशित की गई है। पुस्तक को प्रकाशित करने से पहले इस पुस्तक की पांडुलिपि की विवेचना एक समीक्षा-संगोष्ठी में की गई जिसमें प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों, शिक्षकों, पाठ्यक्रमों के निर्माताओं, परीक्षा बोर्डों के प्रतिनिधियों व विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों आदि ने भाग लिया था। पुस्तक को आद्योपान्त परिमार्जित करके अनेक सुझावों को समावेश करने के पश्चात् इसे दोबारा लिखने के लिए हम श्री के. एस. रेड्डी व श्री ए. पी. गोयल के आभारी हैं। इस पुस्तक को बहुत ही सीमित समय में हिन्दी में रूपान्तरित करने के लिए हम श्री आर. एन. पाठक, स्नातकोत्तर शिक्षक (अर्थशास्त्र) को भी धन्यवाद देते हैं।

पाठ्यपुस्तक के निर्माण में अनेक प्रक्रियाएँ जैसे कुशल व दक्ष योजना का निर्माण करना, उसका निरीक्षण करना, समीक्षा, सम्पादन व अन्त में उसका प्रकाशन करवाना आदि शामिल हैं। इस समस्त कार्य के लिए मैं अपने सहयोगी, परिषद् के सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग में अर्थशास्त्र के रीडर श्री रमेश चन्द्र को धन्यवाद देता हूँ, जिनके अथक परिश्रम व लगन के बिना इस पुस्तक को परिमार्जित रूप में इतने सीमित समय में प्रकाशित करना सम्भव नहीं था।

पाठ्यपुस्तक लेखन की कोई अन्तिम परिधि नहीं है, इसलिए हम हर क्षेत्र से उपयोगी सुझावों का, जिनसे इस पुस्तक में सुधार किया जा सके, स्वागत करेंगे।

पी. एल. मल्होत्रा
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्

नई दिल्ली
15 मई 1986

प्रस्तावना

यू. एन. प्रकाशन 'ए सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउन्टस् (एस.एन.ए.); स्टडीज़ इन मेथड्स, सीरीज एफ एन 2 रिवाइज्ड 3 (1968)' (A System of National Accounts (SNA): Studies in Methods, Series F. N. 2 Rev. 3 (1968) में दी गई विधि का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO), योजना मंत्रालय ने 1980 में अपनी पुस्तक 'नेशनल अकाउन्टस् स्टॅटिसटिकस सोर्सेस एण्ड मेथड्स' (National Accounts Statistics Sources & Methods) प्रकाशित की। सी. एस. ओ. प्रकाशन भारत में समष्टिगत आर्थिक समुच्चयों को मापने में अपनाई गई विधि को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी विभाग प्रतिवर्ष यू. एन. इयर बुक ऑफ नेशनल अकाउंट्स स्टॅटिस्टिक्स (U.N. Year Book of National Accounts Statistics) प्रकाशित करता है। इसमें राष्ट्रीय आय सांख्यिकी (National Income Statistics) में हुए हाल के विकास को दर्शाता है। इन प्रकाशन में दी गई अवधारणाओं, परिभाषाओं व व्याख्या का इस पुस्तक में प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों के लिए यह विधि बहुत सरल व अत्यंत उपयोगी है जब वे भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (National Accounts Statistics) संबंधित तालिकाओं का अर्थ व महत्व समझने का प्रयत्न करते हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने मेरी नई पुस्तक की समीक्षा के लिए 6 मई से 10 मई 1985 तक एक समीक्षा-संगोष्ठी आयोजित की थी। इस संगोष्ठी में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों, राजकीय विद्यालयों, केन्द्रीय विद्यालयों व पब्लिक स्कूलों के अर्थशास्त्र के शिक्षकों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एज्यूकेशन के पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों और दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने भाग लिया था। डा० जी. एस. भल्ला, अध्यक्ष, कृषि लागत व मूल्य आयोग, डा० के. एस. गिल. प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, श्री एस. बी. घटोरकर, ज्वाइंट डाइरेक्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बम्बई, प्रो० एस. एन. हाशिम, एस. एम. यूनिवर्सिटी, बड़ौदा, श्री एस. एन. कंसल, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली और श्री आर. पी. कत्याल, ओ. एस. डी. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, के सुझावों से मैं अत्यंत लाभान्वित हुआ हूँ। शिक्षकों व अन्य सदस्यों ने भी मुझे अनेक महत्वपूर्ण व उपयोगी सुझाव दिए जिससे इस पुस्तक को सरल व प्रभावपूर्ण बनाया जा सका है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में अर्थशास्त्र के रीडर, श्री रमेशचन्द्र के अथक परिश्रम व सराहनीय सहयोग से ही इस पुस्तक को दोबारा लिखने का कार्य संभव हो सका है। उन्होंने इस पुस्तक लेखन में विशेष रुचि ली और लेखक व विद्यार्थियों के मध्य एक सेतु का कार्य किया है। अनेक कार्यशालाओं व संगोष्ठियों में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का सहयोग प्राप्त करना, अर्थशास्त्र विषय को रुचिकर बनाने व उसके विकास में उनके समर्पण व लगन का प्रमाण है। मैं उन सभी विशेषज्ञों के सहयोग व सुझावों से अत्यंत लाभान्वित हुआ हूँ जिन्होंने इन संगोष्ठियों में भाग लिया। इस समस्त कार्य के लिए मैं श्री रमेशचन्द्र का अत्यंत ऋणी हूँ। उनके सहयोग, मार्ग निर्देशन व सहायता के बिना मैं इस पुस्तक-लेखन के कार्य को सम्पन्न करने की आशा भी नहीं कर सकता था। प्रोफेसर अनिल विद्यालंकार, अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का भी मैं अत्यत आभारी हूँ।

नई दिल्ली

11 मई 1986

के. एस. रेड्डी

विषय-सूची

अध्याय 1

राष्ट्रीय आय लेखे की मूल अवधारणाएँ

1.1. आज, विश्व के प्रत्येक देश का मूल उद्देश्य, आर्थिक संवृद्धि है। भारत में व्यापक निर्धनता व बेरोजगारी की आर्थिक समस्या को देखते हुए, इसका विशेष महत्त्व है। भारत में अधिकांश लोगों का निम्न जीवन-स्तर इन्हीं दो समस्याओं का परिणाम है। आर्थिक संवृद्धि की ऊँची दर लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करेगी। इसीलिए भारत ने नियोजित विकास की ओर साहसिक कदम उठाया और 1951 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरम्भ किया। अब तक हम छः पंचवर्षीय योजनाएँ कार्यान्वित कर चुके हैं और इस समय सातवीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं। इन सभी योजनाओं का सामान्य उद्देश्य लोगों के, विशेषतः निर्धन वर्ग के जीवन-स्तर में सुधार लाना है। आर्थिक संवृद्धि की ऊँची दर से ही इ- उद्देश्य की प्राप्ति की आशा की जा सकती थी। (आर्थिक संवृद्धि की दर एक समयावधि में राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की संवृद्धि से व्यक्त की जाती है) प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1950-51 की राष्ट्रीय आय को 1971-72 तक और प्रति व्यक्ति आय को 1977-78 तक दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया। जनसंख्या में वृद्धि के कारण, प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने के लिए राष्ट्रीय आय में दुगुनी से भी अधिक वृद्धि की आवश्यकता है, इसलिए अधिक समयावधि की भी आवश्यकता है।

1.2. उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय को आर्थिक संवृद्धि के मापदंड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसी देश के कुछ वर्षों के राष्ट्रीय आय के आँकड़े आर्थिक संवृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में उस देश की अर्थव्यवस्था के निष्पादन को मापते हैं। नीति-निर्धारकों व योजनाएँ बनाने वालों को इससे जानकारी प्राप्त होगी कि क्या वे आर्थिक संवृद्धि के अपने प्रयत्नों में सफल हैं। यदि हाँ, तो किस सीमा तक। इस प्रकार राष्ट्रीय आय किसी देश की आर्थिक संवृद्धि का मापदंड अथवा सूचक है।

प्रचलित व स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय

1.3. राष्ट्रीय आय किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। राष्ट्रीय आय विभिन्न रूप व आकार की वस्तुओं व विभिन्न प्रकार की सेवाओं का संग्रह है। हर वर्ष लाखों वस्तुएँ विभिन्न रूप व आकार में उत्पादित की जाती हैं और इनमें से प्रत्येक वस्तु अलग-अलग इकाइयों में मापी जाती है उदाहरणतया, कपड़ा मीटर में, दूध लीटर में, और अनाज किलोग्राम में मापा जाता है। इसके साथ ही विभिन्न व्यक्तियों, जैसे डॉक्टरों, इंजीनियरों, गायकों, नर्तकों, संगीतज्ञों व वकीलों

की सेवाएँ भी मापी जाती हैं। इस कारण राष्ट्रीय आय को इतने लाख मीटर कपड़े व इतने लाख लीटर दूध आदि में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और न ही इन विभिन्न माप दंडों को आपस में जोड़ा जा सकता है। इसलिए इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि इन्हें एक जैसे मापदंड में परिणित किया जाए। यह एक जैसा मापदंड "मुद्रा" है।

सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा में मापा जाता है। उदाहरणार्थ, यदि एक मीटर कपड़े का मूल्य 20 रु० है और कुल उत्पादित कपड़ा 100 मीटर है, तब कपड़े का मौद्रिक मूल्य 2000 रु० है। मूल्य कुछ और नहीं बल्कि किसी वस्तु अथवा सेवा की बाज़ार कीमत है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं और सेवाओं का और एक वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार हमें एक देश में वर्ष भर के दौरान कुल उत्पादित अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं का एक ही मापदंड (मुद्रा) में मूल्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए राष्ट्रीय आय एक देश द्वारा एक लेखा वर्ष (Accounting Year) में उत्पादित सभी अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं का एक ही मापदंड (मुद्रा) में मूल्य है। भारत में लेखा वर्ष, एक कलेन्डर वर्ष के 1 अप्रैल से अगले कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक होता है, जैसे 1.4.1984 से 31.3.1985 तक एक लेखा वर्ष है।

1.4. एक अर्थव्यवस्था की संवृद्धि को जानने के लिए हमें देश की राष्ट्रीय आय के कई वर्षों के आँकड़ों को देखना होगा। एक वर्ष की राष्ट्रीय आय की तुलना दूसरे वर्ष की राष्ट्रीय आय से करने पर ही हम जान सकेंगे कि संवृद्धि हुई अथवा नहीं। यह इतना सरल भी नहीं है। प्रत्येक वर्ष सभी उत्पादित अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष बाज़ार में प्रचलित कीमतों पर ही ज्ञात किया जाता है। यदि प्रत्येक वर्ष कीमतें समान रहती हैं और हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में निरन्तर वृद्धि है, तो इसका अर्थ है कि आर्थिक संवृद्धि हो रही है। इसके विपरीत, यदि हर वर्ष उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा तो एक समान रहती है और कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो राष्ट्रीय आय में इस प्रकार की वृद्धि आर्थिक संवृद्धि नहीं है। निम्न काल्पनिक उदाहरण से यह स्पष्ट किया जा सकता है:

(1) मान लीजिए हमारी इस काल्पनिक अर्थव्यवस्था में केवल तीन वस्तुएँ— गेहूँ, चावल और कपास उत्पादित की जाती हैं। प्रत्येक वस्तु की उत्पादित मात्रा और कीमत प्रत्येक वर्ष में निम्न प्रकार से हैं:

	वस्तु व उसकी मात्रा			कीमत		कुल मूल्य
1970-71	अ	गेहूँ	10 टन	200 रु	प्रति टन	2000 रु०
	ब	चावल	15 टन	300 रु	,,	4500 रु०
	स	कपास	5 टन	400 रु	,,	2000 रु०
						8500 रु०
1975-76	अ	गेहूँ	20 टन	200 रु	,,	4000 रु०
	ब	चावल	15 टन	300 रु	,,	4500 रु०
	स	कपास	10 टन	400 रु	,,	4000 रु०
						12,500 रु०
1980-81	अ	गेहूँ	20 टन	400 रु	,,	8000 रु०
	ब	चावल	15 टन	500 रु	,,	7500 रु०
	स	कपास	10 टन	500 रु	,,	5000 रु०
						20,500 रु०
1984-85	अ	गेहूँ	20 टन	500 रु	,,	10,000 रु०
	ब	चावल	20 टन	600 रु	,,	12,000 रु०
	स	कपास	12 टन	700 रु	,,	8400 रु०
						30,400 रु०

1970-71 व 1975-76 के बीच वस्तुओं का मूल्य 47% से बढ़ गया। ऐसा उत्पादन में वृद्धि के कारण हुआ जबकि कीमतें एक समान रहीं। यह उत्पादन में वास्तविक वृद्धि अथवा राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि कहलाएगी। 1975-76 और 1980-81 के बीच वस्तुओं के मूल्य में 64% की वृद्धि हुई। तालिका से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि इस अवधि में वास्तविक उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। उत्पादन के मौद्रिक मूल्य में वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि कीमतें बढ़ गईं। अतः मौद्रिक राष्ट्रीय आय बढ़ गई लेकिन वास्तविक राष्ट्रीय आय नहीं। फिर 1980-81 व 1984-85 के मध्य, उत्पादन के कुल मूल्य में 48% से वृद्धि हुई। इस

अवधि में कीमतें फिर बढ़ गईं। यह ज्ञात करने के लिए कि वास्तविक उत्पादन बढ़ा या नहीं हमें 1984-85 वर्ष के उत्पादन को मापने के लिए 1970-71 वर्ष की कीमतों का प्रयोग करना होगा। यह निम्न प्रकार से किया जाएगा:

1984-85 वर्ष में उत्पादन	*1970-71 वर्ष की कीमतें*	*1970-71 वर्ष की कीमतों से कुल मूल्य*
अ गेहूँ 20 टन	200 रु प्रति टन	4000 रु०
ब चावल 20 टन	300 रु ,,	6000 रु०
स कपास 12 टन	400 रु ,,	4800 रु०
		14,800 रु०

1970-71 वर्ष की कीमतों से 1984-85 वर्ष में उत्पादन का मूल्य केवल 18.4% से बढ़ा। राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि केवल 18.4% की हुई। अत: आगामी वर्षों में उत्पादित अन्तिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यांकन में 1970-71 वर्ष की कीमतों का प्रयोग ही हमें राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि को बताता है। अत: आर्थिक संवृद्धि, राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि से सम्बन्धित है।

1.5. उपरोक्त उदाहरण में 1970-71 वर्ष की कीमतों को आधार वर्ष की कीमतें कहा जाता है और इन कीमतों पर वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य, स्थिर कीमतों (Constant Prices) पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यदि वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य वर्तमान कीमतों पर अर्थात् उसी वर्ष की प्रचलित कीमतों पर निकाला जाए तो हमें राष्ट्रीय आय प्रचलित कीमतों (Current Prices) पर प्राप्त होगी। प्रत्येक देश में राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित कीमतों (Current Prices) व स्थिर कीमतों (Constant Prices) पर की जाती है। भारत में इस समय आधार वर्ष 1970-71 है और राष्ट्रीय आय की गणना दोनों कीमतों अर्थात् स्थिर कीमतों (1970-71 वर्ष की कीमतें) और वर्तमान कीमतों पर निकाली जाती है। हाल के वर्षों में भारत व अन्य देशों में कीमतें बढ़ती रही हैं। अत: वर्तमान कीमतों (Current Prices) पर राष्ट्रीय आय के आँकड़े अर्थव्यवस्था की वास्तविक संवृद्धि को नहीं दर्शाते हैं।

प्रति व्यक्ति आय

1.6. कभी-कभी, राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि अर्थात स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय लोगों के जीवन-स्तर में सुधार नहीं दिखा सकती है। मान लीजिए एक देश में वास्तविक राष्ट्रीय आय 2% वार्षिक दर से बढ़ रही है तथा जनसंख्या भी इस दर मे बढ़ रही है। इसका अर्थ है कि प्रति व्यक्ति वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धि एक समान रहती है। दूसरे शब्दों में जीवन-स्तर में कोई भी सुधार नहीं होगा। आर्थिक संवृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि से अधिक तेजी से हो। दूसरे शब्दों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (प्रति व्यक्ति आय) में वृद्धि निरन्तर कई वर्षों तक होनी चाहिए। प्रति व्यक्ति आय में उत्साहजनक वृद्धि लोगों के जीवन-स्तर में तीव्र सुधार लाती है।

$$\text{प्रति व्यक्ति आय} = \frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{जनसंख्या}}$$

वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास में वृद्धि का बेहतर सूचक है। प्रति व्यक्ति आय स्थिर व प्रचलित दोनों कीमतों पर अनुमानित होती है। भारत में 1950-51 से ही प्रति व्यक्ति आय के आँकड़े स्थिर व प्रचलित दोनों कीमतों पर उपलब्ध हैं।

सकल घरेलू उत्पाद

1.7. सकल घरेलू उत्पाद की संकल्पना (धारणा) राष्ट्रीय आय की संकल्पना से बिल्कुल भिन्न है। सकल घरेलू उत्पाद एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अन्दर एक लेखा वर्ष में उत्पादित अन्तिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। भारत में, राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में अन्तर महत्त्वहीन है। अत: व्यावहारिक दृष्टि से दोनों एक समान ही माने जाते हैं इसलिए अनेक वर्षों में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में धारित (Sustained) वृद्धि को ही उन वर्षों में आर्थिक संवृद्धि का मापदंड माना जाता है।

प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद = सकल घरेलू उत्पाद / जनसंख्या

भारत में 1950-51 से ही, सकल घरेलू उत्पाद के आँकड़े स्थिर व प्रचलित दोनों कीमतों पर उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय आय लेखा

1.8.प्रत्येक देश राष्ट्रीय आय के आँकड़ों (सांख्यिकी) का हिसाब रखता है। इन्हें राष्ट्रीय आय लेखा या राष्ट्रीय लेखा कहा जाता है। भारत में हम इन्हें राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (National Accounts Statistics) कहते हैं। राष्ट्रीय आय लेखा ऐसे वर्गबद्ध सांख्यकीय विवरणों का समूह है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों (जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन तथा संचार, व्यापार, बैंकिंग व सरकारी प्रशासन आदि) में कुल उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को दर्शाता है। यह उत्पादन साधनों (भूमि, श्रम, पूँजी व साहस) के बीच आय वितरण के ब्यौरे और अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं पर अन्तिम उपभोग व्यय के ब्यौरे भी प्रकट करता है। अन्त में ये लेखे सम्पूर्ण राष्ट्र के समेकित लेखों (Consolidated Accounts) को प्रकट करते हैं जो उसी प्रकार से तैयार होते हैं जैसे कि एक व्यापारी संगठन अपने लेखे तैयार करता है।

दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय लेखा एक व्यवसाय लेखा के समान ही तैयार होता है। वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य, साधन आय व अन्तिम उपयोग व्यय को मापने की विधियों की विवेचना अगले अध्यायों में की जाएगी।

राष्ट्रीय लेखा विधि

1.9 साधारणतया व्यवसाय लेखा पद्धति किसी फर्म के एक विशेष समयावधि में लाभ हानि को मापने का प्रयास है। इसी प्रकार राष्ट्रीय लेखा विधि एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के निष्पादन (Performance) को एक समयावधि में उसकी कुल आय तथा वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य द्वारा मापने का प्रयास है। राष्ट्रीय लेखा विधि, व्यवसाय लेखा पद्धति के नियमों व सिद्धांतों को राष्ट्रीय आय के परिकलन (हिसाब लगाने) में लागू करने का प्रयत्न करती है। व्यवसाय लेखा पद्धति दोहरी-प्रविष्टि सिद्धांत (Double Entry System) पर आधारित है। एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र को व सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए, व्यवसाय लेखा पद्धति के दोहरी प्रविष्टि सिद्धांतों को ही लागू किया जाता है। आजकल, राष्ट्रीय आय लेखा विधि का सम्बन्ध केवल वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन को मापने से ही नहीं है बल्कि अन्य तथ्य समूहों जैसे अर्थव्यवस्था में कुल अन्तिम उपभोग व्यय, पूँजी निर्माण, निर्यात, आयात आदि को मापने से भी है। इन अन्य तथ्य समूहों का वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है व बदले में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन का उपरोक्त सभी बातों पर प्रभाव पड़ता है।

एक देश की घरेलू सीमा

1.10. राष्ट्रीय आय लेखा में घरेलू सीमा का एक विशेष अर्थ व महत्त्व है। घरेलू सीमा की परिभाषा में निम्न बातों को सम्मिलित किया जाता है :

(1) देश की राजनैतिक सीमा (समुद्री सीमा सहित)

(2) देश के निवासियों द्वारा दो या दो से अधिक देशों के मध्य चलाए जाने वाले जलयान तथा वायुयान।

(3) मछली पकड़ने की नौकाएँ, तेल व प्राकृतिक गैस यान, व तैरते हुए प्लेटफार्म (Floating Platforms) जो अन्तर्राष्ट्रीय जल सीमाओं में अथवा देश के सर्वाधिकारी जल सीमाओं में दोहन कार्य (Exploitation) के लिए चलाए जाते हैं।

(4) एक देश के विदेशों में दूतावास, वाणिज्य-दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान।

1.11. उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि किसी देश की घरेलू सीमा उसकी राजनैतिक सीमा से कहीं अधिक बड़ी होती है।

एक देश के सामान्य निवासी (Normal Residents of a Country)

1.12. किसी देश के निवासी (Residents) या साधारण (सामान्य) निवासी (Normal Residents) शब्द उस देश के घरेलू उत्पाद को मापने में एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है। सर्वप्रथम हमें निवासी शब्द का अर्थ जानना है। निवासी से अर्थ उस व्यक्ति से हैं जो साधारणतया उस देश में रहता है और जिसकी आर्थिक रुचि उसी देश में केन्द्रित है। क्योंकि वह अपनी रुचि के देश में रहता है वह उस देश का निवासी कहलाता है। साधारण (सामान्य) निवासी के अन्तर्गत व्यक्ति व संस्थाएँ दोनों आते हैं। साधारण निवासी में एक देश के निवासी व उस देश में रहने वाले गैर-निवासी दोनों ही प्रकार के व्यक्ति शामिल हैं। जैसे, काफी संख्या में इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय उस देश (इंग्लैंड) के गैर-निवासी हैं। क्योंकि वे वहाँ अब भी भारतीय पासपोर्ट पर हैं व भारत की नागरिकता रखते हैं। फिर भी वे इंग्लैंड के सामान्य निवासी हैं क्योंकि वे वहाँ बस गये हैं और उनकी आर्थिक रुचि उसी देश (इंग्लैंड) में है।

1.13. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के निवासी (Residents) है न कि उस देश के जहाँ वे स्थापित हैं। इन संगठनों के कार्यालय भारत में भी स्थित हैं। फिर भी ये भारत के सामान्य (Normal) निवासी नहीं हैं, परन्तु इन कार्यालयों में कार्य करने वाले भारतीय भारत के सामान्य निवासी (Normal Residents) हैं।

1.14. निवासी गृहस्थ और व्यक्तियों में वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जो एक देश की घरेलू सीमा में रहते हैं। इसके निम्न अपवाद हैं:

(1) वे विदेशी सैलानी जो सैर-सपाटे, अवकाश बिताने, चिकित्सा, अध्ययन, कान्फ्रेंस अथवा खेल-कूद में शामिल होने के लिए आए हों।
(2) विदेशी जहाजों के कर्मचारी, विदेशी व्यावसायिक यात्री व मौसमी (seasonal) कर्मचारी अर्थात् अस्थायी कर्मचारी।
(3) विदेशी सरकारी अधिकारी, राजदूत व विदेशी सैनिक।
(4) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के वे कर्मचारी जो उस देश के निवासी नहीं है जहाँ उन संगठनों के कार्यालय स्थित हैं।
(5) वे विदेशी जो गैर-नागरिक संस्थानों के कर्मचारी हैं और जो केवल किसी देश में उस मशीनरी व सयंत्रों को स्थापित करने आए हैं जिन्हें उनके मालिकों से खरीदा गया है।

उपरोक्त चर्चित (1) से (5) वर्ग तक के व्यक्तियों को उस देश के निवासी माना जाता है जिसमें वे साधारणतया रहते हैं। दूसरे शब्दों में वे उस देश के निवासी माने जाते हैं जहाँ उनकी आर्थिक रुचि केन्द्रित हैं।*

सीमा कर्मचारी या वे व्यक्ति जो प्रतिदिन दो देश की सीमाओं के पार आते-जाते रहते हैं या कुछ कम परन्तु निर्यामित रूप से, किसी देश में काम करने लिए आते-जाते रहते हैं, उस देश के निवासी हैं जिसमें वे रहते हैं, बल्कि उस देश के नहीं जहाँ वे रोजगार में लगे हुए हैं।

स्टॉक (भंडार) व प्रवाह

1.15. स्टॉक व प्रवाह की युगल संकल्पना (धारणा) सरल है, परन्तु यदि इन दोनों को भली-भाँति न समझा जाए तो बहुत कठिनाई हो सकती है। दोनों में अन्तर यह है कि स्टॉक एक समय बिन्दु (Point of Time) या निश्चित समय पर मापा जाता है

जबकि प्रवाह वह मात्रा है जो एक समयावधि (Period of Time) में मापी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, स्टॉक का समयकाल (Time Dimension) नहीं होता है जब कि प्रवाह का समयकाल (Dimension) या अवधि होती है। जैसे, एक व्यक्ति की सम्पत्ति स्टॉक है क्योंकि यह एक निश्चित समय पर व्यक्ति के वस्तुओं का भंडार बताती है, परन्तु उसकी आय एक प्रवाह है जिसका सम्बन्ध एक समयकाल से है जैसे एक माह या एक वर्ष। उदाहरणार्थ 1 जून 1985 को X की सम्पत्ति 50,000 रु थी, लेकिन उसकी आय 3,000 रु प्रतिमास थी। स्टॉक व प्रवाह के कुछ उदाहरण निम्न हैं:

	स्टॉक	प्रवाह
अ.	दूरी	गति
ब.	एक टैंक में जल	नदी का जल
स.	मुद्रा का परिमाण (मात्रा)	मुद्रा का व्यय
द.	पूँजी	पूँजी निर्माण
ड.	एक देश में मुद्रा की पूर्ति	देश की मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन

उपरोक्त को निम्न उदाहरण से सरलता से समझा जा सकता है।

1.16. दो दौड़ती हुई कारों के बीच की दूरी स्टॉक है लेकिन एक कार की गति प्रवाह है। 1 मई 1985 को एक टैंक में 50,000 लाख लीटर पानी स्टॉक है, लेकिन एक नदी में जल का प्रवाह 100 क्यूबेक प्रति मिनट है। 1 अप्रैल 1985 को X के पास 5000 रु० की राशि थी, और उसका व्यय 200 रु० प्रतिदिन था। इसी प्रकार, 31 मार्च 1985 को एक फर्म का पूँजी स्टॉक 20,000 रु० था, लेकिन उसका पूँजी निर्माण 1000 रु० प्रति वर्ष। 31 मार्च 1983 को भारत में मुद्रा-पूर्ति 28,175 करोड़ रुपये थी लेकिन अप्रैल 1983 में मुद्रा में परिवर्तन 756 करोड़ रुपये थी।

1.17. विशेष बात ध्यान देने की यह है कि सभी स्टॉक जिसका प्रतिरूप (Counterpart) प्रवाह है, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, प्रवाह से प्रभावित होते हैं। एक टैंक में दो समयबिन्दु (Point of Time) के बीच पानी का स्टॉक बढ़ जाता है यदि नदी का जल उसमें प्रवाहित किया जाए। इसी प्रकार व्यक्ति का व्यय उसके पास मुद्रा के स्टॉक को कम कर देता है। एक देश का पूँजी स्टॉक दो वर्षों के बीच बढ़ जाता है, कारण देश में पूँजी निर्माण है। एक देश में प्रतिमाह मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से, मुद्रा पूर्ति बढ़ जाती है। एक संख्यात्मक उदाहरण से यह और भी स्पष्ट हो जाता है :

हम मान लें कि 1 मार्च 1985 को टैंक में 100 मिलियन लिटर पानी था और समीप की नदी से उसमें एक मिलियन प्रति मिनट की दर से पानी का प्रवाह हो रहा था। 30 मार्च 1985 को हम पाते हैं कि टैंक में पानी का स्टॉक 130 मिलियन लिटर हो जाता है। माह के दौरान पानी का स्टॉक 30 मिलियन लिटर से बढ़ गया है, ऐसा पानी के प्रवाह के कारण हुआ। इसी प्रकार का सम्बन्ध दूसरे स्टॉक व प्रवाहों में है।

1.18 राष्ट्रीय लेखा पद्धति अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रवाहों जैसे, राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद,

*टिप्पणी : संयुक्त राष्ट्र संघ की राष्ट्रीय आय लेखा विधि स्पष्ट रूप से बताती है कि उपरोक्त विवरण में क्रम संख्या (1), (2), (4) और (5) पर निर्दिष्ट (बताए गए) व्यक्ति विदेशी माने जाएंगे यदि वे किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष से कम अवधि तक ठहरते हैं। इससे स्वयंमेव स्पष्ट है कि यदि वे उस देश में एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए रहते हैं तो वे उस देश के सामान्य निवासी माने जाएंगे। आमतौर पर क्रम संख्या (1) व (2) में बताए गए व्यक्ति अपने-अपने देश में एक वर्ष से कम अवधि में ही वापस चले जाते हैं। तथापि हम देखते हैं कि एक देश के व्यक्ति किसी अन्य देश में रोजगार के लिए जाते हैं और वहां एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए रहते हैं। ऐसी स्थिति में, वे उस देश के सामान्य निवासी माने जाएगें जहाँ उन्हें रोजगार मिला है या वहाँ वे रह रहे हैं। जैसे बहुत से भारतीय रोजगार के लिए अमरीका, इंग्लैड, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, पश्चिमी एशियाई देशों में जाते हैं। यदि उनका वहाँ निवास एक वर्ष से कम है तो वे भारत के सामान्य निवासी माने जाएँगे। किंतु यदि वे इन देशों में एक वर्ष या उससे अधिक रहते हैं तो वे जिस देश में रह रहे हैं उस देश के सामान्य निवासी माने जाएँगे।

क्योंकि वर्तमान पुस्तक राष्ट्रीय आय लेखा के प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए इस पाठ्यपुस्तक में दी गई अवधारणा (संकल्पना) प्रारम्भिक ज्ञान के लिए पर्याप्त है।

उपभोग व्यय, पूँजी निर्माण, बचत, निर्यात, आयात, ऋण देना व ऋण लेना आदि से विशेषतया सम्बन्धित है। यह इन प्रवाहों को मापती है और उन्हें सांख्यिकीय ब्यौरों तथा लेखों में प्रस्तुत करती है।

बन्द अर्थव्यवस्था (Closed Economy)

1.19. एक ऐसा देश जिसका अन्य देशों से कोई सम्बन्ध नहीं होता, बन्द अर्थव्यवस्था कहलाता है। इस देश के अतिरिक्त अन्य समस्त देश जो एक वर्ग समूह में रखे जाते हैं, "शेष-विश्व" (Rest of the World) कहलाते हैं। एक बन्द अर्थव्यवस्था बिल्कुल उस कमरे की तरह है जिसके दरवाजे व खिड़कियाँ, सब ओर से बन्द हों। न उसके अन्दर कुछ आ सकता है और न ही उससे बाहर जा सकता है। इसके अन्दर के व्यक्तियों की क्रियाओं का शेष-विश्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही शेष-विश्व का उन व्यक्तियों पर, जो अन्दर हैं।

1.20. बन्द अर्थव्यवस्था की संकल्पना हमें उत्पादन, उपभोग और पूँजी निर्माण के मूल अन्र्तसम्बन्ध को समझने में सहायता करती है। एक लेखा वर्ष के दौरान जो कुछ भी उत्पादन किया जाता है, उपभोग या पूँजी निर्माण अथवा दोनों के लिए उपलब्ध होता है। यदि बन्द अर्थव्यवस्था में उपभोग की मात्रा उपलब्ध उत्पादन मात्रा से अधिक होती है तो पूँजी निर्माण कम हो जाता है। इसके विपरीत स्थिति में पूँजी निर्माण अधिक होगा। यह सम्भव नहीं है कि एक वर्ष में अधिक उपभोग की मात्रा पर पूँजी निर्माण हो सके। इसलिए बन्द अर्थव्यवस्था की संकल्पना अन्तर्राष्ट्रीय विशेषीकरण और कुल विश्व के उत्पादन, उपभोग और पूँजी निर्माण में वृद्धि की सम्भावना को समाप्त करती है। समष्टिगत (Macro) अर्थशास्त्र में हम बन्द अर्थव्यवस्था की सरल मान्यताओं को बनाते हैं जिससे विभिन्न व्यापक (Macro) समूहों के मध्य सम्बन्ध को तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के मध्य सम्बन्ध को भी समझा जा सके।

खुली अर्थव्यवस्था (Open Economy)

1.21 समस्त आधुनिक अर्थव्यवस्थाएँ खुली अर्थव्यवस्था हैं। विश्व के प्रत्येक देश के शेष-विश्व से आर्थिक सम्बन्ध हैं। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध एक देश के उत्पादन, उपभोग व पूँजी निर्माण को प्रभावित करते हैं। भारत भी एक खुली अर्थव्यवस्था (Open Economy) है और विश्व के लगभग सभी देशों से इसके आर्थिक सम्बन्ध हैं। शेष-विश्व से आर्थिक सम्बन्ध निम्न प्रकार के होते हैं:

(1) विदेशियों को वस्तुओं व सेवाओं का बेचना (अर्थात निर्यात)।
(2) शेष-विश्व से वस्तुओं व सेवाओं का खरीदना (अर्थात आयात)।
(3) विदेशों में शेयर, बॉन्ड्स व ऋण-पत्रों को खरीदना (अर्थात विदेशी परिसम्पत्तियाँ प्राप्त करना)।
(4) विदेशों को शेयर, बॉन्ड्स व ऋण-पत्रों का बेचना (अर्थात विदेशों में देनदारियों (liabilities) लेना)।
(5) विदेशों से ऋण का लेन-देन (सरकार से सीधा ऋण का लेन-देन और अन्तर्राष्ट्रीय वितीय संस्थाओं जैसे विश्व-बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (I.M.F.) आदि से अप्रत्यक्ष लेन-देन)
(6) विदेशों से उपहार या प्रेषणों (remittances) की प्राप्ति व विदेशों को उपहार भेजना।
(7) एक देश के सामान्य निवासियों का अन्य देश में कार्य करने जाना तथा विदेशी निवासियों का उस देश की घरेलू सीमाओं में कार्य करने लिए आना।

हमारे घरेलू उत्पाद के एक भाग का विदेशियों द्वारा खरीदा जाना। इसका अर्थ है कि वे अपनी राष्ट्रीय आय का एक भाग अन्य देश के घरेलू उत्पाद पर व्यय करते हैं। वस्तुओं व सेवाओं के प्रकार, यदि विदेशी परिसम्पत्तियाँ विदेशी दायित्व (देनदारियों) से अधिक है और विदेशों को दिए जाने वाले ऋण उनसे लिए जाने वाले ऋण से अधिक है, तो एक देश को प्राप्त होने वाले ब्याज, लाभ व लाभांश उस देश द्वारा दिए जाने वाले इन भुगतानों से अधिक होंगे। इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय आय, घरेलू उत्पाद से अधिक है। यदि एक देश को प्राप्त होने वाले उपहार (प्रेषण) उससे अधिक है जो वह अन्य देशों को भेजता है तो वह अपनी राष्ट्रीय आय की अपेक्षा अधिक उपभोग और अधिक बचत करने में सक्षम होगा। अगले अध्यायों में हम इस पर और विवेचना करेंगे।

मूल आर्थिक क्रियाएँ

1.23. आर्थिक क्रियाएँ मूल रूप से उत्पादन, उपभोग और पूँजी निर्माण हैं। पूँजी निर्माण को पूँजी संचय या सम्पत्ति-स्टॉक में वृद्धि भी कहा जाता है। इन तीन प्रवाहों को विस्तार से समझना अनिवार्य है क्योंकि राष्ट्रीय आय लेखा इन्हीं के मापन से सम्बन्धित है। इन तीन क्रियाओं को चित्र 1.1 में दर्शाया गया है।
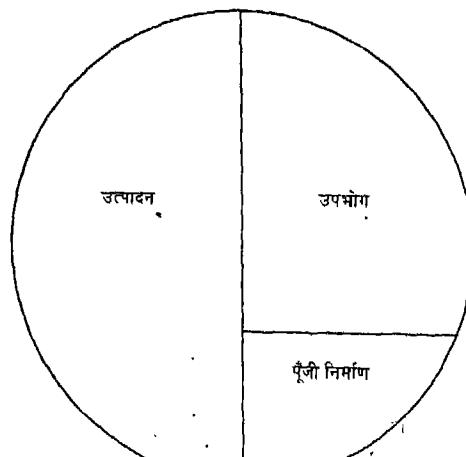
चित्र 1.1

उत्पादन

1.24. उत्पादन की सामान्य परिभाषा वस्तुओं व सेवाओं का जुटाना है। वस्तुएँ व सेवाएँ, जिन्स भी कहलाती हैं। उत्पादन के अन्तर्गत निम्न बातें आती है:

(1) वे सभी वस्तुएँ व सेवाएँ जिन्हें बाजार में लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है। दूसरे शब्दों में, वस्तुएँ बाजार में समस्त लागतों को पूरा करने के लिए बेची जाती हैं (समस्त लागतों में लाभ भी शामिल होता है क्योंकि लाभ एक लागत है)। उद्योग तथा स्व-नियोजित (Self-Employed) व्यक्ति जैसे डॉक्टर, दुकानदार, दर्जी, नाई आदि बाजार में बेचने के लिए वस्तुएँ (जिन्स) उत्पादित करते हैं।

(2) वे वस्तुएँ व सेवाएँ, जो बाज़ार में बेची नहीं जाती परन्तु जिनकी पूर्ति मुफ्त या साधारण कीमत पर की जाती है। सरकार की अनेक सेवाएँ जो देश के नागरिकों को उपलब्ध कराई जाती हैं जैसे—(1) सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक चिकित्सा, सड़कों पर रोशनी का प्रबन्ध, सड़कों का निर्माण व रख-रखाव, पार्कों की व्यवस्था व निःशुल्क जलपूर्ति इसके कुछ उदाहरण हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा धर्मार्थ अस्पताल, श्रम संघों, स्कूलों व कालेजों के रूप में दी गई सेवाएँ। हम इन्हें "अन्य वस्तुएँ व सेवाएँ" कहते हैं।

(3) उत्पादित वस्तुएँ जो बाज़ार तक नहीं पहुँच पाती इस कारण बेची नहीं जाती अर्थात अनबिकी वस्तुएँ।

(4) सरकार, व्यावसायिक उद्यमों व परिवारों द्वारा स्वयं की उत्पादित अचल परिसम्पत्तियाँ।

(5) खुद-काबिज मकानों का आरोपित

किराया (Imputed Rent)

1.25. उपरोक्त में तीसरा उदाहरण स्वयं के प्रयोग के लिए उत्पादन है। जैसे, भारत में कृषक अपने उत्पादन का एक भाग स्वयं के उपभोग के लिए रख लेते हैं। कुछ इस्पात मिलों की अपनी कोयला खानें होती हैं और वे उनमें से अपने प्रयोग के लिए कोयला निकालती हैं। यहाँ माल बाज़ार में प्रयोग के लिए नहीं आता। स्वयं के लिए उत्पादन को "स्वयं लेखा उत्पादन" (Own Account Production) कहते हैं।

सभी प्राथमिक या मौलिक वस्तुओं का उत्पादन जैसे कृषि उत्पाद, पशु धन, वनोत्पाद, मछली पकड़ना, खनन और उत्खनन व परिवारों द्वारा मौलिक वस्तुओं जैसे मकान, पनीर, आटा, तेल, कपड़ा व फर्नीचर आदि का उत्पादन, उत्पादन का ही अंग है।

1.26. उपरोक्त (4) श्रेणी में, सरकारों व ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा सड़कों का निर्माण, इमारतों का निर्माण व मशीनों तथा उपस्कर जैसी अचल परिसम्पत्तियों का निर्माण "स्वयं लेखा उत्पादन" (Own Account Production) से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत परिवारों द्वारा उत्पादित स्थावर सम्पदा जैसे आवास गृहों का निर्माण, कृषि औजार, पशुओं के शेड, फार्म व कुएँ आदि भी शामिल हैं।

1.27. श्रेणी (5) में खुद-काबिज मकानों द्वारा किराया मूल्य शामिल होता हैं। अगर मकान का स्वामी खुद मकान में नहीं रहता तो वह किरायेदार से, जो उसमें असल में रह रहा है, प्रति माह किराया प्राप्त करता है। स्वयं अपने मकान में स्वामी के रहने का अर्थ है कि वह मकान की सेवाएँ प्राप्त करने के बदले में खुद अपने आपको किराया देता है। क्योंकि वह वास्तविकता में किराये का भुगतान नहीं करता है। हम मकान की सेवाओं का आरोपित (Imputed) मूल्य निकालते हैं। खुद-काबिज मकानों का मूल्य इस आरोपित मूल्य के बराबर होता है।

1.28. अतः उत्पादन का अर्थ उस क्रिया से है जो वस्तुओं का उत्पादन करती है या पहले से ही उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करती है।

1.29. परन्तु एक गृहिणी (या परिवार के किसी अन्य सदस्य) द्वारा घरेलू सेवाएँ जैसे खाना पकाना, फर्श साफ करना, बच्चों का पालन-पोषण करना, कपड़े सीना आदि उत्पादन क्रिया से बाहर रखी जाती हैं। देखा जाए तो ये क्रियाएँ निश्चित ही आर्थिक हैं, इस दृष्टिकोण से कि उनके उत्पादन में सीमित साधनों का प्रयोग होता है और इनके मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि इनका बाजार में क्रय-विक्रय होता है। फिर भी, इनके अनुमान में सांख्यिकीय कठिनाई के कारण, राष्ट्रीय आय के सांख्यिकी-शास्त्रियों (Statisticians) ने इन्हें उत्पादन क्षेत्र सेवा कर रखा है। इसी प्रकार अवकाश के समय में अपने बगीचों में फल-सब्जियाँ उगाना, मकानों पर रंग करना, मकानों में बिजली व फर्नीचर आदि की मरम्मत करना आदि सम्बन्धित क्रियाएँ उत्पादन क्षेत्र से बाहर रखी जाती हैं।

उपभोग

1.30. दूसरी महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्रिया उपभोग है। वस्तुओं व सेवाओं का मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग, उपभोग कहलाता है। अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए परिवार बड़ी संख्या में वस्तुएँ जैसे साइकिल, फर्नीचर, टेलीविजन, कार, अनाज, तेल, साबुन, दूध, कपड़ा और सेवाएँ जैसे परिवहन, संचार, डॉक्टर, नाई, बैंक व बीमा कम्पनियों की सेवाएँ खरीदते हैं। सेवाओं के उत्पादन और उपभोग में कोई समय व्यवधान नहीं होता है। इनका उत्पादन व उपभोग साथ-साथ एक ही समय में होता है। जैसे डॉक्टर अपने मरीज को सेवाएँ प्रदान कर रहा होता है तभी उसकी सेवाओं का उपभोग मरीज द्वारा हो रहा होता है। तथापि, ऐसा कुछ टिकाऊ वस्तुओं जैसे फर्नीचर, साइकिल,

रेफ्रिजरेटर व कार आदि के सम्बन्ध में नहीं हैं। ये वस्तुएँ एक लम्बे अरसे तक सेवाएँ प्रदान करती हैं। परन्तु सेवाओं की तरह ही इनका उपभोग उसी समय मान लिया जाता है जिस समय ये खरीदी जाती हैं। केवल अपवाद, परिवारों द्वारा मकानो का क्रय है। मकान पूँजीगत वस्तुओं (Capital Goods) की तरह माने जाते हैं क्योंकि ये क्रय करने के बाद से कई वर्षों तक सेवाएँ प्रदान करते हैं।

1.31. कभी-कभी भौतिक पदार्थ कुछ अदृश्य कारणों जैसे दुर्घटना, आग, बाढ़, भूकम्प, युद्ध या हिंसक आन्दोलनों के कारण नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि इस प्रकार की प्रक्रिया में कोई उद्देश्य निहित नहीं है अतः इसे उपभोग नहीं माना जाता।

1.32. वस्तुओं का उत्पादन मूल्य उनके उत्पादन के समय पर आंका जाता है, सेवाओं का मूल्य उस समय आंका जाता है जब वे प्रदान की जाती है और व्यावसायिक सेवाओं का मूल्य उनके विक्रय के समय आंका जाता है। सरकार द्वारा उत्पादित मूल्य उस समय आंका जाता है जब सरकार उन सेवाओं के उत्पादन करते समय लागतें व्यय करती है। उपभोग मूल्य उस समय आंका जाता है जब वस्तुएँ उपभोग के लिए खरीदी जाती हैं। तथापि, स्वयं लेखा उत्पादन के उपभोग के बारे में कोई स्पष्ट धारणा नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई एक स्वरूप कार्य व्यवस्था नहीं है। तथापि प्रो० उमादत राय, और प्रो० मोनी मुखर्जी की मान्यता है कि इनका मूल्यांकन उनके उपभोग के समय करना अधिक उपयुक्त होगा।

पूँजी निर्माण

1.33. तीसरी महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्रिया प्रवाह पूँजी निर्माण है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था म एक लेखा वर्ष के दौरान कुल उत्पादन का उपभोग नहीं किया जाता। उत्पादन आमतौर पर उपभोग से अधिक होता है। एक लेखा वर्ष में उत्पादन का उपभोग पर अधिशेष पूँजी निर्माण कहलाता है। विकासशील देशों जैसे भारत के लिए, पूँजी निर्माण बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यही किसी अर्थव्यवस्था में विकास की दर निर्धारित करता है।

पूँजी निर्माण में व्यापक रूप से निम्न तत्व शामिल हैं:

(1) नई परिसम्पत्तियों जैसे इमारतों, सड़कों, पुलों व परिवहन उपस्कर का निर्माण।
(2) मशीनरी व उपस्कर का निर्माण।
(3) एक लेखा वर्ष में कच्चे माल, अर्ध-निर्मित वस्तुओं व निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि।

तीनों क्रियाओं (प्रवाहों मे अन्तर्सम्बन्ध)

1.34. उपरोक्त तीनों क्रियाएँ पारस्परिक एक-दूसरे पर निर्भर व सम्बन्धित हैं। उत्पादन, उपभोग व पूँजी निर्माण को निश्चित करता है। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन की मात्रा व किस्म में वृद्धि उपभोग व पूँजी निर्माण के स्तर को बढ़ा देती है। बदले में ये दोनों उत्पादन को बढ़ाते हैं। वस्तुओं के परिमाण व किस्म का ऊँचा उपभोग स्तर, श्रमिकों के जीवन-स्तर में सुधार लाता है, परिणामस्वरूप उनकी कार्य क्षमता व उत्पादकता में वृद्धि होती है। इससे उत्पादन का स्तर बढ़ जाता है। इसी प्रकार, पूँजी निर्माण सीधे ही उत्पादन में विकास दर को निश्चित करता है। इस प्रकार तीनों, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और अर्थव्यवस्था के विकास को बनाए रखते हैं।

अभ्यास 1.1

1. निम्न सूचना से कुल उत्पादन का प्रचलित व स्थिर कीमतों पर मूल्य ज्ञात करिए

	1970-71		1980-81		1984-85	
वस्तु	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
चाय	10 कि. ग्राम	50 रु० प्रति कि०	15 कि. ग्राम	50 रु० प्रति कि०	15 कि० ग्राम	70 रु० प्रति कि०
कॉफी	20 ,,	40 रु ,,	25 ,,	40 रु० ,,	25 ,,	80 रु० ,,

(संकेत: 1970-71 आधार वर्ष है)

2. निम्न आँकड़ों से प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करिए:

वर्ष	राष्ट्रीय आय	जनसंख्या
1950-51	1,60,000	400
1960-61	2,50,000	500
1970-71	3,60,000	600
1980-81	4,90,000	700

3. एक देश की घरेलू सीमा में आनेवाली तीन वस्तुओं को बताइए।
4. "एक देश के सामान्य निवासी" (Normal Residents) अवधारणा की परिभाषा दीजिए। क्या निम्न भारत के सामान्य निवासी हैं?
   (अ) भारत में विदेशी दूतावासों में कार्यरत भारतीय
   (ब) इंग्लैंड व अमरीका में स्थित भारतीय दूतावासों में कार्यरत विदेशी
   (स) भारत में स्थित विश्व बैंक के कार्यालय में कार्यरत विदेशी
   (द) भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यालय में कार्यरत भारतीय
   (इ) भारत स्थित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के कार्यालय में कार्यरत स्थानीय लोग
   (ई) नेपाल की सिचाई परियोजना में दैनिक वेतन पर नियुक्त भारतीय जो प्रति सप्ताह भारतीय सीमा को पार करते हैं
5. भारत में गैर-निवासियों (Non-Residents) के ऐसे तीन उदाहरण दीजिए जो भारत की घरेलू सीमाओं में रहते हैं। क्या निम्न भारत के निवासी हैं?
   (अ) भारत के डिफेन्स ट्रेनिंग कालेज में सैनिक प्रशिक्षण पाने वाले विदेशी छात्र
   (ब) भारत में अध्ययन कार्य के लिए आये हुए विदेशी खेल-कूद अधिकारी
   (स) विदेश में चिकित्सा के लिए गए भारतीय जो वहाँ दस माह तक ठहरते हैं।
   (द) भारत में कार्यरत विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ जो एक वर्ष से कम अवधि के लिए यहाँ कार्य करते हैं।
6. निम्न स्टॉक हैं या प्रवाह—
   (अ) बम्बई और हैदराबाद के बीच दूरी
   (ब) 1985 वर्ष में मकानों का निर्माण
   (स) 1.1.85 को दिल्ली में मकानों की संख्या
   (द) अब तक पाए गये भारत के खोजसंसाधन
   (ट) कोयले का उत्पादन
   (ठ) भारत की राष्ट्रीय पूँजी
   (ढ) एक टैंक में पानी
   (ध) भारत में पूँजी-निर्माण
   (च) एक टैंक में से रिसता हुआ पानी
   (छ) भारत का पशु धन
   (ज) समुद्र के गर्भ से तेल निकालना
   (फ) एक देश में रोजगार युक्त व्यक्तियों की संख्या
   (त) सेवा से निवृत्त कर्मचारियों की संख्या

7. 1.1.85 को एक टैंक में 2,00,000 लिटर पानी था। 30.1.85 को पानी-मापक यंत्र 2,60,000 लिटर पानी दर्शाता है। प्रतिदिन पानी का टैंक में औसत प्रवाह ज्ञात करिए।
8. सोवियत संघ एक बन्द अर्थव्यवस्था है अथवा खुली अर्थव्यवस्था? अपने उत्तर की पुष्टि में तीन कारण दीजिए।
9. भारत और शेष-विश्व में आर्थिक सम्बन्धों के चार उदाहरण दीजिए।
10. अर्थव्यवस्था की तीन प्रमुख आर्थिक क्रियाओं की व्याख्या करिए और उनके अन्तर्सम्बन्ध को चित्र द्वारा दिखाइए।
11. उत्पादन की परिभाषा दीजिए। वस्तुओं व सेवाओं के तीन-तीन उदाहरण दीजिए जो उत्पादन का अंग है।
12. उत्पादन क्षेत्र से बाहर रखी जाने वाली तीन मदों को बताइए।
13. उपभोग की परिभाषा बताइए और ऐसे तीन उदाहरण दीजिए जो उपभोग क्षेत्र मे बाहर रहती हैं।
14. यदि एक वर्ष में उत्पादन का उपभोग पर अधिशेष है तो यह कहा जाएगा? दो ऐसी वस्तुएँ भी बताइए। जो पूँजी निर्माण में आती हैं।
15. स्व-लेखा उत्पादन (Own Account Production) का अर्थ बताइए और इस श्रेणी में आने वाली तीन मदें बताइए।

अभ्यास 1.2

सही उत्तर पर निशान लगाइए:

1. आर्थिक विकास का सर्वग्राह्य मापदंड—
   (अ) राष्ट्रीय आय में वृद्धि है।
   (ब) सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है।
   (स) प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है।
   (द) राष्ट्रीय आय में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ है।
2. आर्थिक विकास का सही सूचक—
   (अ) स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है।
   (ब) स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि है।
   (स) स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है।
   (द) प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है।
3. स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि को –
   (अ) राष्ट्रीय आय में नाममात्र की वृद्धि कहते हैं।
   (ब) राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि कहते हैं।
   (स) प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक वृद्धि कहते हैं।
   (द) प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक अर्थ में वृद्धि कहते हैं।
4. भारत में राष्ट्रीय आय लेखा वर्ष—
   (अ) वित्तीय वर्ष है।
   (ब) कलैन्डर वर्ष है।
   (स) लीप वर्ष (Leap Year) है।
   (द) शक वर्ष (प्रत्येक चार वर्ष का अन्तराल) है।
5. केवल कीमतों में वृद्धि के कारण से राष्ट्रीय आय में वृद्धि को—
   (अ) वास्तविक अर्थ में राष्ट्रीय आय में वृद्धि कहते हैं।
   (ब) स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि कहते हैं।
   (स) मौद्रिक आय में वृद्धि कहते हैं।
   (द) आधार वर्ष की कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि कहते हैं।
6. भारत में राष्ट्रीय आय के आँकड़े –
   (अ) केवल स्थिर कीमतों पर उपलब्ध हैं।
   (ब) केवल प्रचलित कीमतों पर उपलब्ध हैं।
   (स) स्थिर व प्रचलित दोनों कीमतों पर उपलब्ध हैं।
   (द) केवल आधार वर्ष की कीमतों पर उपलब्ध हैं।

7. भारत में प्रति व्यक्ति आय के आँकड़े स्थिर कीमतों व प्रचलित कीमतों दोनों पर –
   (अ) 1970-71 से
   (ब) 1960-61 से
   (स) 1980-81 से
   (द) 1960-61 से उपलब्ध हैं।
8. जापान और सोवियत संघ के बीच भारतीय जहाजों का आना-जाना निम्न की घरेलू सीमा है–
   (अ) सोवियत संघ
   (ब) जापान
   (स) भारत
   (द) भारत, जापान व सोवियत संघ
9. एयर इण्डिया द्वारा इंग्लैंड व कनाडा के बीच चालित, यात्री वायुयान निम्न की घरेलू सीमा में हैं–
   (अ) भारत
   (ब) कनाडा
   (स) इंग्लैंड
   (द) भारत, कनाडा व इंग्लैंड
10. भारतीय मछेरों द्वारा मछली पकड़ने की नौकाओं को हिन्द महासागर के अन्तर्राष्ट्रीय जल-मार्ग में चलाना निम्न की घरेलू सीमा में है–
   (अ) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
   (ब) भारत
   (स) श्री लंका
   (द) भारत व श्री लंका
11. अमरीका में भारतीय दूतावास निम्न की घरेलू सीमा का अंग है–
   (अ) अमरीका
   (ब) भारत
   (स) अमरीका व भारत
   (द) दोनों में से किसी भी देश की नहीं
12. एक गृहिणी की सेवाएँ
   (अ) उत्पादन का अंग हैं
   (ब) उपभोग का अंग हैं
   (स) उत्पादन का अंग नहीं है
   (द) स्वयं लेखा (Own Accounts) उत्पादन है।
13. परिवारों द्वारा मकान व घी आदि बनाना
   (अ) उपभोग है
   (ब) स्व-लेखा उत्पादन है
   (स) परिवार द्वारा पूँजी निर्माण है
   (द) औद्योगिक उत्पादन है
14. परिवार द्वारा साइकिल का क्रय
   (अ) पूँजी निर्माण है
   (ब) परिवार द्वारा उत्पादन है
   (स) क्रय करते समय ही उपभोग है
   (द) स्व-उपभोग के लिए उत्पादन है।
15. एक वेतन पर नियुक्त घरेलू नौकर की घरेलू सेवाएँ
   (अ) परिवार द्वारा स्व-लेखा उत्पादन है।
   (ब) वेतन भोगी नौकर की सेवाओं का उपभोग है।
   (स) उत्पादन है।
   (द) अवकाश समय की क्रिया है।

अभ्यास 1.3

बताइए निम्न कथन सत्य हैं अथवा असत्य :

1. प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास का सही माप नहीं है।
2. एक देश की घरेलू सीमा इतनी बड़ी नहीं होती जितनी कि उसकी राजनैतिक सीमा।
3. एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या प्रवाह की संकल्पना है।
4. विद्यालय को प्रति वर्ष छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रवाह-संकल्पना है।
5. पूँजी निर्माण एक देश की राष्ट्रीय पूँजी में वृद्धि करता है।
6. एक परिवार के पास मुद्रा, प्रवाह है।
7. एक दुकान में रखा माल स्टॉक है।
8. एक खुली अर्थव्यवस्था में उपभोग की कुल मात्रा और घरेलू **पूँजी निर्माण** उसके उत्पादन से अधिक हो **सकते हैं**।
9. अवकाश के समय की गई समस्त क्रियाएँ उत्पादन हैं।
10. एक कृषक द्वारा स्व-उपभोग के लिए गेहूँ का उत्पादन, उत्पादन का भाग है।
11. एक अध्यापक द्वारा विद्यालय में पढ़ाना उत्पादन है।
12. एक विद्यार्थी द्वारा स्टेशनरी का प्रयोग उत्पादन है।
13. धर्मार्थ अस्पताल द्वारा सेवाएँ उत्पादन है।
14. एक नर्स द्वारा अपने बीमार बच्चे की देखभाल उत्पादन है।
15. एक कृषक के परिवार के सदस्यों द्वारा अपने खेत में कुआँ खोदना पूँजी निर्माण है।
16. एक फैक्टरी द्वारा स्वयं के प्रयोग के लिए मशीन का निर्माण उपभोग है।
17. अगर एक व्यक्ति स्वयं अपने मकान में रहता है तो हमें उसका आरोपित किराया निकालना होगा।
18. एक निर्धन व्यक्ति द्वारा झोंपड़ी का निर्माण उत्पादन का भाग है।
19. एक ट्रक द्वारा गांव से नजदीक के शहर को गेहूँ का ढोया जाना उत्पादन का अंग है।
20. सरकार द्वारा निःशुल्क पीने का पानी दिया जाना उत्पादन से बाहर रखा जाता है।

अभ्यास 1.4

रिक्त स्थानों को भरिए:

1. गैर (नागरिक) सामान्य/गैर सामान्य..............एक देश निवासी होते हैं।
2. विदेशी जलयानों के कर्मचारी भारत के .... (सामान्य/गैर-सामान्य निवासी) हैं।
3. विदेशों में अध्ययन के लिए जाने वाले भारतीय छात्र भारत के .... (सामान्य/गैर-सामान्य) निवासी है।
4. राष्ट्रीय आय के लेखा .... (प्रवाहों/स्टॉक) से सम्बन्धित है।
5. स्टॉक एक .... (समयबिन्दु/समय अवधि) पर वस्तुओं की मात्रा है।
6. सरकार द्वारा सड़कों पर लगाई गई रोशनी .... का भाग है (उत्पादन/पूँजी निर्माण)।
7. एक उपभोक्ता गृहस्थ द्वारा खरीदी गई कार .... का भाग है (उत्पादन/उपभाग)।
8. पूँजी गत स्टॉक में परिवर्तन .... (स्टॉक/प्रवाह) हैं।
9. एक बन्द अर्थव्यवस्था .... है (सरलीकृत मान्यता/वास्तविकता)।
10. स्व लेखा पर अचल पूँजी का उत्पादन .... का भाग है (उपभोग/पूँजी निर्माण)।
11. गृहस्थों द्वारा नये मकानों का क्रय .... का भाग है (उपभोग/पूँजी निर्माण)।
12. एक सम्पति का हिंसात्मक आन्दोलन में नष्ट होना .... है (उपभोग/उपभोग नहीं)।
13. वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन मूल्य को .... के साथ आंका जाता है (उपभोग/उत्पादन)।
14. सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य .... आंका जाता है (जब वे प्रदान की जाती है तब—जब उन पर व्यय किया गया जाता तब)
15. उपभोग मूल्य वस्तुओं के .... आँका जाता है (क्रय करते समय/उपभोग के समय)।

अध्याय 2

उत्पादन-प्रक्रिया

उत्पादकों की संस्थागत श्रेणियाँ

2.1.1 हम पहले अध्याय में देख चुके हैं कि राष्ट्रीय आय लेखा के उद्देश्य से तीन प्रमुख आर्थिक प्रक्रियाएँ—उत्पादन. उपभोग और पूँजी निर्माण मानी गई हैं। उत्पादन आरम्भिक क्रिया है। हम देखते हैं कि वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन फैक्टरियों, फार्मों, दुकानों, कार्यालयों, अस्पतालों, स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालय आदि अनेक स्थानों में होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं क लाखों उत्पादक हो सकते हैं। एक अर्थव्यवस्था की कार्य-प्रणाली को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इन असंख्य उत्पादकों को विभिन्न वर्गों में समूहबद्ध किया जाए।

2.1.2 एक अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी उत्पादकों को उनके कार्य के अनुसार निम्न संस्थागत श्रेणियों में वर्गबद्ध किया या बाँटा जाता है:

1. निगमित व अर्ध-निगमित उद्यम
2. सरकारी उद्यम
3. परिवार (जिनमें सम्मिलित है अनिगमित उद्यम व निजी गैर-लाभकारी संस्थाएँ जो परिवारों को सेवाएँ प्रदान करती है।)

निगमित और अर्ध-निगमित उद्यम

2.1.3 निगमित उद्यम वे होते हैं जिनका अस्तित्व कानून, प्रशासनिक नियम व अधिनियमों एवं पंजीकरण द्वारा अपने मालिकों से अलग माना जाता है। इन्हें निगमित उद्यम कहते हैं। अर्ध-निगमित उद्यम के अंतर्गत बड़े अनिगमित उद्यम जैसे साझेदारी फर्म, एकल व्यापारी, वित्तीय मध्यस्थ जैसे बैंक व सहकारी समितियाँ आदि आते हैं। निगमित उद्यमों की तरह इनके भी अपने मालिकों से अलग लाभ-हानि खाते व बैलैन्स-शीट होती है। निजी गैर-लाभकारी संस्थाएँ, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारी संघ आदि जो अन्य व्यावसायिक उद्यमों को अपनी सेवाएँ प्रदान करती हैं और जिनका प्रबंध व वित्त मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्यमों द्वारा नियंत्रित होता है, अर्ध-निगमित उद्यमों के अंतर्गत आती हैं। ये निजी गैर-लाभकारी संस्थाएँ अपने सदस्य व्यवसायिक संस्थाओं को केवल सेवाएँ प्रदान करती है, लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं है। इसलिए इन्हें गैर-लाभकारी संस्थाएँ कहते हैं। क्योंकि इनका प्रबंध व वित्त उद्यमों के हाथों में होता है इसीलिए इन्हें "निजी गैर-लाभकारी" संस्थाएँ कहते हैं।

2.1.4 सरकारी उद्यम जैसे रेलवे, डाक व तार विभाग आदि निगमित व अर्ध-निगमित उद्यमों की श्रेणी में नहीं आते। फिर भी हमें यह याद रखना है कि ये सरकारी-स्वामित्व वाले उद्यम भी अन्य निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की तरह बाज़ार के लिए वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इनके द्वारा, प्रयुक्त आगतें (Inputs) व प्रौद्योगिकी (Techniques) बिल्कुल उसी प्रकार की होती है जैसी कि निजी उद्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इनमें से अधिकांश समुचित लाभ की अपेक्षा करते हैं। कभी-कभी कुछ सरकारी उद्यमों द्वारा वसूल की गई कीमत उनकी समस्त लागतों को पूरा नहीं करती इसका कारण है सरकार की सामाजिक व आर्थिक नीति। बावजूद इस सीमित स्थिति के, सब सरकारी उद्यम चाहे वे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों या स्थानीय सरकारों के हों—उद्यमों की श्रेणी में आते हैं। भारत में दो प्रकार के सरकारी उद्यम हैं :

1. विभागीय व्यावसायिक उद्यम (Departmental Commercial Enterprises): इस श्रेणी के कुछ उदाहरण रेलवे, डाक व तार विभाग, समुद्र पार संचार सेवाएँ (Overseas Communication Services) वन व प्रतिरक्षा निर्माण प्रतिष्ठान हैं।
2. गैर-विभागीय उद्यम (Non Departmental Enterprises): इनके अंतर्गत वित्तीय व गैर-वित्तीय दोनों ही प्रकार के उद्यम आते हैं। वित्तीय निगम जैसे भारत का औद्योगिक वित निगम (I.F.C), औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank), राज्य वित्तीय निगम (State Finance Corporation), बीमा कम्पनियाँ जैसे भारतीय बीमा निगम आदि समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापारिक बैंक वित्तीय उद्यमों के कुछ उदाहरण हैं। गैर-वित्तीय उद्यमों के अंतर्गत स्वायत्ती (Autonomous) निगम, जैसे भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंडियन एयर लाइन्स, भारतीय खाद्य निगम, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, भारत का उर्वरक निगम (Fertilizers Corporation of India), खनिज व धातु व्यापार निगम (Minerals & Metals Trading Corporation of India) आदि सम्मिलित हैं।

सामान्य सरकार

2.1.5 क्योंकि सार्वजनिक उद्यम निगमित व अर्ध-निगमित क्षेत्र में वर्गित किए जाते हैं, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की पहचान करना सरल है। जन-सामान्य सरकार सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सड़कों की रोशनी, पार्क इत्यादि सेवाएँ प्रदान करती है। साधारणतया यह इन सेवाओं को लोगों को बेचती नहीं है बल्कि उन्हें निःशुल्क अथवा उत्पादन लागत से बहुत कम कीमत पर देती है। ये सेवाएँ इस प्रकार की हैं जो किसी भी उद्यम द्वारा इतनी सुविधापूर्वक व किफायती दरों पर प्रदान नहीं की जा सकती। सरकार राज्य का प्रशासन भी करती है व आर्थिक व सामाजिक नीतियों का निर्धारण भी।

2.1.6 सार्वजनिक क्षेत्रक में वे सभी संस्थान, विभाग, प्रतिष्ठान, जो किसी भी सरकारी स्तर पर, प्रशासन, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक मनोरंजन तथा अन्य सामाजिक सेवा संबंधी कामों में लगे हुए हैं, सम्मिलित हैं इनमें वे एजेन्सियाँ भी शामिल हैं जो जनसाधारण को वस्तुएँ व सेवाएँ बेचती हैं लेकिन छोटे पैमाने पर कार्य करती हैं तथा अपने वित्तीय साधनों के लिए सरकार से संबंधित हैं। इसके उदाहरण हैं, सरकारी एजेन्सियों द्वारा अजायबघरों, प्रदर्शनियों व सार्वजनिक स्थलों पर बेची जाने वाली वस्तुएँ व सेवाएँ। गैर-लाभकारी संस्थाएँ भी जैसे कस्बों व नगरों में सामाजिक कल्याण संघ, सामुदायिक कल्याण केन्द्र आदि जो व्यावसायिक उद्यमों व

गृहस्थों (परिवारों)को सेवाएँ प्रदान करते हैं और जो सरकार द्वारा नियंत्रित व वित्तीय सहायता प्राप्त हैं, परन्तु जो अधिकृत रूप से सरकार के भाग नहीं हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के अंग हैं।

2.1.7. सार्वजनिक क्षेत्र आगे निम्न उपवर्गों में बांटा जाता है:

1. केन्द्रीय सरकार
2. राज्य सरकारें व
3. स्थानीय सरकारें (प्राधिकरण)

2.1.8 भारत में सामान्य सरकार के अंतर्गत केन्द्रीय व राज्य सरकारें, केन्द्र प्रशासित राज्य, नगर निगम, नगर पालिकाएँ, आवासीय बोर्ड, विकास ट्रस्ट, जिला परिषद, जिला स्थानीय बोर्ड तथा पंचायत राज्य संस्थाएँ शामिल हैं। इनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ राज्य के अंगों से संबंधित होती हैं जैसे करों का एकत्रीकरण, सुरक्षा सेवाएँ, प्रशासनिक सेवाएँ जैसे पुलिस, जेल, विदेशी मामले, सामाजिक व सामुदायिक सेवाएँ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य , बाढ़, अकाल व भूकम्प के समय सहायता कार्य, कृषि विकास व पशुपालन के लिए आर्थिक सहायता आदि।

परिवार

2.1.9 परिवार, पारिवारिक उद्यम हैं। हम उन्हें उत्पादक परिवार कह सकते हैं। वे निगमित व अर्ध-निगमित उद्यमों की तरह बाजार में विक्रय हेतु लाभ कमाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते है। फिर भी इनका संगठन भिन्न है और ये किसी तरह का भी अपना लाभ-हानि खाता या सम्पत्ति व दायित्व का विवरण अर्थात बैलेन्सशीट नहीं रखते। कभी-कभी इन परिवारों को उनके चलाने वाले (प्रबंधक) से अलग नहीं रखा जा सकता। इसलिए इन्हें "परिवार या गृहस्थ" क्षेत्र में रखा जाता है। इस संबंध में, यह जानना आवश्यक है कि "उपभोक्ता परिवार" "उत्पादक परिवार" से बिल्कुल भिन्न है। "उपभोक्ता परिवार" वस्तुएँ व सेवाएँ उपभोग के लिए खरीदते हैं, परन्तु कोई उत्पादन नहीं करते। किसी भी प्रकार के भ्रम या गलत धारणा से बचने के लिए दोनों में अंतर जानना आवश्यक हैं।

2.1.10 परिवार क्षेत्र (उत्पादक परिवार) में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. अनिगमित उद्यम : अनिगमित उद्यमों के कुछ उदाहरण हैं जूते, पेय जल, फर्नीचर, खिलौने, कल-पुर्जे, वस्त्र, तम्बाकू पदार्थ प्लास्टिक की वस्तुएँ तथा हथकरघा वस्त्र आदि के निर्माता। ये क्रियाएँ एकल या साझेदारी व्यापार किसी भी रूप में हो सकती हैं। स्व-नियोजित व्यक्ति जैसे डॉक्टर, परिवहन कम्पनियाँ, फुटकर व्यापारी, छोटे दुकानदार और व्यापारी आदि भी इस श्रेणी में आते हैं। कृषक, बढ़ई, जुलाहे (बुनकर) आदि जो भी निजी कार्य में लगे हैं इसी श्रेणी में आते हैं।
2. परिवारों की सेवा में रत गैर-लाभकारी संस्थाएँ जैसे ट्रस्ट (न्यास,धार्मिक संस्थाएँ), धर्मार्थ शिक्षा संस्थाएँ और धर्मार्थ अस्पताल।
3. वे परिवार जो दूसरे परिवारों को अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं। इसके उदाहरण हैं-घरेलू नौकर व अन्य जो उपभोक्ता परिवारों को वेतन के बदले में उत्पादक सेवाएँ प्रदान करते हैं जैसे रसोइये, फर्श की सफाई व अन्य घरेलू कार्य करने वाले।

2.1.11 परिवारों को सेवाएँ प्रदान करने वाली निजी गैर-लाभकारी संस्थाओं के बारे में कुछ और विस्तार से जानकारी हासिल करना आवश्यक हैं। ये संस्थाएँ मुख्य रूप से उपभोक्ता परिवारों को सेवाएँ देने के लिए संगठित की जाती हैं। ये निगम, संघ, क्लब, या फाउन्डेशन के रूप में हो सकती हैं। ये आमतौर पर व्यक्तियों द्वारा उपभोक्ता के रूप में पारस्परिक लाभ या समाज के लाभ के लिए संगठित की जाती हैं। इनकी भूमिका, कुछ अर्थों में साधारण सरकार की तरह ही है। ये उपभोक्ता परिवारों को सरल शर्तों पर सेवाएँ प्रदान करती हैं

जो उन्हें अन्य कहीं नहीं मिल सकती। ये उपभोक्ता परिवारों को लाभ के उद्देश्य से सेवा प्रदान नहीं करतीं। इसके कुछ उदाहरण हैं —श्रम संघ, धर्मार्थ समितियाँ, सांस्कृतिक समितियाँ, धार्मिक संगठन व निजी धर्मार्थ अस्पताल। ये परिवारों को निःशुल्क या लागत से कम कीमत पर अपनी सेवाएँ प्रदान करती हैं। क्योंकि उनकी सेवाएँ उत्पादन का एक अंग हैं इसलिए ये उद्यम कहलाते हैं। फिर भी इन्हें निगमित या अर्ध-निगमित उद्यमों के साथ शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अपनी सेवाओं को बेचते नहीं। इन्हें अलग क्षेत्र में ही रखा जाता है। तथापि, भारत में इनके बारे में पर्याप्त आँकड़े न होने के कारण, ये परिवार क्षेत्र (उत्पादक परिवार)की श्रेणी में आते हैं।

उपरोक्त वर्णित उत्पादकों की संस्थात्मक श्रेणियों को चित्र 2.1 में दर्शाया गया है।

उत्पादन-प्रक्रिया और उसकी प्रकृति

2.2.1 एक अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, निगमित व अर्ध-निगमित उद्यम, साधारण सरकार व परिवार, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए दो आगत (Inputs) श्रम व पूँजी की आवश्यकता होती है। श्रम के अंतर्गत कुशल व प्रशिक्षित श्रमिकों सहित सभी श्रमिक आते हैं व पूँजी में सभी भौतिक पदार्थ जैसे मशीनरी व उपस्कर, इमारतें, कच्चा माल, भूमि व प्राकृतिक साधन, कोयला व तेल आदि शामिल हैं। उत्पादक इन दो आगतों को संयोजन करके उत्पादन में लगाते हैं। इन आगतों (साधनों) का संयोजन सेवाओं का उपयोग और वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन को उत्पादन-प्रक्रिया कहते हैं।

2.2.2 पारम्परिक रूप से, इन आगतों को "उत्पादन व साधन" कहा जाता है। उत्पादन के साधन वे अनिवार्य तत्व हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में पारम्परिक सहयोग देते हैं। इन्हें चार वर्गों में वर्गबद्ध किया जाता है -भूमि, श्रम, पूँजी व उद्यमवृत्ति। ये साधन आगत कहलाते हैं और व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। भूमि पर उसके मालिक का स्वामित्व होता है और श्रम पर श्रमिकों का। पूँजी पर उन व्यक्तियों का स्वामित्व होता है जो बचत करते हैं और पूँजीगत वस्तुओं जैसे मशीनों व इमारतों आदि की प्राप्ति के उद्देश्य से या उत्पादन के लिए उधार देते हैं। उद्यमवृत्ति, उद्यमी के स्वामित्व में होती है। यह वह व्यक्ति है जो उद्यम को चलाता है व उत्पादन प्रक्रिया को निरन्तर बनाए रखता है। यह उत्पादन के अन्य तीन साधनों को एकत्रित करता है और दूसरे आगतों (कच्चामाल आदि) की सहायता से वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करता है। उद्यमी केवल अन्य साधनों को संगठित ही नहीं करता बल्कि विद्यमान जोखिमों, अनिश्चितताओं, और अन्य समस्याओं को भी, जो सदा बदलने वाले आर्थिक वातावरण में उत्पादन क्रिया में उठ खड़ी हो सकती हैं, अपने ऊपर लेता है। इसलिए इसे उद्यमी कहते हैं। वह (उद्यमी) श्रम को मजदूरी, भूमि की लगान (किराया) और पूँजी के मालिक को ब्याज का भुगतान उनकी उत्पादक सेवाओं के बदले में करता है। उद्यमी अपनी उत्पादक सेवाओं के बदले लाभ कमाता है। मजदूरी, लगान, ब्याज व लाभ को साधन-भुगतान या साधन-आय कहते हैं। क्योंकि ये उद्यमी द्वारा साधनों को उत्पादक सेवाओं के बदले में दिए जाते हैं इसलिए साधन-भुगतान (Factor payments) कहलाते हैं। दूसरी ओर क्योंकि साधनों द्वारा अपनी उत्पादन सेवाओं के बदले ये प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए साधन आय (Factor Incomes) कहलाते हैं।

श्रम व प्रौद्योगिकी का गठन

2.2.3 उत्पादन-प्रक्रिया समाज को वस्तुएँ व सेवाएँ उपलब्ध कराती है। यह एक निरन्तर चलने वाली (सतत) प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में उद्यम जो उत्पादन-प्रक्रिया के उपकरण (उपस्कर)

संस्थागत उत्पादकों की श्रेणियां
निगमित एवं अर्ध-निगमित क्षेत्रक
साधारण सरकारी क्षेत्रक
परिवार क्षेत्रक
निजी उधम
सरकारी उधम
विभागीय
गैर-विभागीय
परिवार जो दूसरे परिवारों को घरेलू सेवाएँ प्रदान करते हैं
अनिगमित उद्योग
निजी गैर लाभकारी संस्थाएँ जो परिवार की सेवाएँ प्रदान करती हैं
केन्द्रीय सरकार
राज्य सरकारें
स्थानीय सरकारें
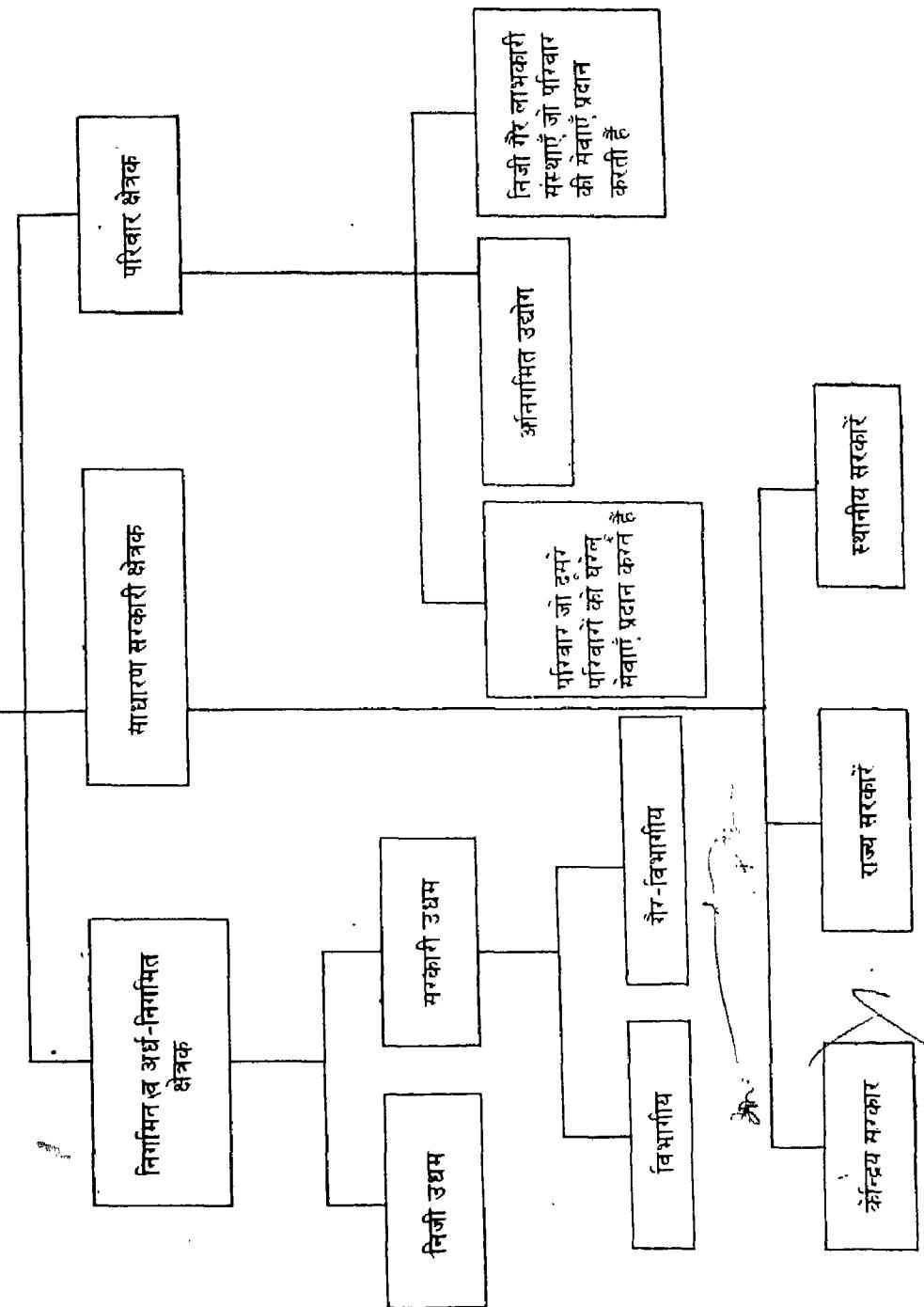
चित्र 2.1

(Instruments) हैं वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन निरन्तर करते रहते हैं और व्यक्ति उन्हें निरन्तर खरीदते रहते हैं। लेकिन सभी उत्पादक उद्यम, श्रम व पूँजी का एक समान अनुपात में संयोजन नहीं करते। उदाहरणस्वरूप, पारिवारिक उद्यम जैसे लघु व कुटीर उद्योग (टोकरियाँ बुनना, रस्सी बनाना, फर्नीचर व खिलौने बनाना) श्रम का अधिक प्रयोग करते हैं और पूँजी का कम। इसके विपरीत, इस्पात मिल और सीमेन्ट-कारखाने पूँजी का अधिक प्रयोग करते हैं और श्रम का कम। प्रथम विधि उत्पादन की श्रम-प्रधान तकनीक कहलाती है और दूसरी पूँजी-प्रधान तकनीक। भारत जैसे विकासशील देशों में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में परिवार क्षेत्रक मुख्य है। हम पहले ही देख चुके हैं कि इस क्षेत्रक में छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, छोटे निर्माता, स्वनियोजित व्यक्ति व कृषक शामिल हैं। बहुत-से छोटे कृषक अपने स्वयं के उपयोग के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं। इन सभी क्रियाओं में श्रम-प्रधान तकनीक (प्रौद्योगिकी) का प्रयोग होता है। सेवा उद्योगों में जैसे बैंक, बीमा कम्पनियाँ, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में भी हम श्रम-प्रधान तकनीक का ही प्रयोग देखते हैं। इनमें से अधिकांश में पूँजी-प्रधान तकनीक का प्रयोग करना संभव है और ऐसा ही विकसित देशों में किया जा रहा है। जैसे ही एक अर्थव्यवस्था आधुनिक और विकसित बनती है, पूँजी-प्रधान तकनीक प्रयोग करने वाले उद्यमों की संख्या बढ़ती जाती है। विकसित देशों जैसे, इंग्लैंड, अमरीका, पश्चिमी जर्मनी और फ्रान्स में, पूँजी का अनुपात श्रम से अधिक है बजाय भारत जैसे विकासशील देशों के।

2.2.4 श्रम व प्रौद्योगिकी संगठन का दूसरा रूप श्रम-विभाजन की प्रकृति व आकार से सम्बन्धित है। श्रम-विभाजन के दो प्रकार हैं —उत्पाद आधारित (Product Based) व प्रक्रिया- आधारित (Process Based)। अगर एक श्रमिक किसी एक वस्तु या सेवा के उत्पादन में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो यह उत्पाद-आधारित श्रम-विभाजन है। उदाहरणस्वरूप, भारत में एक खेतिहर कृषक फसल उगाने के लिए अपनी खुद की भूमि जोतता है, बीज बोता है, खेत की सिंचाई करता है, खाद और कीटाणुनाशक दवा डालता है, फसल काटता है और अन्त में उसे घर लाता है। ऐसा ही गांव के एक कुम्हार, मोची व बढ़ई के संबंध में है। यदि परिवार के सारे सदस्य एक ही वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुये हैं तो परिवार उत्पाद-आधारित श्रम-विभाजन में दक्षता प्राप्त समझा जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में यह एक आम बात है।

2.2.5 निगमित तथा अर्ध-निगमित क्षेत्रकों व सरकारी क्षेत्रक में भी जहाँ एक या एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, प्रक्रिया आधारित श्रम विभाजन उत्पादन गठन की मुख्य विशेषता है। एक वस्तु या सेवा का उत्पादन कई प्रक्रियाओं से गुजरता है और हर श्रमिक एक या दो प्रक्रियाओं में दक्षता प्राप्त कर लेता है। एक ब्रेड (रोटी) जैसी साधारण वस्तु एवं ब्रेड निर्माण करने वाली बेकरी को लें। हम जानते हैं कि डबलरोटी के लिए आटा कच्चा-माल है और हम यह भी जानते जानते हैं कि आटे से डबलरोटी बनाने का कार्य तीन या चार प्रक्रियाओं से गुजरता है। आटे को मैदा में बदला जाता है और मैदा पकाने के लिए सांचों में रखी जाती है। सांचों को भट्टी में रखा जाता है और तब डबलरोटी तैयार होती है। पकी हुई डबलरोटी भट्टी से बाहर निकाली जाती है और उचित आकार में काट कर उसे पैक किया जाता है। डबलरोटी बनाने में ये सभी प्रक्रियाएँ अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा की जाती हैं। कोई भी एक व्यक्ति इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसने डबलरोटी बनाई है। वह केवल यही कह सकता है कि डबलरोटी बनाने की प्रक्रियाओं में से एक या दो प्रक्रियाओं में उसने भाग लिया।

सामान्य सरकार

2.2.6 सरकारी क्षेत्रक में भी, किसी सेवा की पूर्ति श्रम विभाजन के प्रक्रिया-आधारित उत्पादन पर

निर्भर करती है। हम एक नए आवासीय कॉम्पलेक्स में सड़कों पर रोशनी प्रदान करने का सरल उदाहरण लेते हैं। यह कार्य प्रक्रियाओं में होता है। सर्वप्रथम, सड़कों पर बिजली के खम्भे लगाए जाते हैं। दूसरी प्रक्रिया में सभी खम्बों को बिजली के तारों से जोड़ा जाता है। तीसरी में बल्ब लगाए जाते हैं और अंतिम प्रक्रिया में उस क्षेत्र के बिजली घर द्वारा बिजली की पूर्ति की जाती है। ये सभी प्रक्रियाएँ अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा की जाती हैं। अगर इस व्यवस्था में किसी स्तर पर कोई खराबी आती है तो रख-रखाव विभाग (Maintenance Department)से अलग व्यक्तियों का समूह ही इस खराबी को दूर करने के लिए आता है।

2.2.7 श्रम विभाजन से श्रम की कार्य-कुशलता में वृद्धि होती है और एक ही कार्य को करते रहने से उस कार्य के संबंध में नई खोज व आविष्कार की सम्भावनाएँ बढ़ती हैं। यह मानवीय श्रम के स्थान पर मशीनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। दूसरे शब्दों में, श्रमिक के कौशल, दक्षता व निपुणता को बढ़ाने के साथ-साथ श्रम विभाजन उत्पादन में पूँजी-प्रयोगी तकनीक को भी बढ़ावा देता है। आज विकसित देशों का अनुभव भी ऐसा ही है।

2.2.8 उत्पादन की तकनीक निरन्तर बढ़ती रही है, कारण है नए आविष्कार व नव-प्रवर्तन। उदाहरण के लिए बिजली के आविष्कार का औद्योगिक उत्पादन में प्रयोग ने फैक्टरी (कारखाना) प्रणाली को जन्म दिया और परिवहन तथा संचार व्यवस्था में क्रान्ति ला दी। आधुनिक उद्यम नवीनतम मशीनरी व उपस्करों का प्रयोग करके व श्रम विभाजन से अपने उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करते रहते है।

तकनीक व आर्थिक पारस्परिक निर्भरता

2.2.9 आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में उद्यम तकनीकी दृष्टि से एक-दूसरे पर निर्भर है। उदाहरणतया, इस्पात मिल, कोयला खान व रेलवे आपस में एक दूसरे पर तकनीकी तौर पर निर्भर हैं। इस्पात मिल, कोयला खान से कोयला खरीदते हैं और रेलवे इसे इस्पात मिल तक ढोने का काम करती है। इस्पात निर्माण के लिए कोयला व रेल सेवा आगत (Inputs) है। इस्पात मिल बदले में रेलवे व कोयला खानों को इस्पात प्रदान करती है। रेलवे, माल वैगनों व यात्री-डिब्बों के निर्माण में इस्पात का प्रयोग करती है और कोयला खानें अपने कर्मचारियों के लिए औजार तैयार करने के लिए इस्पात का प्रयोग करती हैं। इस प्रकार इस्पात उद्योग का उत्पाद (Output) अन्य दो उद्योगों में आगत (Inputs) का काम करता है। इस्पात, कोयला व रेल सेवा की अन्य उद्योगों को भी आवश्यकता है जैसे निर्माण कंपनियाँ, मशीनों की निर्माण कंपनियाँ, तथा अन्य कई प्रकार के औजार बनाने वाली कम्पनियाँ, ट्रक, कार व स्कूटर बनाने वाली कम्पनियाँ। इस प्रकार अब यह सिद्ध करना सरल है और यह वास्तविकता भी है कि तीनों घरेलू क्षेत्रकों में सभी उद्यम तकनीकी तौर पर प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर संबंधित हैं और किसी एक उद्यम का विकास अन्य उद्योगों के विकास पर निर्भर करता है।

2.2.10 तकनीकी पारस्परिक निर्भरता के साथ-साथ आर्थिक पारस्परिक निर्भरता भी उद्योगों में पाई जाती है। किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं की मांग दूसरे अन्य उद्योगों द्वारा उत्पन्न आय पर निर्भर करती है। हम एक सरल उदाहरण भारतीय कृषि का लें। मान लीजिए, 1985 में कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। इस अधिक उत्पादन के कारण कृषक ऊँची आय की अनुभूति करते हैं। जिससे वे अधिक उपभोक्ता वस्तुओं— वस्त्र, साबुन, तेल, दवाइयाँ, साइकिल, मोटर-साइकिल व रेडियो आदि की पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक मांग करेंगे। इस्पात, सीमेन्ट, ईंटों, बिजली व सेनीटरी आदि वस्तुओं की मांग बढ़ जायेगी क्योंकि वे (कृषक) अपने पुराने मकानों में मरम्मत आदि या नये मकानों का निर्माण करना

पसन्द करेंगे। इसलिए इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग, अपना उत्पादन अधिक श्रमिकों की नियुक्ति करके बढ़ाएँगे। परिणामस्वरूप, इन उद्योगों में कार्य करने वाले व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी। बदले में ये व्यक्ति (कर्मचारी) अधिक अनाज व खाद्य पदार्थ जैसे दूध आदि, खरीदेंगे। दूसरे शब्दों में कृषि-पदार्थों की मांग बढ़ जाएगी इस प्रकार तीनों क्षेत्रकों के उद्यम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक दृष्टि से भी एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

स्व-उपभोग के लिए उत्पादन

2.3.1 घरेलू अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रकों में से गृहस्थ या परिवार क्षेत्रक में कुछ उद्यम ऐसे होते हैं जो अपने खुद के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं। यदि उत्पादक अपने कुल उत्पादन का स्वयं उपभोग कर लेते हैं तो यह स्व-उपभोग उत्पादन कहलाता है। भारत में आधे से अधिक कृषक अनाज का स्व-उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं। जहाँ तक स्व-उपभोग की वस्तुओं का संबंध है इसके उत्पादकों की अन्य उद्यमों पर तकनीकी निर्भरता या आर्थिक निर्भरता बिल्कुल नगण्य है।

2.3.2 वे उत्पादन इकाइयाँ जो स्व-उपभोग के लिए उत्पादन करती हैं, निर्वाह स्तर की उत्पादन इकाइयाँ कहलाती हैं। क्योंकि उनका उत्पादन केवल उनकी उपभोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही पर्याप्त होता है। फलस्वरूप, ये अधिशेष उत्पाद को उत्पन्न करने में असफल होते हैं। जो पूँजी निर्माण का स्रोत है। यदि एक अर्थव्यवस्था में केवल स्व-उपभोग के लिए ही उत्पादन इकाइयाँ हैं, या उनकी अधिकता है, तो वह निर्वाह-स्तर की अर्थव्यवस्था कहलाती है।

विनिमय के लिए उत्पादन

2.3.3 निगमित, अर्ध-निगमित और परिवार क्षेत्रकों में उद्यम विनिमय हेतु वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करते हैं। वे अपनी वस्तुओं को बाजार में उस कीमत पर बेचते हैं जिसमें उनकी कुल लागतें शामिल होती हैं। उनका उत्पादन स्व-उपभोग के लिए नहीं होता। तथापि, कुछ उद्यम अपने उत्पादन का बहुत थोड़ा अर्थात् न के बराबर भाग का उपभोग कर लेते हैं जैसे एक छोटा कृषक अपने उत्पादन का थोड़ा भाग बाजार में बेचता है और शेष स्व-उपभोग के लिए रख लेता है। उदाहरणस्वरूप, कोयला खानें और बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयाँ अपने उत्पादन का कुछ भाग उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग में लेती हैं। परन्तु अधिकांश उद्यम अपना कुल उत्पादन बाज़ार में बेच देते हैं जो दूसरों द्वारा उपभोग में लाया जाता है। दूसरे शब्दों में, यहां स्व-उपभोग का तत्व बिल्कुल भी नहीं है। उदाहरणस्वरूप, चीनी मिल या वस्त्र-मिल के लिए मशीनरी बनाने वाले उद्यम अपना कुल उत्पादन बाजार में बेचते हैं।

2.3.4 उद्यम अपने उत्पाद को उस कीमत पर बेचते हैं जिससे उनकी उत्पादन लागतें उन्हें प्राप्त होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कुल उत्पादन लागत में लाभ भी शामिल रहता है। उद्यम अपने कुल उत्पाद के विक्रय मूल्य में से अपने कर्मचारियों को मजदूरी व वेतन देते हैं, और कच्चे माल व अन्य निविष्टियों (जो वे अन्य उद्यम से खरीदते हैं) का भुगतान भी करते हैं। अगर भूमि, इमारत व पूँजी उद्यम की स्वयं की है तो इस स्थिति में लगान व ब्याज उसे स्वयं को मिलते हैं। किराया, ब्याज व लाभ को साधन-आय, "परिचालन अधिशेष" (Operating Surplus) कहा जा सकता है। (स्व-उपभोग की स्थिति में कोई "परिचालन अधिशेष" नहीं होता)। परिचालन अधिशेष पूँजी निर्माण का स्रोत है। दूसरे शब्दों में आधुनिक पूँजीवादी देशों में, विनिमय हेतु उत्पादन पूँजी निर्माण का स्रोत है।

2.3.5 जहाँ तक सरकारी क्षेत्रक का संबंध है, हम पहले ही देख चुके हैं कि सरकार वस्तुओं व सेवाओं को बेचती नहीं है बल्कि निःशुल्क या सामान्य कीमत पर देती है। क्योंकि यहाँ कोई विक्रय नहीं होता, इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि सरकारी उत्पादन स्व-उपभोग के लिए होता है। देश की

सुरक्षा, कानून व व्यवस्था के उपभोक्ता कौन हैं? किसी एक व्यक्ति या स्थान को अलग रखना और कहना कि वह इन सेवाओं का उपभोग कर रहा है, संभव नहीं है। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि सरकार इन सेवाओं की उत्पादक व उपभोक्ता दोनों हैं। सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, चिकित्सा सेवाएँ, पार्क, सड़कों की रोशनी, सड़कें और पुल आदि सामूहिक मांग की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। इन आवश्यकताओं की संतुष्टि "सार्वजनिक उपभोग" या "सामूहिक उपभोग" (Collective Consumption) कहलाती है। सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन पर किया गया सरकारी व्यय "सार्वजनिक उपभोग व्यय" कहलाता है। इसे सरकारी उपभोग व्यय भी कहते हैं।

2.3.6. **क्योंकि सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुओं व** सेवाओं का कोई विक्रय नहीं होता, इसलिए सरकार द्वारा उत्पादित उत्पाद-मूल्य जानने में समस्या उठ खड़ी होती है। सरकार विभिन्न अवसरों पर सैनिक, नाविक, नागरिक कर्मचारी, जज, पुलिस-मैन, डॉक्टर, इंजीनियर आदि नियुक्त करती है और बाजार से विभिन्न वस्तुएँ व सेवाएँ जैसे कागज, पेन, पैन्सिलें, टाइप-राइटर, फर्नीचर, ट्रक, कार, बिजली के पंखे, एयरकन्डिशनर आदि खरीदती है। सरकारी कर्मचारी इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं और समाज (Community) के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इस प्रक्रिया में केवल निम्न दो प्रकार की लागतें आती हैं:

1. क्रय की गई वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य।
2. कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन व मज़दूरी।

सरकारी उत्पादन में अन्य दूसरी कोई लागतें (किराया, ब्याज व लाभ) शामिल नहीं होतीं। इसलिए सरकार द्वारा उत्पादित उत्पाद का मूल्य उसकी उत्पादन लागत के बराबर होता है। इस प्रकार, उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उन पर लगाई गई लागत पर ही निकाला जाता है। "परिचालन-अधिशेष" (Operating Surplus) सरकारी क्षेत्रक में उत्पन्न नहीं होता क्योंकि अन्य साधन लागतें जैसे किराया, ब्याज व लाभ यहाँ शून्य मानी जाती हैं। दूसरे शब्दों में "परिचालन अधिशेष" के आधार पर सरकारी क्षेत्रक में पूँजी निर्माण नहीं होता।

अभ्यास 2.1

1. एक अर्थव्यवस्था के तीन घरेलू उत्पादक क्षेत्रकों के नाम बताइए।
2. व्यापार को सेवाएं प्रदान करने वाली दो गैर-लाभकारी संस्थाओं के नाम बताइए।
3. सरकारी उद्यमों को निगमित व अर्ध-निगमित क्षेत्रक में शामिल किए जाने के दो कारण बताइये।
4. ऐसे सरकारी गैर-विभागीय उद्यमों के तीन नाम बताइऐ जो विक्रय के लिए वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करते हैं।
5. भारत में केन्द्रीय सरकार के दो महत्त्वपूर्ण विभागीय व्यावसायिक उद्यमों के नाम बताइए।
6. भारत में केन्द्रीय सरकार के दो वित्तीय गैर-विभागीय उद्यमों के नाम बताइए।
7. सरकार द्वारा दी जानेवाली पाँच प्रमुख सेवाएँ बताइए।
8. ऐसे पाँच उद्यम बताइए जो पारिवारिक उद्यम क्षेत्रक में शामिल किए जा सकते हैं।
9. क्या परिवारों को सेवाएं प्रदान करने वाली निजी गैर-लाभकारी संस्थाएँ अपनी वस्तुओं व सेवाओं को बेचती हैं? कारण बताइए।
10. परिवारों को सेवाएँ प्रदान करने वाली निजी गैर-लाभकारी संस्थाओं के दो उदाहरण दीजिए।
11. उत्पाद-आधारित श्रम विभाजन का अर्थ बताइए।
12. क्या स्व-उपभोग के लिए उत्पादन में अधिशेष होता है? अगर नहीं, तो उसके क्या परिणाम होते हैं?
13. क्या साधारण सरकारी क्षेत्रक में परिचालन-अधिशेष उत्पन्न होता है? कारण बताइए।
14. सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों का कैसे अनुमान किया जाता है?
15. सरकारी उत्पादन द्वारा संतुष्ट की जाने वाली पाँच सामूहिक आवश्यकताएँ बताइए।

अभ्यास 2.2

सही उत्तर पर निशान लगाइए:

1. सरकारी उद्यम
   (अ) साधारण सरकार के अंग हैं।
   (ब) परिवार क्षेत्रक के अंग हैं।
   (स) निगमित व अर्ध-निगमित क्षेत्रक के अंग हैं।
   (द) निजी क्षेत्रक के अंग हैं।
2. साधारण सरकार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है और उन्हें–
   (अ) बाजार में बेचती है।
   (ब) नागरिकों को निःशुल्क प्रदान करती है।
   (स) पूर्ण लागत पर बेचती है।
   (द) परिवारों को लाभ पर बेचती है।
3. परिवारों को सेवाएँ प्रदान करने वाली गैर-लाभकारी संस्थाएँ .... शामिल होती हैं।
   (अ) निगमित और अर्ध-निगमित क्षेत्रक में
   (ब) सरकारी क्षेत्रक में
   (स) परिवार क्षेत्रक में
   (द) उपभोक्ता परिवार में
4. स्व-उपभोग का उत्पादन होता है–
   (अ) परिवार क्षेत्रक में
   (ब) निगमित उद्यमों में
   (स) सरकारी विभागीय उद्यमों में
   (द) सरकारी गैर-विभागीय उद्यमों में
5. सरकार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है–
   (अ) व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए
   (ब) व्यापारिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए
   (स) सामुदायिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए
   (द) निगमित उद्यमों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए
6. सामूहिक (सामुदायिक) उपभोग का अर्थ है–
   (अ) परिवारों द्वारा उपभोग
   (ब) व्यक्तिगत उपभोग
   (स) स्व-उपभोग
   (द) देश के नागरिकों द्वारा उपभोग
7. परिचालन-अधिशेष उत्पन्न होता है
   (अ) सरकारी क्षेत्रक में
   (ब) स्व-उपभोग के उत्पादन में
   (स) निर्वाह के लिए खेती में
   (द) उद्यम क्षेत्र में

अभ्यास 2.3

बताइए निम्न कथन "सत्य" हैं या "असत्य"–

1. निगमित व अर्ध-निगमित क्षेत्रक के सभी उद्यम विक्रय हेतु वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करते हैं।

2. कुछ सरकारी एजेन्सियाँ जो छोटे पैमाने पर वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करती हैं परिवार क्षेत्रक के अंग हैं।
3. नगर-निगम निगमित व अर्ध-निगमित क्षेत्रक का अंग हैं।
4. स्व-नियुक्त व्यक्ति जैसे डॉक्टर, वकील आदि साधारण सरकार का अंग है।
5. धर्मार्थ अस्पताल सरकारी क्षेत्रक के अंग हैं।
6. श्रम संघ निगमित उद्यम के अंग हैं।
7. रेलवे व डाक-तार विभाग में कोई पारस्परिक निर्भरता नहीं है।
8. स्व-उपभोग के लिए उत्पादन बड़े उद्यमों में पाया जाता है
9. सरकारी क्षेत्रक में भी परिचालन-अधिशेष होता है।
10. सरकार निजी व्यक्तियों व निगमित उद्यमों के लिए वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करती है।

अभ्यास 2.4

रिक्त स्थानों को भरिए:

1. गैर-लाभकारी संस्थाएँ जो सरकार द्वारा नियंत्रित व वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं परन्तु परिवारों को सेवाएँ प्रदान करती है .... का अंग हैं।(साधारण सरकार/परिवार)
2. पंचायत राज संस्थाएँ........................ का अंग है। (परिवार/सरकारी क्षेत्रक)
3. निर्वाह-स्तर अर्थव्यवस्थाओं में पूँजी-निर्माण .... है।(बड़ी समस्या/कोई भी समस्या नहीं)
4. सार्वजनिक उपभोग .... की सन्तुष्टि करता है।(निजी आवश्यकताओं/सार्वजनिक आवश्यकताओं)
5. सरकारी उत्पादन का मूल्य .... पर निकाला जाता है। (बाजार कीमत/उत्पादन लागत)

अध्याय-3

उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति

3.1.1 उद्यमी वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन इसलिए करते है कि उनके उत्पाद की बाज़ार में मांग है। वस्तुओं की मांग इसलिए होती है कि वे व्यक्तियों की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। उत्पादक बड़ी संख्या में कई किस्म की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं—एक साधारण सेफ्टी पिन से लेकर आधुनिकतम वायुयान तक इन सब वस्तुओं को व्यवस्थित रूप से कई वर्गों में बांटा जाता है ताकि उनकी आर्थिक महत्ता को समझा जा सके।

3.1.2 कुल उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है—(1) टिकाऊ वस्तुएँ (2) गैर-टिकाऊ वस्तुएँ व सेवाएँ, उनके टिकाऊपन की दृष्टि से। टिकाऊ वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं, साइकिल, कारें, बसें, इमारतें, कारखाने, फर्नीचर, मशीनरी, वस्त्र, बिजली सामग्री वायुयान, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन सैट आदि। ये निरन्तर कई वर्षों तक प्रयोग में लाई जा सकती हैं। गैर-टिकाऊ वस्तुएँ हैं—गेहूँ, आटा, तेल, बिजली, उर्वरक, दूध, ब्रेड, लिखने का कागज, माचिस व खाद्य पदार्थ। ये एक बार से अधिक प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। जैसे ही इनका प्रयोग लिखा जाता है ये अपना अस्तित्व और मूल्य खो बैठती हैं। सभी प्रकार की सेवाएँ जैसे डाक्टर, अध्यापक, नर्तक व गायक की सेवाएँ आदि इसी दूसरी श्रेणी में आती हैं।

मध्यवर्ती उपभोग की मांग

3.1.3 घरेलू अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रक दो प्रकार की आगतें खरीदते हैं: (1) साधन आगतें (भूमि, श्रम, पूँजी व उद्यम); (2) गैर साधन आगतें (गैर-टिकाऊ वस्तुएँ व सेवाएँ)। एक भारतीय कृषक उर्वरक, अच्छे किस्म का बीज, बिजली, व कीटाणुनाशक, खरीदता है। वह इनका प्रयोग करके कृषि पदार्थों का उत्पादन करता है। इन दूसरे वर्ग के आगतों का उत्पादन में प्रयोग, मध्यवर्ती उपभोग कहलाता है।

3.1.4 निगमित व अर्ध-निगमित और परिवार क्षेत्रक के उद्यमों को इन गैर-टिकाऊ आगतों (वस्तुओं व सेवाओं) की मध्यवर्ती उपभोग के लिए आवश्यकता होती है। ये वस्तुएँ व सेवाएँ मध्यवर्ती वस्तुएँ कहलाती हैं। उत्पादकों के मध्यवर्ती उपभोग व्यय में निम्न बातें शामिल होती हैं:

(1) उत्पादन में प्रयोग आनेवाली गैर-टिकाऊ वस्तुएँ व सेवाएँ व पूँजीगत स्टॉक की मरम्मत व रख-रखाव पर

किया गया व्यय (गैर-टिकाऊ वस्तुएँ वे होती हैं जिनके प्रयोग का अनुमानित समय एक वर्ष से कम होता है)। पूँजीगत स्टॉक की मरम्मत व रख-रखाव पर किए जाने वाले व्यय का अर्थ है कि स्थायी परिसम्पत्तियों में टूट-फूट की क्षति को पूरा करना जिससे कि उनकी कार्यक्षमता बनी रहे। इस व्यय में स्थायी सम्पत्ति के कोई नए पुर्जे या भाग पर किया जाने वाला व्यय भी शामिल रहता है। नये पुर्जे या भाग का जीवन एक वर्ष के लगभग या उससे कुछ अधिक हो सकता है और उसका सापेक्ष मूल्य कम होना चाहिए। उदाहरणतया एक ट्रक के टायर का प्रतिस्थापन मध्यवर्ती उपभोग है, लेकिन उसके इंजिन का प्रतिस्थापन नहीं हो।

(2) अनुसंधान और विकास

(अ) अनुसंधान और अन्वेषण क्रियाओं में प्रयोग की जानेवाली वस्तुएँ (जैसे तेल व प्राकृतिक गैस कमीशन द्वारा भारत के विभिन्न भागों में तेल की खोज) अथवा किसी विशेष उत्पादन प्रक्रिया में तकनीक का सुधार।

(ब) मूल वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त वस्तुएँ।

(स) विज्ञापन, बाज़ार अनुसंधान, और व्यावसायिक उद्यम की साख बढ़ाने हेतु जन-संपर्क।

(द) कर्मचारियों की यात्रा व मनोरंजन पर किए गए व्यापारिक खर्चे।

सामान्य सरकार के क्रय-विक्रय

3.1.5 हम पहले ही देख चुके हैं कि सरकार विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ व सेवाएं बाजार में खरीदती है। क्रय की गई वस्तुएँ साधारण लिखने का कागज, पेंसिलों, पैनों से लेकर आधुनिकतम लड़ाकू वायुयान तक हैं। क्रय की गई वस्तुएँ व सेवाएँ टिकाऊ व गैर-टिकाऊ दोनों प्रकार की होती हैं। सरकार के मध्यवर्ती उपभोग में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. सभी प्रकार की गैर-टिकाऊ वस्तुओं व सेवाओं (पैट्रोल, बिजली, तेल-पदार्थ, साबुन, तौलिए, पेन, पेंसिलों व लिखने का कागज आदि) का मूल्य।
2. टिकाऊ वस्तुओं पर व्यय मुख्य रूप से सैनिक उद्देश्य जैसे सैनिक गाड़ियों, भवन-निर्माण (सैनिक कर्मचारियों के आवास-गृहों के अतिरिक्त), एयर फील्ड, सड़कें, जहाज, वायुयान व पनडुब्बियों आदि पर किया गया व्यय।
3. विदेशी सरकारों द्वारा प्राप्त वस्तुओं का किस्म के रूप में मूल्य जैसे उपहार व हस्तांतरण। किस्म के रूप में हस्तान्तरण के उदाहरण हैं, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, दवाइयाँ, वनस्पति तेल बटर ऑयल, मक्खन और खिलौने आदि, जो एक देश की सरकार द्वारा दूसरे देश को प्राकृतिक प्रकोप, दोनों देशों के बीच सौहार्द्र भाव या मित्र-भाव के कारण भेजे जाते हैं।

तथापि कोई भी वस्तु जो बिना कोई नवीकरण या परिवर्तन किए उपभोक्ता परिवारों में वितरण-हेतु प्राप्त हुई हो, मध्यवर्ती-उपभोग से बाहर रखी जानी चाहिए क्योंकि ये वस्तुएँ अंतिम उपभोग के लिए उपभोक्ता परिवारों को जाती हैं।

3.1.6 साधारणतया, सरकार पुरानी वस्तुओं (जिनका ऊपर क्रम (1)व (2) में वर्णन किया गया है) का विक्रय करती है। ऐसी परिस्थितियों में हमें सरकार का शुद्ध क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा (क्रय विक्रय)। इसके साथ-साथ छीजन व रद्दी सामग्री (Scrap) जैसे टूटा हुआ फर्नीचर, पुराने पर्दे, रद्दी कागज जो सरकार द्वारा बेचा गया, आदि का भी मूल्यांकन करना होगा। पुराने माल का शुद्ध विक्रय मूल्य (जैसे पुराने व नष्ट मिलिटरी ट्रक,

जीप, मोटर-साइकिलें ओर रद्दी माल व छीजन का मूल्य दिए गए क्रम (1), (2), व (3) पर दी गई वस्तुओं के मूल्य में से घटाना होगा जिससे हमें सरकार का मध्यवर्ती उपभोग ज्ञात हो जाएगा। यह सारा व्यय सरकार के चालू खाते (Current Account) में दिखाया जाता है।

3.1.7 उपभोक्ता परिवार के आवासीय-गृह, इमारतों व गैर-आवासीय इमारतों (दुकानें, गोदाम, भंडार-गृह, कार्यालय और कारखाने जो व्यापारिक उद्यमों व सरकार के हैं), रंग पुताई पर व्यय, नष्ट नालियों का प्रतिस्थापन, सीसे का काम (Plumbing), एयर कंडिशनिंग व्यवस्था की मरम्मत आदि मध्यवर्ती उपभोग की श्रेणी में आते हैं।

अंतिम उपभोग की मांग

3.1.8 अंतिम उपभोग की मांगें उपभोक्ताओं की होती हैं। एक घरेलू अर्थव्यवस्था में दो उपभोक्ता क्षेत्रक होते हैं:-

1. सामान्य सरकार
2. गृहस्थ (गृहस्थों की सेवाएँ करने वाली निजी गैर-लाभकारी संस्थाओं सहित)

ये दोनों क्षेत्रक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए टिकाऊ और गैर-टिकाऊ वस्तुएँ व सेवाएँ क्रय करते हैं। इन वस्तुओं व सेवाओं का प्रयोग उनके अंतिम उपभोग का हिस्सा है। इसी प्रकार इन पर किया गया व्यय उनके अंतिम उपभोग-व्यय का भाग होता है।

सामान्य सरकार का अंतिम उपभोग

3.1.9 सरकार के अंतिम उपभोग की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि सरकारी प्रशासनिक विभागों को दी गई सेवाओं पर किए गए चालू व्यय में से विक्रय को घटाने पर प्राप्त व्यय। दूसरे शब्दों में, यह उन सरकार द्वारा उत्पादित सेवाओं (जैसे प्रतिरक्षा, कानून व व्यवस्था, जन-स्वास्थ्य व सांस्कृतिक तथा मनोरंजक सेवाएँ) के मूल्य के बराबर होता है जो वह स्वयं के उपभोग (देश के नागरिकों के प्रयोग) के लिए करती है। हम पहले ही देख चुके हैं इन सेवाओं का मूल्य इनके उत्पादन पर सरकार द्वारा किए गए व्यय (लागत) के बराबर होता है, क्योंकि ये नागरिकों को बेची नहीं जाती।

इस व्यय को ज्ञात करने के लिए (1) मध्यवर्ती उपभोग और (2) कर्मचारियों को दिए जाने वाले नकद व किस्म के रूप में दिए जाने वाले वेतन के जोड़ में से इन वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय मूल्य को घटा दिया जाता है।

3.1.10 क्रम (1) व (2) की मदों की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। क्रम (3) की मद में व्यक्तियों द्वारा प्राप्त सेवाओं के बदले में दिए जाने वाले सारे भुगतान शामिल होते हैं चाहे ये नाम मात्र हो या समस्त लागत हो। उदाहरणस्वरूप, कुछ सरकारी अस्पताल व्यक्तियों को दी गई सेवाओं के बदले में कुछ फीस वसूल करते हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत, सरकार अपने कर्मचारियों को नाम-मात्र की कीमत पर सेवाएँ प्रदान करती है इसके अन्य उदाहरण हैं, वनोपज से लकड़ी की बिक्री, एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेन्ट स्टेशन (Agriculture Experiment Station) द्वारा बीजों की बिक्री और सरकारी प्रकाशनों की बिक्री।

3.1.11 एक और भी मद है जो सरकार के अंतिम उपभोग व्यय में शामिल की जाने वाली है। यह है सरकार द्वारा चालू खाते पर विदेशों से प्रत्यक्ष खरीदी गई वस्तुएँ व सेवाएँ। यह खरीद विदेशों में स्थित दूतावासों और वाणिज्य-दूतावासों के लिए की जाती है या फिर विदेशों में सरकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रयोग के लिए। उदाहरणतया, विदेशों में भारतीय दूतावासों को पैट्रोल, चिकने तेल पदार्थ, व स्टेशनरी आदि की आवश्यकता होती है, इसके अतिरिक्त कई गैर-टिकाऊ वस्तुएँ व सेवाएँ जैसे

साबुन, तेल, तौलिए, परिवहन व संचार सेवाएँ व चिकित्सा सेवाएँ आदि की भी आवश्यकता होती है। विदेशों में हमारे दूतावास दवाइयों व वस्त्रों के उपहार स्वरूप वितरण के लिए भी खरीद सकते हैं ये सभी खर्चे सरकार के अंतिम उपभोग का ही भाग हैं। उदाहरणस्वरूप 1981-82 में भारतीय सरकार द्वारा विदेशों में चालू-खाते पर क्रय 65 करोड़ रुपये था। भारत सरकार का 1981-82 वर्ष (चालू कीमतों पर) का अंतिम उपभोग व्यय निम्न प्रकार से दिखाया गया है:-

(करोड़ रु० में)

1.	कर्मचारियों का पारिश्रमिक		9328
2.	वस्तुओं व सेवाओं का शुद्ध क्रय (विदेशों में क्रय सहित)		
	क्रय	7033	
	विक्रय	1069	5964
	कुल अंतिम उपभोग व्यय		15292

परिवार

3.1.12 परिवारों के अंतिम उपभोग व्यय को परिभाषित करने के लिए उनके द्वारा नई टिकाऊ व गैर-टिकाऊ वस्तुओं व सेवाओं पर किए गए व्यय में से उनके द्वारा पुरानी वस्तुओं, बेकार व रद्दी सामग्री की बिक्री को घटाना होगा। दूसरे शब्दों में इसके अंतर्गत अपने देश में टिकाऊ और गैर-टिकाऊ वस्तुओं में सेवाओं पर किया गया व्यय तथा विदेशों में की गई प्रत्यक्ष खरीद के जोड़ में से पुरानी वस्तुओं, बेकार व रद्दी सामग्री की बिक्री को घटाना होगा।

3.1.13 परिवारों द्वारा खरीदी गई टिकाऊ और गैर-टिकाऊ वस्तुएँ निम्न वर्गों में विभाजित की जाती हैं।

1. *टिकाऊ वस्तुएँ:* इन वस्तुओं का अनुमानित जीवन काल कई वर्षों तक का होता है। और सापेक्ष मूल्य अधिक होता है। ये हैं-मोटर गाड़ियाँ, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन सैट, कपड़ा धोने की मशीन, और एयर कंडिशनर आदि।
2. *अर्ध-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ :* इन वस्तुओं का अनुमानित जीवनकाल एक वर्ष या उससे कुछ अधिक होता है। इनका सापेक्ष मूल्य अधिक नहीं होता। ये हैं—वस्त्र, फर्नीचर, बिजली के उपकरण, पंखें, इस्त्री, हॉट प्लेटें व क्रॉकरी आदि।
3. *गैर-टिकाऊ वस्तुएँ :* इनमें अनाज, दूध, और दुग्ध-पदार्थ, खाने का तेल, पेय, सब्जियाँ, तम्बाकू और अन्य खाद्य-पदार्थ आदि शामिल हैं।
4. *सेवाएँ :* इनके अतंर्गत चिकित्सा संबंधी, परिवहन व संचार, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक सेवाएँ, वेतन भोगी नौकरों की घरेलू सेवाएँ आदि शामिल हैं।

3.1.14 दूसरी मद अर्थात परिवारों द्वारा विदेशो में प्रत्यक्ष खरीद (क्रय) के अंतर्गत एक देश के निवासियों द्वारा विदेशों में किए गए व्यय जैसे, पर्यटकों, जहाजी मल्लाहों, सीमावर्ती व मौसमी कामगार, दूतावासों व सैनिक कर्मचारियों द्वारा विदेशों में वस्तुओं व सेवाओं पर किया गया व्यय, शामिल हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय विदेशों में पर्यटक की हैसियत से जाते हैं और टेलीविजन सैट, टेप-रिकार्डर, कैमरे, घड़ियाँ और अन्य बिजली व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विदेशी बाजार में क्रय करते हैं। इसी प्रकार भारतीय जहाजों के सदस्य (crew members) भी विदेशी बाजारों में इसी प्रकार की वस्तुओं का क्रय करते हैं। जब उनके जहाज विदेशी बन्दरगाहों पर माल लदवाने व उतारने के लिए पहुँचते हैं। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के कर्मचारी व सैनिक कर्मचारी भी, उस देश के बाजार में जहाँ वे उस समय रह रहे होते हैं, अपने उपभोग के लिए क्रय करते हैं।

3.1.15 तीसरी मद, पुरानी वस्तुओं की शुद्ध बिक्री है। हम देखते हैं कि उपभोक्ता परिवार पुरानी वस्तुओं जैसे पुरानी कार, स्कूटर, टी.वी., रेडियो, घड़ियाँ, साइकिल, कपड़े धोने की मशीन,

पंखे आदि बेचते हैं और इन्हें खरीदते भी हैं। हमें पुरानी वस्तुओं की बिक्री की गणना करनी है। और उनके मूल्य को नई टिकाऊ व गैर-टिकाऊ वस्तुओं व सेवाओं पर किए गए व्यय में से घटाना होगा। चौथी मद, रद्दी माल व बेकार माल की बिक्री है। इस मद के उदाहरण हैं—पुराने अखबारों, पत्रिकाओं, टूटा फर्नीचर व पुराने वस्त्र आदि की बिक्री। इस मद के मूल्य को भी घटाना होगा।

3.1.16 बाजार में ऊपर वर्णित शुद्ध क्रय के अतिरिक्त, परिवारों के अंतिम उपभोग व्यय में निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं:

1. मालिकों द्वारा खुद-काबिज (Owner Occupied) मकानों का आरोपित सकल किराया।
2. स्व-उपभोग के लिए उत्पादित खाद्य पदार्थ व अन्य वस्तुएँ।
3. किस्म के रूप में प्राप्त वेतन व मजदूरी।
4. नियोजकों द्वारा दिए गए नि:शुल्क आवास-गृह।
5. सरकार, उद्यमों व शेष-विश्व से प्राप्त किस्म के रूप में गैर-टिकाऊ वस्तुएँ व सेवाएँ इनमें से तीनों क्षेत्रकों को दिए जाने वाले इसी प्रकार के उपहारों को घटाना होगा।

उपभोक्ता परिवारों का अंतिम उपभोग व्यय= नई टिकाऊ व गैर-टिकाऊ वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय + विदेशों में किए गए प्रत्यक्ष क्रय—पुरानी वस्तुओं का शुद्ध क्रय—बेकार व रद्दी माल की बिक्री + खुद-काबिज मकानों का सकल आरोपित किराया + स्व-उपभोग उत्पादित अनाज व अन्य वस्तुओं का मूल्य + किस्म के रूप में प्राप्त मजदूरी, वेतन व अन्य सुविधाएँ + उपहार में प्राप्त वस्तुओं का शुद्ध मूल्य।

3.1.17 हमें यह स्मरण रखना है कि, हम केवल निवासी परिवारों या गृहस्थों (Residents House-holds) के अंतिम उपभोग व्यय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हर देश की घरेलू सीमा में गैर-निवासी गृहस्थ (Non-resident House-holds) जैसे विदेशी दूतावासों के अधिकारियों के परिवार, सैनिक प्रतिष्ठान और गैर-निवासी व्यक्ति (पर्यटक, जहाजों के चालक सदस्य) आदि भी रहते हैं। वे भी अंतिम उपभोग के लिए वस्तुएँ व सेवाएँ खरीदते हैं। इसके साथ-साथ अतिरिक्त देशीय संस्थाएँ जैसे विदेशी दूतावास, सैनिक कार्यालय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी एक देश के घरेलू बाजार में अंतिम उपभोग के लिए वस्तुएँ व सेवाएँ खरीदते हैं। गैर-निवासी परिवारों, व्यक्तियों व अतिरिक्त देशीय संस्थाओं का एक देश के घरेलू बाजार में किया अंतिम उपभोग व्यय उनके द्वारा किया गया प्रत्यक्ष क्रय माना जाएगा और इस प्रकार का क्रय उनके द्वारा किए गए आयात का भाग बनता है। इस प्रकार के क्रय को एक देश के निवासी परिवारों के अंतिम उपभोग में नहीं मिलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और मद भी ध्यान देने योग्य है। हम जानते हैं कि परिवारों को सेवाएँ प्रदान करने वाली गैर-लाभकारी संस्थाएँ जैसे श्रम-संघ, सांस्कृतिक संगठन, धर्मार्थ अस्पताल आदि भी बाजार में वस्तुएँ, सेवाएँ खरीदते हैं और कई प्रकार के श्रमिकों को वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन करने के लिए नियुक्त करते हैं और उन्हें (परिवारों के) वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति करते हैं। हम यह भी देख चुके हैं कि वे वस्तुएँ व सेवाएँ बाजार में बेचते नहीं। इसलिए, सामान्य सरकार की तरह, वस्तुओं व सेवाओं के क्रय पर उनका सारा व्यय, और श्रमिकों का पारिश्रमिक उनका अंतिम उपभोग व्यय है। वे भी उद्यमों, सरकार व शेष-विश्व से उपहारों का लेन-देन करते हैं। इसलिए किस्म में उपहार (शुद्ध) जो वे प्राप्त करते हैं, उनके अंतिम उपभोग व्यय का भाग है। ये पुरानी वस्तुओं का क्रय-विक्रय भी करते हैं (जैसे टाइप-राइटर, रेफ्रिजरेटर, पुरानी कार आदि)। इसके अतिरिक्त रद्दी व बेकार वस्तुएँ जैसे पुराना व टूटा हुआ फर्नीचर, अखबार और पत्रिकाएँ आदि भी इनके द्वारा बेची जाती हैं।

हमें पुरानी वस्तुओं का शुद्ध बिक्री मूल्य ज्ञात करना होगा और रद्दी व बेकार वस्तुओं के बिक्री मूल्य को नई वस्तुओं व सेवाओं के क्रय मूल्य में से घटाना होगा। इन संस्थाओं के अंतिम उपभोग व्यय को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है- एक देश की घरेलू सीमा में, निवासी परिवारों (Resident Households) का अंतिम उपभोग व्यय और परिवारों की सेवा करने वाली निजी गैर लाभकारी संस्थाओं का अंतिम उपभोग व्यय का योग निजी अन्तिम उपभोग व्यय कहलाता है। यह निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है: परिवारों व निजी गैर लाभकारी संस्थाओं का वर्तमान (चालू) वस्तुओं व सेवाओं पर किया गया अंतिम उपभोग मूल्य—पुरानी वस्तुओं व रद्दी या बेकार माल की बिक्री + किस्म के रूप में प्राप्त उपहारों का शुद्ध मूल्य (चालू खाते पर अपने उपभोग के लिए क्रय की गई वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य अर्थात उनके सकल उत्पादन का मूल्य उनकी वस्तुओं व अन्य बिक्री को निकालकर)।

अंतिम उपयोग (End-use) वस्तुओं व सेवाओं का वर्गीकरण

3.1.18 सभी उत्पादित वस्तुएँ व सेवाएँ टिकाऊ व गैर-टिकाऊ वस्तुएँ व सेवाएँ—निम्न तीन श्रेणियों में उनके प्रयोग के आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं:

1. *उपभोक्ता वस्तुएँ:* टिकाऊ वस्तुएँ जैसे कार, टेलीविजन सेट, रेफ्रिजरेटर, एयरकन्डिशनर और कपड़ा धोने की मशीन आदि कुछ वस्तुएँ परिवारों द्वारा उपभोग के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसी प्रकार की वस्तुएँ सरकार द्वारा सैनिक उद्देश्य के लिए खरीदी जाती हैं और सरकार के अंतिम उपभोग का अंग हैं। गैर-टिकाऊ वस्तुएँ व सेवाएँ जैसे लिखने का कागज, पेन, पैन्सिलें, कपड़ा, साबुन और तेल आदि परिवारों व सरकार दोनों के ही उपभोग का अंग हैं।

2. *मध्यवर्ती वस्तुएँ:* उपर वर्णित टिकाऊ वस्तुएँ व अन्य टिकाऊ वस्तुएँ जैसे ट्रक, इमारतें, हवाई-पट्टियाँ, वायुयान, पनडुब्बियाँ आदि जो प्राथमिक रूप से सरकार द्वारा सैनिक उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएँ हैं। गैर-टिकाऊ वस्तुएँ व सेवाएँ जो ऊपर क्रम (1) के अंतर्गत आती हैं और अर्थव्यवस्था में तीनों उत्पादक क्षेत्रकों द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग में लाई जाती है, सब मध्यवर्ती वस्तुएँ हैं।

3. *पूँजीगत वस्तुएँ:* सभी टिकाऊ वस्तुएँ जैसे कार, ट्रक, रेफ्रिजरेटर, इमारतें वायुयान, हवाई-पट्टियाँ, जब बाजार में बेचने हेतु वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयोग में लाई जाती हैं तो पूँजीगत वस्तुओं का भाग हैं। एक लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों के पास कच्चे माल, अर्ध निर्मित वस्तुओं व निर्मित वस्तुओं का स्टॉक भी पूँजीगत वस्तुओं का भाग है। वे सभी उत्पादित वस्तुएँ जो भविष्य में उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाती है पूँजीगत वस्तुएँ कहलाती हैं। पूँजीगत वस्तुओं के अन्य उदाहरण हैं, मशीनरी, उपस्कर, सड़कें और पुल।

3.1.19 अंतिम उपभोग सेवाओं व वस्तुओं के वर्गीकरण को निम्न उदाहरणों की सहायता से सरलता से समझा जा सकता है:

1. उपभोक्ता परिवार द्वारा खरीदी गई एक कार उपभोक्ता वस्तु है जबकि सरकार द्वारा सैनिक उद्देश्य से खरीदी गई एक कार *मध्यवर्ती वस्तु* है और एक टैक्सी ड्राइवर द्वारा खरीदी गई कार पूँजीगत वस्तु है।
2. उपभोक्ता परिवार द्वारा खरीदा गया रेफ्रिजरेटर, *उपभोक्ता वस्तु* है। यदि सरकार द्वारा यह सैनिक उद्देश्य से खरीदा जाता है तो मध्यवर्ती वस्तु है और एक दुकानदार द्वारा ठंडे पेय बेचने के लिए खरीदा जाने वाला रेफ्रिजरेटर *पूँजीगत वस्तु* है।
3. उपभोक्ता परिवारों द्वारा खरीदा गया लिखने का कागज, पेन, पेंसिलें, गेहूँ, तेल, साबुन आदि उपभोक्ता वस्तुएँ हैं.

यही वस्तुएँ उद्योगों या सरकार द्वारा खरीदी जाने पर *मध्यवर्ती वस्तुएँ* हैं।

4. सरकार द्वारा सैनिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वायुयान, हेलीकॉप्टर और पनडुब्बियाँ मध्यवर्ती उपभोग की वस्तुएँ हैं। तथापि यही वायुयान, हेलीकॉप्टर और पनडुब्बियाँ वायु कम्पनियों व जहाजी कम्पनियों द्वारा खरीदे जाने पर *पूँजीगत वस्तुएँ* हैं।
5. उपभोक्ता परिवारों द्वारा इस्तेमाल की गई डॉक्टर, वकील या अध्यापक की सेवाएँ *उपभोक्ता वस्तुएँ व सेवाएँ* हैं। यही सेवाएँ उद्यमों द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग करने पर मध्यवर्ती वस्तुएँ हैं। सरकार द्वारा इनका प्रयोग भी मध्यवर्ती उपभोग है।

3.1.20 चित्र 3.1 अंतिम उपभोग वस्तुओं व सेवाओं के वर्गीकरण को दर्शाता है।

3.1.21 हम पहले ही देख चुके हैं कि सरकार का मध्यवर्ती उपभोग उसके अंतिम उपभोग का ही भाग है। इसीलिए सभी मध्यवर्ती वस्तुएँ अंतिम उपभोक्ता वस्तुएँ हैं, जहाँ तक सरकार का संबंध है। यह बात ध्यान में रखने योग्य है जब हम अंतिम उपभोग वर्गीकरण का प्रयोग कर रहे हों।

सकल घरेलू पूँजी निर्माण

3.1.22 हमने देखा है कि एक लेखा वर्ष में उत्पादन को उपभोग पर अधिशेष (अधिव्यय) पूँजी निर्माण कहलाता है। एक वर्ष में उत्पादित अधिकांश वस्तुएँ उसी वर्ष में उपभोग कर ली जाती है, क्योंकि उत्पादन व उपभोग सतत प्रक्रियाएँ हैं। समस्त सेवाएँ उसी समय उपभोग कर ली जाती हैं। अधिकांश उत्पादित गैर-टिकाऊ वस्तुएँ भी उसी वर्ष में उपभोग कर ली जाती है। उनका एक भाग अप्रयुक्त रह जाता है। एक वर्ष में उत्पादित टिकाऊ वस्तुएँ उसी वर्ष में प्रयुक्त नहीं होती। वे पूँजी निर्माण में सहायक होती हैं, गैर-टिकाऊ वस्तुओं सहित जो प्रयोग में नहीं लाई जा सकी हैं। सकल पूँजी निर्माण एक लेखावर्ष में सकल अचल पूँजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन का योग होता है।

सकल घरेलू अचल-पूँजी निर्माण

3.1.23 एक लेखा वर्ष के दौरान सकल घरेलू चल पूँजी निर्माण में निम्न पूँजी गत वस्तुएँ आती हैं।

1. नई परिसम्पत्तियाँ

अ. इमारतें—आवासीय व गैर आवासीय इमारतें

ब. सड़कें व पुल

स. अन्य निर्माण व कार्य

द. परिवहन उपस्कर, पशु-परिवहन सहित

इ. मशीनें व अन्य उपस्कर, प्रजनन पशु, डेयरी पशु आदि सहित

2. पुरानी मौलिक परिसम्पत्तियों का शुद्ध क्रय

3.1.24 उत्पादक क्षेत्रक द्वारा नई परिसम्पत्तियाँ (इन्हें अचल परिसम्पत्ति। अचल पूँजी या पूँजीगत वस्तुएँ भी कहते हैं।) उपार्जन करने के दो तरीके हैं—

1. बाजार में क्रय करके
2. स्व लेखा उत्पादन (स्व-उपयोग के लिए उत्पादन करना)

किसी भी उत्पादक क्षेत्रक द्वारा अचल पूँजी का उपार्जन दोनों ही प्रकार से होता है—बाजार में खरीदकर और स्व-लेखा उत्पादन द्वारा। इसीलिए नई परिसम्पत्तियों का मूल्य, उनके खरीदने पर किया गया व्यय तथा इसी प्रकार की परिसम्पत्तियों का स्व-लेखा उत्पादन के मूल्य के जोड़ के बराबर होता है। यह नियम ऊपर क्रम (1) पर वर्णित सभी

अंतिम उपभोग वस्तुओं व सेवाओं के प्रकार
वस्तुएँ व सेवाएँ
उत्पादक वस्तुएँ
उपभोक्ता वस्तुएँ व सेवाएँ
मध्यवर्ती वस्तुएँ
पूँजीगत वस्तुएँ
टिकाऊ वस्तुएँ
अर्ध-टिकाऊ वस्तुएँ
गैर-टिकाऊ वस्तुएँ
सेवाएँ
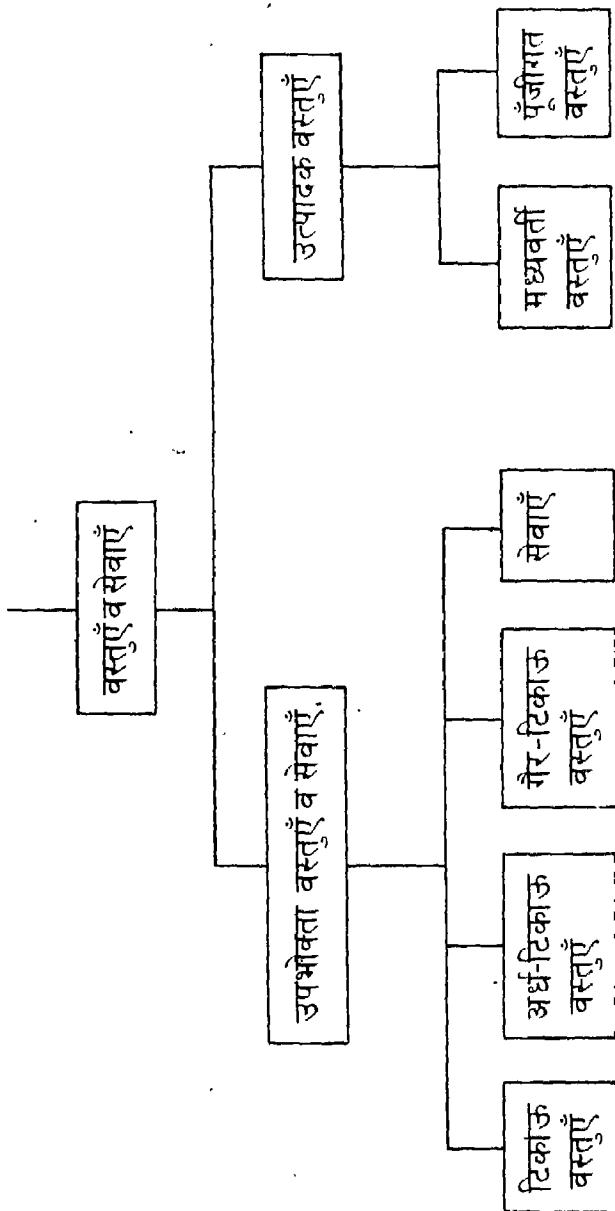
चित्र 3.1

नई परिसम्पत्तियों पर लागू होता है, चाहे वे किसी एक उत्पादक इकाई द्वारा उपार्जित की जाती है अथवा उत्पादक क्षेत्रक द्वारा। आइए हम इनका विवेचन विस्तार से करें।

3.1.25 पाँच प्रकार की नई परिसम्पत्तियाँ होती हैं। प्रत्येक एक उत्पादक क्षेत्रक द्वारा बाजार में खरीदी जा सकती है और स्व-लेखा उत्पादन द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।

अ. *इमारतें:* आवासीय इमारतें, निगमित तथा अर्ध-निगमित व सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए खरीदी जाती है। ये इन दो क्षेत्रकों द्वारा स्व-लेखा पर निर्मित भी की जाती है। आवासीय इमारतों के मूल्य में इनकी खरीद और स्व-लेखा उत्पादन मूल्य शामिल रहता है।

गैर-आवासीय इमारतें जैसे फैक्टरी की इमारतें, गोदाम, भंडार-गृह, वर्कशाप, शेड, व्यावसायिक कार्य के लिए इमारतें जैसे दुकानें, निजी अस्पताल, आदि जो उत्पादक उद्यमों की होती है व सरकारी इमारतें (कार्यालय, गोदाम व अस्पताल आदि के उद्देश्य के लिए) बाजार से खरीदी भी जा सकती हैं और स्व-लेखा उत्पादन द्वारा भी प्राप्त की जा सकती हैं। गैर-आवासीय इमारतों का मूल्य उनके क्रय पर किया गया व्यय और स्व-लेखा, उत्पादन के जोड़ के बराबर होता है।

ब *सड़कें व पुल:* यह क्रिया-कलाप अधिकतर सरकार द्वारा किया जाता है क्योंकि ये सामूहिक आवश्यकताओं में आते हैं। तथापि निगमित व अर्ध-निगमित उद्यम भी इनका निर्माण अपने औद्योगिक कॉम्पलेक्स (Industrial Complex) या आवासीय कालोनी में कर सकते हैं। निर्माण-कार्य किसी निजी ठेकेदार को नियत कीमत पर दिया जा सकता है या सम्बन्धित उद्यम द्वारा स्वयं भी किया जा सकता है। कुछ भी हो, इनके कुल मूल्य में इनका क्रय मूल्य और स्व-लेखा उत्पादन मूल्य शामिल रहता है।

स. *अन्य निर्माण व कार्य:* अन्य निर्माण से अभिप्राय छोटी सिंचाई नहरों, ट्यूबवेल, एयरपोर्ट, [illegible]त्र, बाँध, नालियाँ, टेलीफोन व टेलीग्राफ़ की लाइनें बिछाना आदि से है। और अन्य कार्य से अभिप्राय भूमि सुधार, खानों का विकास, बागान, अंगूरों के बगीचे और लकड़ी क्षेत्र को विस्तार से है। इन सब मदों पर किया गया व्यय तथा इनके स्व-लेखा उत्पादन का मूल्य इन अचल परिसम्पत्तियों के मूल्य के बराबर होता है।

द. *परिवहन उपस्कर (पशु-परिवहन सहित):* परिवहन उपस्करों के कुछ उदाहरण हैं-रेल, इंजिन, वैगन, कोच, रेल लाइनें, बसें, ट्रक, वायुयान आदि। परिवहन पशुओं में बैल व घोड़े आदि हैं।

इ. *मशीनरी और दूसरे उपस्कर जिनमें प्रजनन पशु (Breeding Stock) डेयरी पशु और ऊन देने वाले पशु शामिल हैं:* मशीनरी व अन्य उपस्करों से अभिप्राय कारखानों में प्रयोग की जाने वाली मशीनरी से है। जनन-पशुओं में मछलियाँ, मुर्गे-मुर्गियाँ, भेड़ें, पशु आते हैं। डेयरी पशुओं में गाय, भैंस व ऊन देने वाली भेड़ें शामिल हैं।

वर्ग "द" और "इ" पर किए गए व्यय तथा इनका स्व-लेखे पर उत्पादन मूल्य मिलाकर इन मदों पर कुल अचल पूँजी निर्माण मूल्य प्राप्त हो जाता है। जनन-पशु व डेयरी पशुओं का स्व-लेखे पर उत्पादन गाँवों में सामान्य बात है।

3.1.26 हमारे विवेचन के अंतर्गत नई परिसम्पत्तियों का उपार्जन करने का एक तीसरा तरीका भी है। उत्पादक उद्यमों द्वारा इनका आयात भी किया जा सकता है। इसलिए, नई परिसम्पत्तियों के उपार्जन से अभिप्राय है— इनका घरेलू बाजार में क्रय, स्व-लेखा उत्पादन व आयात।

3.1.27 पुरानी भौतिक परिसम्पत्तियों का शुद्ध क्रय, सकल घरेलू अचल पूँजी निर्माण की चौथी मद है। पुरानी भौतिक परिसम्पत्तियों का घरेलू सीमा में क्रय-विक्रय घरेलू पूँजी निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अगर सरकार पुरानी भौतिक परिसम्पत्तियाँ निगमित तथा अर्ध-निगमित उद्यमों को बेचती है तो सरकारी क्षेत्रक में सकल

अचल पूँजी निर्माण कम हो जाता है और उतनी ही मात्रा से यह क्रय करने वाले क्षेत्रकों में बढ़ जाता है। अर्थव्यवस्था के स्तर पर, सकल घरेलू पूँजी निर्माण एक समान ही रहता है। हम मान लें कि सरकार 100 रु० मूल्य की पुरानी भौतिक परिसम्पत्तियाँ अन्य दो उत्पादक क्षेत्रकों को बेचती है। इससे सरकारी क्षेत्रक में अचल पूँजी निर्माण 100 रु० से कम हो जाएगा और इतने ही मूल्य का अन्य दो क्षेत्रकों में बढ़ जाएगा। जबकि अर्थव्यवस्था के स्तर पर लेखा वर्ष के दौरान कुल अचल पूँजी निर्माण एक समान रहता है। इस स्तर पर, क्रय और विक्रय एक दूसरे को काट देते हैं। उदाहरणस्वरूप 1981-82 वर्ष में सरकार के शुद्ध क्रय (क्रय-विक्रय) 69 करोड़ रुपये थे। गैर-विभागीय उद्यमों के शुद्ध क्रय 16 करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र के उद्यमों के शुद्ध क्रय 53 करोड़ रुपये। इस प्रकार घरेलू स्तर पर, पुरानी भौतिक परिसम्पत्तियों का क्रय शून्य था।

3.1.28 तथापि, यह स्थिति विदेशों में पुरानी-सम्पत्तियों के क्रय-विक्रय के संबंध में नहीं रहती। यदि विदेशों से एक देश के पुरानी सम्पत्तियों के क्रय उनके विक्रय से अधिक होते हैं तो शुद्ध क्रय धनात्मक होंगे। विदेशों से पुरानी सम्पत्तियों का धनात्मक क्रय, घरेलू अचल पूँजी निर्माण में वृद्धि करना है। इसके विपरीत पुरानी सम्पत्तियों का ऋणात्मक शुद्ध क्रय (विक्रय इनके क्रय से अधिक है) घरेलू अचल पूँजी निर्माण को कम करता है। इस प्रकार सकल घरेलू पूँजी निर्माण, अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रकों (निगमित व अर्ध-निगमित उद्यम, सरकार व परिवार क्षेत्रक) द्वारा नई परिसम्पत्तियों का घरेलू बाजार व विदेशों में क्रय मूल्य, नई परिसम्पत्तियों का इन क्षेत्रकों द्वारा स्व-लेखा उत्पादन मूल्य, उपभोक्ता परिवारों द्वारा नए मकानों के क्रय पर किया जाने वाला व्यय और विदेशों से पुरानी भौतिक परिसम्पत्तियों का शुद्ध क्रय मूल्य का योग है।

संकल घरेलू अचल पूँजी निर्माण = घरेलू बाजार में नई परिसम्पत्तियों का क्रय + नई परिसम्पत्तियों का आयात + नई परिसम्पत्तियों का स्व-लेखा पर उत्पादन + उपभोक्ता परिवारों द्वारा नये मकानों का क्रय + विदेशों से पुरानी भौतिक परिसम्पत्तियों का क्रय।

स्टॉक में परिवर्तन

3.1.29 स्टॉक में परिवर्तन एक प्रवाह है और इस प्रवाह में घरेलू स्तर पर निम्न में *भौतिक परिवर्तन* का मूल्य शामिल रहता है:

1. कच्चे माल का स्टॉक, चालू कार्य (Work in Progress) और निर्मित वस्तुएँ (ये माल सूची या स्टॉक भी कहे जाते हैं) जो निगमित व अर्ध-निगमित उद्यमों तथा उत्पादक परिवारों (Poducer Households) के पास होते हैं।

2. युद्ध-सामग्री का स्टॉक अनाज व अन्य वस्तुओं (जो विशेष राष्ट्रीय महत्त्व की हैं और सरकार के अधिकार में हैं) का स्टॉक।

3. उद्यमों द्वारा बूचड़-खाने के लिए एकत्रित पशुधन।

3.1.30 हम जानते हैं कि एक लेखा वर्ष के आरम्भ में, प्रत्येक उद्यम के पास कच्चे माल, अर्ध-निर्मित वस्तुएँ, व निर्मित वस्तुओं (जो पिछले लेखा वर्ष में बेची नहीं जा सकी) का स्टॉक होता है। हम इसे आरम्भिक स्टॉक कह सकते हैं। वर्ष के दौरान वह मध्यवर्ती वस्तुएँ खरीदता है, वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करता है और उन्हें बेचता है। वर्ष के

अंत में उसके पास कुछ मध्यवर्ती वस्तुओं या कच्चे माल, अर्ध-निर्मित वस्तुओं व निर्मित वस्तुओं का स्टॉक शेष रह जाता है। इसे अंतिम स्टॉक कहा जा सकता है। आरम्भिक स्टाक और अंतिम स्टॉक का अंतर स्टॉक में परिवर्तन होता है। हम मान लें कि X कम्पनी के पास 1.4.84 को निम्न आरम्भिक स्टॉक था:

कच्चा माल	200	रु०
अर्ध-निर्मित वस्तुएँ	100	रु०
निर्मित वस्तुएँ	100	रु०
कुल योग	400	रु०

31.3.1984 को अंतिम स्टॉक निम्न था-

कच्चा माल	100	रु०
चालू कार्य	250	रु०
निर्मित वस्तुएँ	150	रु०
कुल योग	500	रु०

स्टॉक में परिवर्तन = अंतिम स्टॉक — आरम्भिक स्टॉक
= 500 — 400
= 100 रु०

इसी प्रकार हम प्रत्येक उद्योग के स्टॉक में परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था में कुल स्टॉक में परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। (इस प्रकार का स्टॉक में परिवर्तन सरकारी क्षेत्रक में नहीं होता क्योंकि यह अधिकांश तौर पर केवल सेवाओं का उत्पादन करता है।)

3.1.31 अर्थव्यवस्था के निर्विघ्न संचालन के लिए और आर्थिक व सामाजिक नीतियों के क्रिया-न्वयन के लिए सरकार, अनाज व अनिवार्य वस्तुओं का स्टॉक रखती है। सरकार सामरिक महत्त्व की वस्तुओं जैसे इस्पात व रसायन आदि (जिनकी पूर्ति कम हो सकती है या जो देश में महत्त्वपूर्ण उद्योगों के विकास के लिए बड़ी मात्रा में चाहिए) का स्टॉक भी रखती है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार अनाज, खाना पकाने के तेल का सुरक्षित भंडार (Buffer Stock) रखती है और उन्हें उचित-दर की दुकानों को नियत कीमतों पर बेचती है। इस कार्य का उद्देश्य अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखना है। हर वर्ष सरकार किसानों से अनाज खरीदती है और उसे उचित दर की दुकानों पर बेचती है। परन्तु किसी भी समय विशेष पर अनाज का स्टॉक लगभग 10 या 12 मिलियन टन रहता है। मान लीजिए 1.4.84 को आज का स्टॉक 10 मि. टन था और सरकार ने इस लेखावर्ष के दौरान 30 मि. टन अनाज खरीदा और वर्ष भर उचित दर की दुकानों को बेचती है। वर्ष के अंत में अर्थात 31.3.85 को अंतिम स्टॉक 15 मि. टन था।

अंतिम स्टॉक	15 मि० टन
आरम्भिक स्टॉक	10 मि० टन
स्टॉक में परिवर्तन (स्टॉक में वृद्धि)	5 मि० टन

3.1.32 इसी प्रकार हमें पशुधन (बकरियाँ, भेड़े आदि) के स्टॉक में परिवर्तन ज्ञात करना है। मान लीजिए, 1.4.84 को पशुधन स्टॉक का मूल्य 1000 रु० था। यह आरम्भिक स्टॉक है। वर्ष के अंत में हम देखते हैं कि पशुधन स्टॉक का मूल्य 2000 रु० है। स्पष्ट है कि पशुधन स्टॉक में 1000 रु० की वृद्धि या परिवर्तन है।

3.1.33 उद्यमों के स्टॉक परिवर्तन, सरकार के स्टॉक परिवर्तन व पशुधन स्टॉक परिवर्तन का योग हमें घरेलू सीमा में अर्थव्यवस्था के स्टॉक में परिवर्तन के आँकड़े बताता है।

सकल घरेलू पूँजी निर्माण = सकल घरेलू अचल पूँजी निर्माण + स्टॉक में परिवर्तन — अचल पूँजी का उपभोग

अचल पूँजी का उपभोग

3.1.34 हम सकल घरेलू पूँजी निर्माण की संकल्पना का अध्ययन कर चुके हैं। एक अन्य

संकल्पना भी है—शुद्ध घरेलू पूँजी निर्माण। सकल व शुद्ध में अंतर अचल पूँजी के उपभोग मूल्य का है। अचल पूँजी का उपभोग क्या है? और इसका क्या महत्त्व है?

3.1.35 प्रत्येक उत्पादक उद्यम के पास वर्ष के शुरू में कुछ अचल पूँजी होती है (इमारतों, मशीनरी व उपस्करो के रूप में) वर्ष के दौरान अचल पूँजी के मूल्य में, टूट-फूट, आकस्मिक दुर्घटनावश जिनकी प्रति वर्तमान मरम्मत व रख-रखाव से नहीं हो पाती, कमी आ जाती है इसके मूल्य में कभी इसके आशानुरूप अप्रचलन (प्रयोग से बाहर होने) के कारण भी हो सकती है। अपचलन का अर्थ है किसी अचल पूँजी के मूल्य में उत्पादन तकनीक (Technology) में परिवर्तिन के कारण कमी आना अथवा उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं की मांग में परिवर्तन होने से कमी आना। उदाहरणस्वरूप, रेलवे के भाप-इंजिन, डीजल इंजिनों के आने से अप्रचलित (प्रयोग से बाहर) हो गए। फिर बिजली के इंजिन धीरे-धीरे डीजल इंजिनों को प्रचलन से बाहर कर रहे हैं। यह तकनीकी अप्रचलन (Technological Obsolescence) कहलाता है।

3.1.36 आज के युग में फैशन बड़ी तेजी से बदल रहा है, विशेषकर वस्त्रों का। इससे विशेष प्रकार से तैयार व किस्म के वस्त्रों की मांग में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए नाइलन वस्त्रों की मांग तेजी से कम हो गई, क्योंकि वे फैशन से बाहर हो गए थे। ऐसा तब हुआ जब टेरिलिन वस्त्र बाजार में आ गए। मशीनरी, जो नाइलन वस्त्रों के निर्माण में प्रयोग आ रही थी, प्रचलन से बाहर हो गई। इस प्रकार का मशीनों का अप्रचलन उनके मूल्य में तेजी से गिरावट लाता है।

3.1.37 इस प्रकार साधारण टूट-फूट या प्रत्याशित अप्रचलन अचल पूँजी का उपभोग कहलाता है, या मूल्य-ह्रास या पूँजीगत उपभोग। प्रत्येक उद्यम तकनीक और मशीनों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग से कुछ वर्षों की समयावधि में परिवर्तन का अनुमान लगा लेता है और उसके अनुसार अचल पूँजी के तकनीकी व आर्थिक जीवन का भी अनुमान लगा लेता है।

3.1.38 तथापि, अप्रत्याशित अप्रचलन, विनाश (प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, भूकम्प या आग), चोरी या प्राकृतिक संसाधनों की कमी आदि अचल पूँजी का उपभोग नहीं है। ये पूँजीगत हानि कहलाते हैं।

3.1.39 जब तक अचल पूँजी का अंखड (Intact) नहीं रखा जाता अर्थात् टूटी-फूटी पूँजी का बदलाव या प्रतिस्थापन नहीं किया जाता, उद्यम द्वारा किए गए उत्पादन में गिरावट आ जाएगी। इसीलिए प्रत्येक उद्यम इसका प्रबन्ध करता है (अर्थात् अपनी वस्तुओं व सेवाओं की बिक्री में से अलग फंड का आबंटन करता है), जिससे अचल पूँजी का प्रयोग उसके अनुमानित जीवनकाल तक किया जा सके। ये मूल्य-ह्रास प्रबंध कहलाते हैं।

3.1.40 राष्ट्रीय स्तर पर, अचल पूँजी उपभोग को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। यह एक लेखावर्ष के दौरान प्रयोग की गई अचल पूँजी की *वर्तमान प्रतिस्थापन लागत* (Current Replacement Cost) है जो साधारण टूट-फूट या अप्रचलन के कारण आई है। सड़कों, बांध और सरकार के अन्य निर्माणों का कोई अचल पूँजी उपभोग नहीं होता।

उत्पादन का मूल्य (Value of Output)

3.2.1 हमने देखा है कि एक उत्पादक उद्यम एक लेखावर्ष के दौरान विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए कच्चा माल (मध्यवर्ती आगतें) खरीदता है और साधन आगतों (Factor

Inputs) को नियुक्त करता है। विभिन्न उद्यम भिन्न-भिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उत्पादित वस्तुएँ उद्यम का उत्पादन कहलाती हैं। उत्पादन का मूल्यांकन बाजार में प्रचलित कीमतों पर किया जाता है, इसे बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य कहते हैं। सकल उत्पादन या उत्पादन के मूल्य की एक सामान्य परिभाषा है—एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को उत्पादन-मूल्य कहते हैं जिसमें चालू कार्य (Work in Progress) में शुद्ध वृद्धि और स्व-लेखा पर उत्पादित वस्तुएँ भी शामिल हैं।

3.2.2 आओ, हम एक सरल उदाहरण लें और उत्पादन मूल्य (Value of Output) ज्ञात करें। हम मान लें कि एक XYZ उद्यम है। उसकी अचल पूँजी 4000 रु० मूल्य की है और उसका (अचल पूँजी) अनुमानित जीवन 10 वर्ष है। इसलिए इसका मूल्य-ह्रास 400 रु० प्रति वर्ष होता है। हम यह भी मान लें कि लेखावर्ष के आरम्भ में मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टॉक शून्य है।

XYZ उद्यम का उत्पादन लेखा
वर्ष 1.4.84 से 31.3.85 तक

			रुपयों में
1.	मध्यवर्ती उपभोग		3000
2.	मूल्य ह्रास		400
3.	शुद्ध अप्रत्यक्ष कर		200
4.	वेतन व मजदूरी		4000
5.	ब्याज		300
6.	किराया		600
7.	लाभ		1500
	अ. लाभांश	1000	
	ब. निगमकर	300	
	स. अवितरित लाभ	200	
8.	सकल उत्पादन के व्यय		10,000
9.	विक्रय		9,000
10.	स्टॉक में वृद्धि		1,000
11.	बाजार कीमत पर सकल उत्पादन-मूल्य		10,000

शुद्ध अप्रत्यक्ष कर

3.2.3 उत्पादन लेखा कि बांयी ओर सकल उत्पादन की लागत व्यय को दिखाया गया है। हमें यह जानना है कि, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या हैं? सरकार वस्तुओं पर कर लगाती है जैसे उत्पादन शुल्क, बिक्री कर आदि। ये कर वस्तु की कीमत को बाजार में बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, बिजली के उपकरणों पर केन्द्रीय बिक्री कर 10% है। इस कर के कारण किसी भी बिजली-उपकरण की कीमत बाजार में 10% से बढ़ जाती है। दूसरी ओर, सरकार उत्पादकों को सहायता (आर्थिक सहायता) देती है। हम तीन प्रकार की आर्थिक सहायता पर विचार कर सकते हैं:

1. उत्पादकों को अपनी वस्तु सरकार द्वारा नियत कीमत पर बेचने के लिए सहायता।

2. निर्यातकों को निर्यात बढ़ाने के लिए नकद सहायता।

3. उत्पादकों को उत्पादन की श्रम-प्रधान तकनीक के प्रोत्साहन के लिए जिससे देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो, नकद सहायता।

जहाँ तक मद (1) का संबंध है, हम खाद्यनिगम का उदाहरण ले सकते हैं। यह देश में उचित दर की दुकानों को सरकार द्वारा निश्चित की गई कीमतों पर अनाज बेचता है। ये कीमतें बाजार कीमतों से बहुत कम होती हैं। अतः ये खाद्य निगम की समस्त लागतों को पूरा नहीं करता। परिणामस्वरूप इसे हानि उठानी पड़ती है। यह हानि सरकार द्वारा पूरी की जाती है। नकद सहायता निर्यात को अधिक वस्तुओं व सेवाओं का निर्यात करने में प्रोत्साहित करती हैं और यह देश को मूल्यवान विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। सरकार इस विदेशी मुद्रा का प्रयोग पूँजीगत वस्तुओं तथा अन्य अनिवार्य

वस्तुओं के आयात करने में करती है। जहाँ तक मद (2) का संबंध है। हम अपने देश में खादी और ग्रामोद्योग का उदाहरण ले सकते हैं। ये उद्योग प्रति इकाई उत्पादन करने में श्रम का अधिक और पूँजी का कम प्रयोग करते हैं। लेकिन वस्तुओं और सेवाओं की इनकी उत्पादन लागत अधिक होती है। परिणामस्वरूप इन्हें अपनी वस्तुएँ ऊंची कीमत पर बाजार में बेचनी पड़ती हैं। तथापि, सरकार इन्हें अपनी वस्तुएँ उत्पादन लागत में कहीं कम बेचने की सलाह देती है। सरकार इनकी हानि की सीमा तक इन्हें नकद सहायता देती है।

3.2.4 अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव वस्तु की कीमत को बढ़ाने में पड़ता है और आर्थिक सहायता का उसकी कीमत को बाजार में कम करने में। किसी वस्तु की कीमत में शुद्ध वृद्धि जानने के लिए, जिस पर कर लगाया गया है व जिसके लिए आर्थिक सहायता भी दी गई है, आर्थिक सहायता की राशि को कर राशि में से घटाना होगा। यह हमें वस्तु की कीमत में शुद्ध वृद्धि बताएगी जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाती है। मान लीजिए, 10% बिक्रीकर के कारण एक वस्तु की बाज़ार में कीमत 110 रु० है। मान लीजिए इसके बचने में सरकार 5% की आर्थिक सहायता देती है। तब कर में शुद्ध वृद्धि 5% की रह जाती है और वस्तु की बाजार में कीमत 105 रु० हो जाती है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि यह उत्पादक द्वारा दिए गए अप्रत्यक्ष कर तथा उसके द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता का अंतर है। (व्यवहार में, कर युक्त वस्तुएँ व आर्थिक सहायता प्राप्त वस्तुएं एक समान नहीं होती, इसलिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की गणना राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है।)

लाभ

3.2.5 उद्यमों द्वारा अर्जित समस्त लाभ उसके स्वामियों (शेयर होल्डरों) में नहीं बांटा जाता। सरकार उद्यमों के लाभ पर कर लगाती है। यह "निगम कर" कहलाता है। उद्यम इस अपने लाभ में से भुगतान करता है। इसके अतिरिक्त, उद्यम को अपने कार्यकलापों का विस्तार करना होता है या अप्रत्याशित खर्चों को भी वहन करना होता है। इसलिए वह अपने लाभ का एक भाग अपने पास रख लेता है। अपने पास रखे गए लाभ के भाग को "अवितरित लाभ" कहते हैं। इस प्रकार कुल अर्जित लाभ का केवल एक भाग ही अंश धारियों (शेयर होल्डरों) को लाभांश के रूप में बांटा जाता है।

3.2.6 उत्पादन-लेखा का दायां पक्ष विक्रय का मूल्य 9000 रु० और स्टॉक में वृद्धि 1000 रु० दिखाता है। हम "स्टॉक में वृद्धि" की संकल्पना को पहले ही जान चुके हैं। इसमें कच्चा माल, अर्धनिर्मित वस्तुएँ व निर्मित वस्तुएँ शामिल रहती हैं। दायें पक्ष का योग बाजार कीमत पर सकल उत्पादन है। जैसाकि हम पहले ही देख चुके हैं कि बाजार कीमत में हमेशा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल रहते हैं।

मूल्य वृद्धि (Value Added)

3.2.7 हम जानते हैं कि जो वस्तुएं मध्यवर्ती उपभोग के लिए प्रयोग में लाई गई थी उनका मूल्य उत्पादित नहीं किया गया था। बल्कि वे एक उद्यम (उत्पादक) द्वारा दूसरे उद्यम (उत्पादक) से खरीदी गई थी (एक भारतीय किसान का उदाहरण याद करिए, जो वस्तुएँ उत्पादन करने के लिए विभिन्न मध्यवर्ती आगतों (वस्तुओं) को दूसरे उत्पादक (उद्यम) से खरीदता है) इसलिए XYZ उद्यम (उत्पादक) का वर्तमान (चालू) वस्तुओं व सेवाओं के प्रवाह में योगदान ज्ञात करने के लिए, हमें उसके उत्पादन-मूल्य (Value of Output) में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा। ऐसा करके, हम उद्यम (उत्पादक) द्वारा सकल मूल्य वृद्धि का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। इसे पृष्ठ 40 पर दिखाया गया है-

XYZ उद्यम (उत्पादक) द्वारा सकल मूल्य वृद्धि का विवरण 1984-85 लेखा वर्ष में

1.	मूल्यह्रास	400
2.	शुद्ध अप्रत्यक्ष कर	200
3.	मजदूरी और वेतन	4,000
4.	ब्याज	300
5.	किराया	600
6.	लाभ	1500
7.	एकल मूल्य वृद्धि व्यय	7000
8.	बिक्री	9000
9.	स्टॉक में वृद्धि घटाओ	1,000
10.	मध्यवर्ती उपभोग बाजार मूल्य पर सकल मूल्य वृद्धि	7000

बाँया पक्ष, सकल मूल्य वृद्धि की लागत (व्यय) को दिखाता है। उत्पादन साधनों ने मध्यवर्ती वस्तुओं (आगतों Inputs) का प्रयोग करके 7000 रु० मूल्य की वृद्धि या सृजन किया। दांया पक्ष, उत्पादक (उद्यम) द्वारा अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं के प्रवाह में योगदान दिखाता है।

3.2.8 मूल्य वृद्धि की दो अवधारणाएँ हैं एक है सकल मूल्य वृद्धि, जिसका हमने ऊपर विवरण दिया है। दूसरी अवधारणा शुद्ध मूल्य वृद्धि की है। सकल मूल्य वृद्धि और शुद्ध मूल्य वृद्धि में अंतर अचल पूँजी का उपभोग है। शुद्ध मूल्य वृद्धि जानने के लिए हमें सकल मूल्य वृद्धि में से मूल्य ह्रास घटाना होगा। इसे निम्न प्रकार से दिखाया गया है—

1984-85 वर्ष में XYZ उद्यम (उत्पादक) द्वारा शुद्ध मूल्य वृद्धि का विवरण

(रुपयों में)

1.	शुद्ध अप्रत्यक्ष कर	200
2.	मजदूरी व वेतन	4000
3.	ब्याज	300
4.	किराया	600
5.	लाभ	1500
6.	शुद्ध मूल्य वृद्धि की लागत (व्यय)	6,600
7.	बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि घटाओ	7,000
8.	मूल्य- ह्रास	400
9.	बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि	6,600

3.2.9 आगे, बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि में से यदि हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दें तो हमें साधन लागत (Factor Costs) पर शुद्ध मूल्य वृद्धि प्राप्त हो जाती है। यह उत्पादक क्षेत्रक की शुद्ध मूल्य वृद्धि की लागत है, और उत्पादन साधनों के स्वामियों की आय (साधन आय) है इसलिए साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि, किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ की साधन आय के बराबर होती है। इसे निम्न प्रकार से दिखाया गया है:

1984-85 वर्ष में XYZ उद्यम (उत्पादक) द्वारा साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि का विवरण

(रुपयों में)

1.	मजदूरी व वेतन	4,000
2.	ब्याज	300
3.	किराया	600
4.	लाभ	1,500
5.	शुद्ध मूल्य वृद्धि पर लागत	6,400
6.	बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि घटाओ	6,600
7.	शुद्ध अप्रत्यक्ष कर	200
8.	शुद्ध मूल्य वृद्धि साधन लागत पर	6,400

3.2.10 घरेलू सीमा में अन्य उत्पादक उद्यमों के लिए भी इसी विधि का प्रयोग करके हम प्रत्येक उद्यम द्वारा शुद्ध मूल्य वृद्धि को ज्ञात कर सकते हैं। समस्त उद्यमों द्वारा उत्पादित शुद्ध मूल्य वृद्धि को जोड़कर हम घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी उद्यमों की शुद्ध मूल्य वृद्धि प्राप्त करते हैं।

स्व-नियोजित व्यक्तियों की मिश्रित आय

3.2.11 परिवार क्षेत्रक (उत्पादक परिवार), अधिकांश उद्यम जैसे किसान, छोटे निर्माणकर्ता मरम्मत करने वाली दुकाने, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, और स्व-नियोजित व्यक्ति जैसे डाक्टर और वकील आदि अपना उचित हिसाब-किताब नहीं रखते। भारत जैसे विकासशील देश में एक परिवार के सदस्य घरेलू पारिवारिक उद्यम में काम

करते हैं और कोई मजदूरी नहीं लेते। इस स्थिति में, किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ में कोई अंतर नहीं किया जाता। ये व्यक्ति मजदूरी आय (Labour Income) और सम्पत्ति आय (किराया व ब्याज) को अलग नहीं करते। इस समस्या के कारण, स्व-नियोजित व्यक्तियों की मिश्रित आय की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ। स्व-नियोजित व्यक्तियों की मिश्रित आय में स्व-लेखा श्रमिकों (व्यक्तियों) की कुल आय और अनिगमित उद्यमों के सृजित लाभ शामिल रहते हैं। दूसरे शब्दों में, स्व-नियोजित व्यक्तियों की कुल आय इसी वर्ग (मिश्रित आय) में आती है। अनिगमित उद्यमों में जहाँ भूमि व इमारतों से किराया जाय, श्रमिकों की मजदूरी वेतन और कर्ज पर ली गई पूंजी पर प्राप्त ब्याज को अलग-अलग करना संभव है,केवल उनके लाभ को ही मिश्रित आय में शामिल किया जाता है।

3.2.12 उन उद्यमों में, जहाँ स्व-नियोजित व्यक्तियों की मिश्रित आय की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है, साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि,स्वनियोजित व्यक्तियों की मिश्रित आय के बराबर होती है। इसलिए, सभी उद्यमों, निगमित, अर्ध-निगमित उद्यमों,परिवारों और स्वनियोजित व्यक्तियों की शुद्ध मूल्य वृद्धि का योग करके हम घरेलू सीमा में शुद्ध मूल्य वृद्धि प्राप्त करते हैं।

सामान्य सरकारी क्षेत्रक में उत्पादन मूल्य

3.2.13 हम पहले ही देख चुके हैं कि सरकारी क्षेत्रक की बिल्कुल अलग ही स्थिति है क्योंकि यह वस्तुओं व सेवाओं को बेचता नहीं बल्कि उन्हें नागरिकों को प्रदान करता है। इसलिए सरकारी उत्पाद का बाजार मूल्य ज्ञात करना सम्भव नहीं है। फिर भी,हम इस समस्या का समाधान लागत पक्ष से कर सकते हैं। सरकार के उत्पादन का एक सरलीकृत विवरण आगे दिखाया गया है।

1984-85 लेखा वर्ष में सामान्य सरकार का उत्पादन-विवरण

(रुपयों में)

1.	मध्यवर्ती उपभोग	5,000
2.	मजदूरी व वेतन (कर्मचारियों का पारिश्रमिक)	20,000
3.	सकल उत्पाद की लागत	25,000
4.	सार्वजनिक बिक्री	2,000
5.	जनसाधारण को पूर्ति	23,000
6.	उत्पादक का मूल्य	25,000

शुद्ध मूल्य वृद्धि जानने के लिए, हमें उत्पादन-मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग को घटाना होगा। यह निम्न प्रकार से किया गया है

1984-85 लेखा वर्ष में सामान्य सरकार द्वारा शुद्ध मूल्य वृद्धि का विवरण

(रुपयों में)

1.	कर्मचारियों का पारिश्रमिक	20,000
2.	शुद्ध मूल्य वृद्धि की लागत	20,000
3.	उत्पादक का मूल्य घटायें	25,000
4.	मध्यवर्ती उपभोग	5,000
5.	साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि	20,000

उपरोक्त विवरण के बांयें पक्ष की ओर किराया, ब्याज और लाभ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और मूल्य-ह्रास नहीं हैं, क्योंकि सरकारी इमारतों के किराए के कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं है इसलिए किराया शून्य माना गया है। लाभ का प्रश्न उठता ही नहीं, क्योंकि सरकार वस्तुएँ व सेवाएँ बेचती नहीं। फिर सरकार की अचल परिसम्पत्तियों जैसे सड़कों, पुलों व इमारतों आदि पर मूल्य-ह्रास के आँकड़े भी उपलब्ध नहीं होते, इसलिए मूल्य-ह्रास भी शून्य माना जाता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी नहीं होंगे क्योंकि वस्तुएँ व सेवाएँ बेची नहीं जातीं।

3.2.14 उपरोक्त विवरण सिद्ध करता है कि सामान्य सरकार द्वारा शुद्ध मूल्य वृद्धि केवल
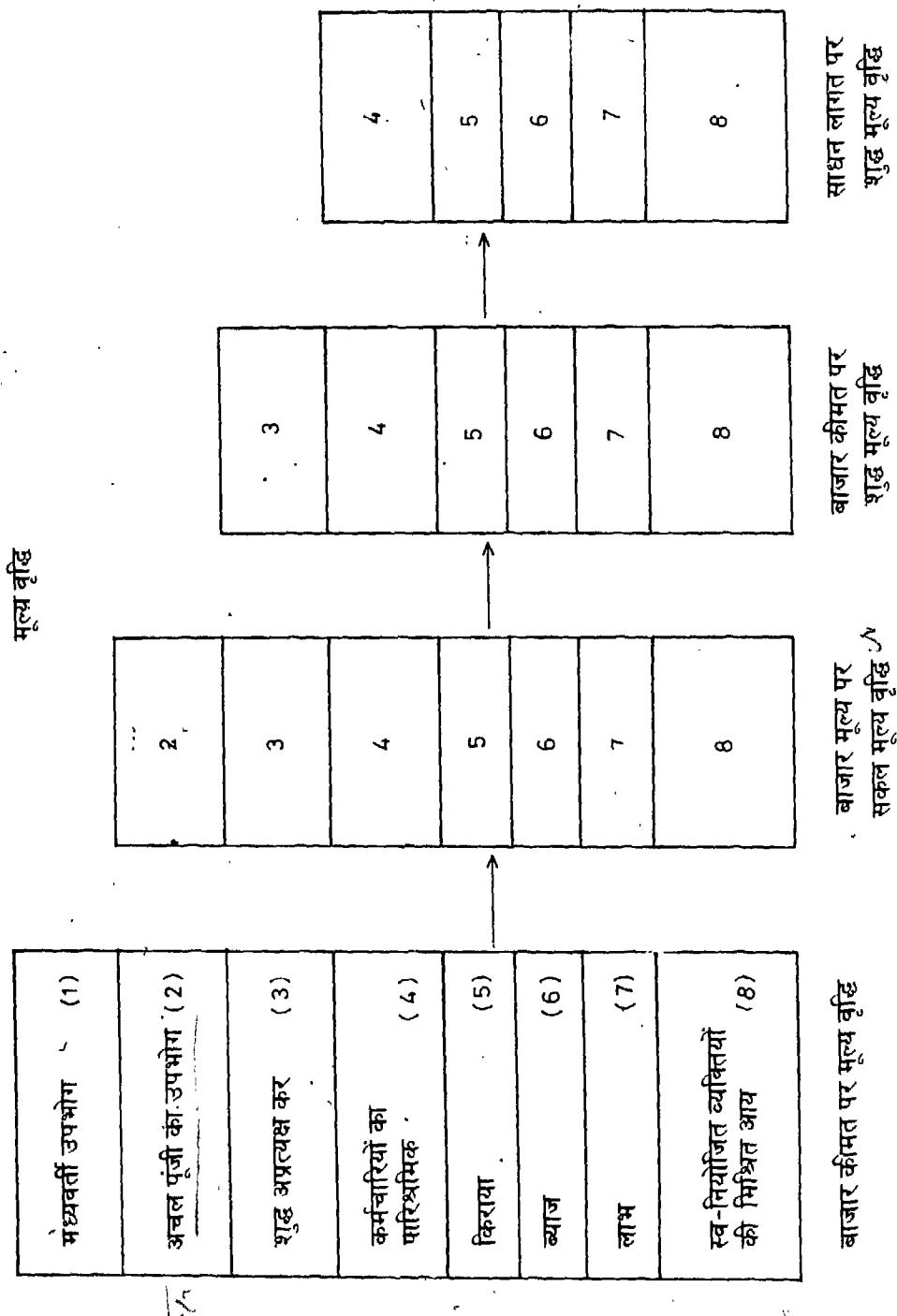
मूल्य वृद्धि

चित्र 3.2

कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बराबर होती है।

3.2.15 घरेलू सीमा के अंतर्गत शुद्ध मूल्य वृद्धि को, निगमित और अर्ध-निगमित क्षेत्रक, सामान्य सरकारी क्षेत्रक, और परिवार क्षेत्रकों द्वारा शुद्ध मूल्य-वृद्धि का योग करके प्राप्त किया जाता है। चित्र 3.2 घरेलू स्तर पर मूल्य वृद्धि की विभिन्न अवधारणाओं को संक्षिप्त रूप में निरूपित करता है।

अभ्यास 3.1

1. टिकाऊ वस्तुओं, और गैर-टिकाऊ वस्तुओं व सेवाओं के चार-चार उदाहरण दीजिए।
2. मध्यवर्ती उपभोग क्या है? उन क्षेत्रकों के नाम बताइये जो मध्यवर्ती आगतों (Inputs) को प्रयोग करते हैं।
3. मध्यवर्ती उपभोग के पांच उदाहरण दीजिए।
4. सामान्य सरकार द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती उपभोग के पांच उदाहरण दीजिए।
5. निवासीय व गैर-निवासीय भवनों के मध्यवर्ती उपभोग के तीन-तीन उदाहरण दीजिए।
6. सरकार द्वारा मध्यवर्ती उपभोग के रूप में प्रयोग की जाने वाली टिकाऊ वस्तुओं के तीन उदाहरण दीजिए।
7. क्या सरकार द्वारा प्राप्त उपहार मध्यवर्ती उपभोग का अंग है। पांच उपहारों के नाम बताइए।
8. क्या पुरानी वस्तुओं की सरकार द्वारा शुद्ध बिक्री मध्यवर्ती उपभोग का अंग हैं? इस प्रकार की बिक्री के चार उदाहरण दीजिए।
9. उन क्षेत्रकों के नाम बताइये जो वस्तुओं व सेवाओं की मांग अंतिम उपभोग के लिए करते हैं।
10. सरकार के अंतिम उपभोग के तत्व बताइए।
11. सरकार द्वारा बेची जाने वाली चार वस्तुएँ बताइए।
12. परिवारों द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदी जाने वाली चार वस्तुओं और सेवाओं के नाम बताइये। प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए।
13. उपभोक्ता परिवारों से संबंधित तीन ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण दीजिए जो विदेशों में क्रय करते हैं।
14. ऐसी चार वस्तुओं के नाम बताइये जो परिवारों द्वारा खरीदी नहीं जाती परन्तु उनके उपभोग व्यय का अंग होती है।
15. उपभोक्ता परिवारों द्वारा बेची जाने वाली पुरानी वस्तुओं की चार मदें बताइए।
16. सभी उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के प्रयोग बताइये।
17. बाजार में खरीदे गए एक रेफ्रिजरेटर के कौन-कौन से उपयोग हो सकते हैं।
18. क्या उपभोक्ता परिवारों द्वारा नये मकानों का क्रय अंतिम उपभोग है? कारण दीजिए?
19. स्व-लेखा उत्पादन पर अचल परिसम्पत्तियों के चार उदाहरण दीजिए।
20. सकल पूँजी निर्माण की परिभाषा दीजिए और नई परिसम्पत्तियों के तीन नाम बताइए जो सकल अचल पूँजी निर्माण में शामिल की जाती हैं।
21. ऐसी नई परिसम्पत्तियों के पांच उदाहरण दीजिए जो घरेलू सीमा के अंतर्गत अचल पूँजी निर्माण का भाग होती है।
22. सकल घरेलू अचल पूँजी निर्माण के घटक बताइए।
23. स्टॉक में परिवर्तन के घटक बताइये।
24. अचल पूँजी का उपभोग और पूँजीगत हानि में अंतर बताइए। पूँजीगत हानि के उदाहरण दीजिए।
25. सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के तीन प्रकार बताइए।
26. एक वस्तु की कीमत पर, (अ) कर (ब) आर्थिक सहायता का क्या प्रभाव होता है।
27. ''स्वः नियोजित व्यक्तियों की मिश्रित आय'' अवधारणा का महत्त्व बताइए।
28. अन्तर बताइए:
    (अ) उत्पादन-मूल्य और बाजार कीमत पर मूल्य वृद्धि।
    (ब) बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि और शुद्ध-मूल्य वृद्धि।
    (स) बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि और साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि।
29. सामान्य सरकारी क्षेत्रक में उत्पाद मूल्य और मूल्य वृद्धि में अंतर बताइए।
30. सरकारी क्षेत्रक में कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य साधन आय शून्य होती हैं। क्यों।

अभ्यास 3.2

1. निम्न आँकड़ों से ABC उद्यम के 1980-81 लेखा वर्ष में ज्ञात करिये—(1) बाजार कीमत पर उत्पाद मूल्य (2) बाजार कीमत पर मूल्य वृद्धि (3) बाजार मूल्य पर सकल मूल्य वृद्धि। (4) बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। और (5) साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि।

1. मध्यवर्ती वस्तुओं (आगतों का क्रय)	200 रु०
2. अचल पूँजी का उपभोग	50 रु०
3. अप्रत्यक्ष कर	75 रु०
4. आर्थिक सहायता	25 रु०
5. मजदूरी व वेतन	400 रु०
6. किराया	60 रु०
7. ब्याज	40 रु०
8. लाभ	100 रु०
9. विक्रय	800 रु०
10. स्टॉक में वृद्धि	100 रु०

2. निम्न सूचना से XYZ उद्यम के 1981-82 लेखा वर्ष में उपरोक्त प्रश्न सं 1 में दिए गए क्रम (1), (2), (3), (4) व (5), मूल्यों को ज्ञात करिए:

1. आरम्भिक स्टॉक	400रु०
2. अन्तिम स्टॉक	200रु०
3. कच्चे माल का क्रय	300रु०
4. विक्रय	1600रु०
5. निगम कर	100रु०
6. अवितरित लाभ	50रु०
7. लाभांश	50रु०
8. किराया	150रु०
9. अचल पूँजी का उपभोग	200रु०
10. अप्रत्यक्ष कर	150रु०
11. आर्थिक सहायता	50रु०
12. मजदूरी व वेतन	350रु०
13. ब्याज	100 रु०

3. निम्न आँकडों से सरकारी क्षेत्रक में शुद्ध मूल्य वृद्धि ज्ञात करिए:

1. बेची गई सेवाओं का मूल्य	300रु०
2. प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य	3000रु०
3. मध्यवर्ती उपभोग	600 रु०
4. कर्मचारियों का पारिश्रमिक	2700रु०

4. निम्न आँकड़ों से सरकार द्वारा बेची गई सेवाओं का मूल्य ज्ञात करो:

1. मध्यवर्ती उपभोग	200रु०
2. प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य	2000रु०
3. कर्मचारियों का पारिश्रमिक	2600रु०

5. निम्न आँकड़ों से सरकारी क्षेत्रक में कर्मचारियों का पारिश्रमिक ज्ञात करो:

अ. उत्पादक मूल्य	2000 रु०
ब. मध्यवर्ती आगतें	500 रु०
अ. सेवाओं की बिक्री	400 रु०
अ. सेवाओं की पूर्ति	1600 रु०

अभ्यास 3.3

1. सही उत्तर पर निशान लगाएँ :
   टिकाऊ वस्तुएँ हैं–
   अ. डबलरोटी और मक्खन
   ब. उर्वरक
   स. ट्रक व बसें
   द. परिवहन सेवाएँ
2. गैर-टिकाऊ वस्तुएँ वे हैं जिनके उपयोग का अनुमानित जीवन -
   अ. छः महीने हैं
   ब. नौ महीने हैं
   स. एक वर्ष से कम हैं
   द. एक वर्ष से अधिक है
3. मध्यवर्ती उपयोग की मांग निम्न की होती है-
   अ. उपभोक्ता परिवार
   ब. केवल सरकार
   स. केवल परिवारिक उद्यम
   द. अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रकों की
4. अचल पूँजी के नये भागों पर व्यय निम्न का भाग है-
   अ. मध्यवर्ती उपभोग
   ब. अंतिम उपभोग
   स. अचल पूँजी
   द. पूँजीगत उपभोग
5. उद्यामों द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया व्यय
   अ. अंतिम उपभोग व्यय का भाग है।
   ब. मध्यवर्ती उपभोग व्यय का भाग है।
   स. अचल पूँजी का भाग है।
   द. अचल पूँजी उपभोग का भाग है।
6. सरकार द्वारा सैनिक उद्देश्य के लिए निर्मित इमारतें (सैनिक अधिकारियों के लिए आवासीय भवनों के अतिरिक्त) निम्न का भाग है–
   अ. मध्यवर्ती उपभोग
   ब. अचल परिसम्पत्तियाँ
   स. जनसाधारण को प्रदान की गई वस्तुएँ
   द. जनसाधारण को विक्रय
7. सरकार द्वारा किस्म के रूप में प्राप्त उपहार–
   अ. अचल पूँजी है।
   ब., जनसाधारण को पूर्ति है।
   स. मध्यवर्ती उपभोग है
   द. टिकाऊ वस्तुएँ हैं।
8. सरकार द्वारा पुरानी वस्तुओं की शुद्ध बिक्री –
   अ. मध्यवर्ती उपभोग है।
   ब. उन मदों का भाग है, जो सरकार द्वारा की गई नई वस्तुओं व सेवाओं के क्रय में से, मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य ज्ञात करने के लिए घटाई जाती है।
   स. अंतिम उपभोग है।
   द. पूँजी निर्माण हैं।

9. सरकार द्वारा चालू खाते पर विदेशों में प्रत्यक्ष क्रय—
   अ. अचल पूँजी का उपभोग है।
   ब. अंतिम भाग है।
   स. पूँजी निर्माण है।
   द. किस्म के रूप में प्राप्त उपहार है।
10. उपभोक्ता परिवार द्वारा खरीदी गई टिकाऊ वस्तुएँ हैं—
   अ. रेफ्रिजरेटर और धुलाई-मशीन।
   ब. वस्त्र और फर्नीचर।
   स. तेल और साबुन।
   द. बिजली के उपकरण।
11. उपभोक्ता अर्ध-टिकाऊ वस्तुओं के उदाहरण हैं-
   अ. कार व टेलिविजन सेट।
   ब. बिजली के उपकरण जैसे पंखे व इस्त्री।
12. मालिकों द्वारा खुद-काबिज इमारतों का आरोपित किराया—
   अ. पूँजी-निर्माण का भाग है।
   ब. अंतिम उपभोग का भाग है।
   स. मध्यवर्ती उपभोग का भाग है।
   द. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु है।
13. उपभोक्ता परिवार द्वारा खरीदी गई कार—
   अ. उपभोक्ता वस्तु है।
   ब. मध्यवर्ती वस्तु है।
   स. पूँजीगत वस्तु है।
   द. मध्यवर्ती उपभोग है।
14. इंडियन एयर लाइन्स द्वारा एक वायुयान का क्रय —
   अ. पूँजीगत वस्तु है।
   ब. मध्यवर्ती वस्तु है।
   स. उपभोक्ता वस्तु है।
   द. मध्यवर्ती वस्तु है।
15. सरकार द्वारा मुख्य रूप से सैनिक उद्देश्य के लिए प्रयुक्त वायुयान व हैलीकाप्टर—
   अ. उपभोग वस्तुएँ है।
   ब. उद्यमों को बिक्री है।
   स. पूँजीगत वस्तुएँ हैं।
   द. पूँजी निर्माण है।
16. विदेशों से पुरानी भौतिक परिसम्पत्तियों का शुद्ध-क्रय देश द्वारा—
   अ. उपभोग व्यय है।
   ब. मध्यवर्ती उपभोग है।
   स. अंतिम उपभोग व्यय है।
   द. घरेलू अचल पूँजी निर्माण है।
17. किसी भी क्षेत्रक द्वारा स्व-लेखा पर उत्पादित नई अचल परिसम्पत्तियाँ—
   अ. अंतिम उपभोग है।
   ब. मध्यवर्ती उपभोग है।
   स. पूँजी निर्माण है।
   द. स्टॉक परिवर्तन है।
18. सरकार के पास अनाज के स्टाक में वृद्धि।
   अ. पूँजी निर्माण।

ब. सरकार उपभोग व्यय है।
स. मध्यवर्ती उपभोग है।
द. अंतिम उपभोग है।

19. अचल पूँजी उपभोग का अर्थ है –
अ. पूँजी का आग से नष्ट होना।
ब. निरन्तर प्रयोग से मशीनों की टूट-फूट।
स. खनिज संसाधनों की कमी होना।
द. चोरी होने से मशीनरी में हानि।

20. अप्रत्यक्ष कर प्रभाव
अ. कीमतों में वृद्धि करना है।
ब. कीमतों में कमी करना है।
स. कीमतों को स्थिर रखना है।

21. किसी वस्तु पर सरकारी आर्थिक सहायता–
अ. वस्तु की बाजार कीमत बढ़ाती है।
ब वस्तुओं की बाजार कीमत को कम करती हैं।
स. कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डालती।
द वस्तु के उत्पादन को कम करती है।

22. उत्पादन-मूल्य और मूल्य-वृद्धि में अन्तर किया जा सकता है यदि हम जानते हैं–
अ. मध्यवर्ती उपभोग मूल्य।
ब. शुद्ध अप्रत्यक्ष करों का मूल्य।
स. विक्रय मूल्य।
द. अचल पूँजी उपभोग मूल्य।

अभ्यास 3.4

1. निम्न वस्तुओं व सेवाओं को उपभोक्ता, मध्यवर्ती और पूँजीगत वस्तुओं में वर्गित करिए–
   1. हलवाई द्वारा दूध का प्रयोग
   2. उपभोक्ता द्वारा साइकिल का क्रय
   3. वस्त्र बनाने की मशीन
   4. गृह-निर्माण
   5. उपभोक्ता परिवार द्वारा डबलरोटी और मक्खन का प्रयोग
   6. एक उपभोक्ता परिवार द्वारा निजी डॉक्टर की सेवा का प्रयोग
   7. एक किसान द्वारा उर्वरकों का प्रयोग
   8. एक उपभोक्ता परिवार द्वारा यात्री बस की सेवा का प्रयोग
2. निम्न उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं को टिकाऊ, गैर-टिकाऊ वस्तुओं और सेवाओं में वर्गित करिए–
   1. रेफ्रिजरेटर
   2. वस्त्र
   3. खाने का तेल
   4. एक अध्यापक द्वारा दी गई ट्यूशन
   5. एक डॉक्टर द्वारा मरीज देखने जाना
   6. कपड़े धोने का साबुन
   7. फर्नीचर
   8. ट्रॉजिस्टर रेडियो
3. निम्नलिखित सकल अचल पूँजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन में वर्गित करिए।
   1. सरकार द्वारा निर्मित सड़कें और पुल।

2. एक किसान के पास गाय व भैंसों की संख्या में वृद्धि। - inventory formation
3. एक ट्रान्सपोर्ट कम्पनी द्वारा नये ट्रकों का क्रय।
4. एक उपभोक्ता परिवार द्वारा नये कमरे का निर्माण।
5. विदेशों से पुराने रेल-इंजिनों का क्रय।
6. एक वर्ष में अनिवार्य वस्तुओं के सुरक्षित भंडार में कमी।
7. उपभोक्ता परिवारों द्वारा नये मकानों का क्रय।

4. निम्न को मध्यवर्ती उपभोग और अंतिम उपभोग में वर्गित करिए–

1. मशीनों की मरम्मत पर किया गया व्यय।
2. उपभोक्ता परिवारों द्वारा कपड़े धोने की मशीन पर किया गया व्यय।
3. उपभोक्ता परिवारों द्वारा मकानों के किराये का भुगतान।
4. एक उत्पादक परिवार द्वारा भवन की मामूली मरम्मत पर किया व्यय।
5. भवनों पर रंगाई करना।
6. सरकार द्वारा विदेशों से गैर-टिकाऊ वस्तुओं को हस्तान्तरण के तौर पर प्राप्त करना।
7. सरकार द्वारा विदेशों में किया गया प्रत्यक्ष क्रय।

अभ्यास 3.5

रिक्त स्थानों को भरिए:

1. एक व्यावसायिक उद्यम के कर्मचारियों की यात्रा तथा मनोरंजन पर किए गए व्यापारिक खर्चे.............. है। (मध्यवर्ती उपभोग/अंतिम उपभोग)
2. सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुएँ व सेवाएँ एवं जनसाधारण को प्रदान की गई वस्तुओं का मूल्यांकन............... पर किया जाता है। (साधन लागत पर/बाजार कीमत पर)
3. सामान्य सरकार द्वारा सैनिक ट्रकों पर किया गया व्यय.......... है। (उपभोग व्यय/पूँजी निर्माण)
4. सरकार द्वारा वस्तुओं व सेवाओं की बिक्री........ है। (अंतिम उपभोग/उत्पादन)
5. उपभोक्ता परिवारों द्वारा किस्म के रूप में प्राप्त मजदूरी व वेतन.........है। (अंतिम उपभोग व्यय/पूँजी निर्माण)
6. विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा विदेशों में किए गए प्रत्यक्ष क्रय........ है। (अंतिम उपभोग व्यय/मध्यवर्ती उपभोग)
7. एक ठंडे-पेय की दुकान द्वारा एक रेफ्रिजरेटर का क्रय............ पर किया गया व्यय है। (उपभोक्ता व्यय/पूँजीगत वस्तु)
8. एक उपभोक्ता परिवार द्वारा नए मकान के क्रय पर किया गया व्यय......... है। (उपभोग व्यय/पूँजी निर्माण)
9. टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइनों का निर्माण.........है। (पूँजी निर्माण/उपभोग व्यय)
10. पानी की निकासी के लिए नहरों का निर्माण....... है। (मध्यवर्ती उपभोग/पूँजी निर्माण)
11. एयरपोर्ट पार्किंग क्षेत्र का निर्माण....... है। (अंतिम उपभोग व्यय/पूँजी निर्माण)
12. उद्यमों (व्यापारियों) के पास अनाज के स्टॉक में वृद्धि........ है। (पूँजी निर्माण/विक्रय)
13. एक उद्यम द्वारा सरकार से पुरानी भौतिक परिसम्पत्तियों का क्रय (पूँजी निर्माण/अचल परिसम्पत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन)
14. एक लेखा वर्ष के अंत में एक उद्यम के पास पड़ा सारा कच्चा माल, अर्ध-निर्मित माल व निर्मित माल...........है। (मध्यवर्ती वस्तुएँ/स्टॉक)
15. अचल पूँजी उपभोग को .... के रूप में परिभाषित किया जाता है। (चालू प्रतिस्थापन लागत/पूँजीगत हानि)
16. लाभांश.........का भाग है। (लाभ/मजदूरी)
17. मूल्य ह्रास, सकल मूल्य वृद्धि और.........का अंतर है। (उत्पाद मूल्य/शुद्ध मूल्य-वृद्धि)
18. शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि और .... का अंतर है। (सकल मूल्य वृद्धि साधन लागत पर/बाजार कीमत पर उत्पादन मूल्य)
19. सरकारी क्षेत्रक में शुद्ध मूल्य वृद्धि............के बराबर है। (उत्पादन-मूल्य/कर्मचारियों के पारिश्रमिक)
20. ....में अचल पूँजी-उपभोग का प्रश्न नहीं उठता। (सरकारी क्षेत्रक/परिवार क्षेत्रक)

अध्याय 4

आय का सृजन

उत्पादन प्रक्रिया के दौरान आय का सृजन

4.1.1 हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक उद्यम का वस्तुओं व सेवाओं के चालू प्रवाह में योगदान, साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि है। शुद्ध मूल्य वृद्धि उत्पादन के प्राथमिक साधनों (भूमि, श्रम, पूँजी और उद्यम) की उत्पादन क्रिया का परिणाम है। इसलिए, उद्यम द्वारा शुद्ध मूल्य वृद्धि में उनका अंश (हिस्सा) होता है। शुद्ध मूल्य वृद्धि और साधन आय एक ही चीज है, परन्तु शुद्ध मूल्य वृद्धि उद्यम (उत्पादक) पक्ष की ओर से देखी जाती है और साधन आय साधनों के स्वामियों के पक्ष की ओर से। साधन आय साधन आगतों की आय है। ये उत्पादक क्षेत्रकों की ओर से भुगतान है, जो वे साधनों के स्वामियों को उनके द्वारा दी गई उत्पादक सेवाओं के बदले में देते हैं।

4.1.2. हम भारतीय अर्थव्यवस्था से एक उदाहरण लें और शुद्ध मूल्य वृद्धि तथा साधन आय की समानता को देखें। निम्न, सरकारी गैर-विभागीय उद्यमों का लेखा वर्ष 1981-82 में उत्पादन-लेखा एक उदाहरण है।

चालू (वर्तमान) कीमतों पर	*करोड़ रु० में*
1. मध्यवर्ती उपभोग	32,439
2. कर्मचारियों का पारिश्रमिक (मजदूरी व वेतन)	6,354
3. ब्याज किराया व लगान	5,762
4. मूल्य ह्रास (अचल पूँजी का उपभोग)	1,926
5. शुद्ध अप्रत्यक्ष कर	
(क) अप्रत्यक्ष कर	2,466
(ख) आर्थिक सहायता	2,042
6. सकल आगतें	46,905
7. वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन का मूल्य	46,905
8. बाजार कीमत पर सकल उत्पादन	46,905

गैर-विभागीय उद्यमों की शुद्ध मूल्य वृद्धि विवरण

1. कर्मचारियों का पारिश्रमिक (मजदूरी व वेतन)	6,354
2. ब्याज, किराया व लाभ	5,762
3. कुल साधन आय	12,116
4. उत्पादन का मूल्य घटाओ	46,905
5. मध्यवर्ती उपभोग	32,439
6. शुद्ध अप्रत्यक्ष कर	424
7. (अचल पूंजी का उपभाग) मूल्य ह्रास	1,926
8. शुद्ध मूल्य वृद्धि	12,116

घरेलू साधन आय

4.2.1 एक देश की घरेलू सीमा के अन्तर्गत सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित आय घरेलू साधन आय कहलाती है। यह साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि भी है। दूसरे शब्दों में, यह साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है (Net Domestic Product at Factor Cost)। सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, यह एक देश की घरेलू सीमा के अन्तर्गत सभी उत्पादकों द्वारा शुद्ध मूल्य वृद्धि है। कुछ उत्पादक विदेशी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम भारत में विदेशी बैंकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों व उद्यमों को वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हुए देखते हैं। बहुत से विदेशी भी भारत के निवासी उद्यमों (Resident Enterprises) में काम करते हैं। उनके द्वारा शुद्ध मूल्य वृद्धि भारत के घरेलू उत्पाद और घरेलू आय का भाग है क्योंकि वे भारत की घरेलू सीमा में काम कर रहे हैं।

4.2.2 घरेलू साधन आय निम्न में बांटी जाती है:

(1) कर्मचारियों का पारिश्रमिक

(2) प्रचालन या परिचालन-अधिशेष

(3) स्व-नियोजितों की मिश्रित आय

कर्मचारियों का पारिश्रमिक

4.2.3 इसके अन्तर्गत उत्पादकों द्वारा अपने कर्मचारियों को मजदूरी व वेतन (नकद व किस्म के रूप में) का भुगतान, कर्मचारियों के लिए मालिकों द्वारा दिया गया सामाजिक सुरक्षा अंशदान व निजी पेंशन भुगतान, पारिवारिक भत्ता, दुर्घटना बीमा, भुगतान शामिल रहते हैं। यह विस्तृत रूप मे... घटकों में बांटा जाता है:

(अ) मजदूरी व वेतन : इसके अन्तर्गत वे म... भुगतान शामिल रहते हैं जो कर्मचारी नकद... किस्म के रूप में, अपने कार्य के बदले में प्रा... करते हैं — इसमें से सामाजिक सुरक्षा अंशदा... और प्रत्यक्ष कर (आय कर) आदि अभी नहीं घटा... गए हैं। किस्म के रूप में मजदूरी के उदाहरण... किराया-मुफ्त क्वार्टर और मुफ्त राशन/कमीश... बोनस, निर्वाह-व्यय (Cost of Living) जै... हमारे देश में दिया गया महंगाई भत्ता, अवकाश... बीमारी अवकाश के भत्ते, जो मालिकों द्वा... कर्मचारियों को प्रत्यक्ष भुगतान किये जाते... इसमें शामिल होते हैं।

यात्रा सम्बन्धी व अन्य व्यापारिक खर्चे... कर्मचारियों द्वारा किये जाते हैं और जिन... प्रतिपूर्ति मालिकों द्वारा की जाती है, मजदूरी... वेतन से बाहर रखे जाते हैं। (स्मरणीय बात है कि... इस प्रकार के खर्चे मालिकों के मध्यवर्ती उपभो... का भाग है।)

(ब) मालिकों (नियोजकों) द्वारा सामाजिक सुर... योजना में अंशदान।

मालिक (नियोजक) दुर्घटना बीमा व जीव... बीमा के लिए भुगतान करते हैं। उदाहरणस्वरू... हमारे देश में अंशदायी भविष्य निधि (Contri... butory Provident Fund) योजना है। नियोजक... द्वारा भविष्य निधि और अन्य सामाजिक सुर... योजनाओं में दिया गया अंशदान, कर्मचारियों... पारिश्रमिक का भाग है।

जहाँ तक सामान्य सरकार का सम्बन्ध है... कर्मचारियों के पारिश्रमिक में मजदूरी व वेतन... तथा पेंशन भुगतान शामिल होते हैं। मजदूरी...

वेतन के अन्तर्गत वेतन भत्ते (यात्रा व दैनिक भत्तों को निकाल कर), अधिकारियों व कर्मचारियों का मानदेय (Honorarium) सुरक्षा व पुलिस कर्मचारियों का राशन और सुरक्षा कर्मचारियों की वर्दी मूल्य शामिल रहती है। राष्ट्रपति, राज्यपालों, मंत्रियों के वेतन व भत्ते, लोकसभा के सदस्यों व विधानसभा के सदस्यों के वेतन व भत्ते भी इसमें शामिल हैं। पेंशन के अन्तर्गत पेंशन के रूप में भुगतान की गई वास्तविक राशि आती है।

जैसा पहले ही बताया जा चुका है कि यहाँ कर्मचारियों का पारिश्रमिक घरेलू अवधारणा है। इसमें, घरेलू सीमा में काम करने वाले गैर-निवासियों को किये गये भुगतान भी शामिल रहते हैं। लेकिन विदेशों में काम करने वाले निवासियों को किये गये भुगतान उससे बाहर रखे जाते हैं।

प्रचाल-अधिशेष (Opening Surplus)

4.2.4 प्रचालन-अधिशेष, उद्योगों की मूल्य वृद्धि का, कर्मचारियों के पारिश्रमिक, शुद्ध अप्रत्यक्ष करों और अचल पूँजी का उपभोग (मूल्य-ह्रास) पर आधिक्य है। वैकल्पिक रूप से, यह सम्पत्ति-आय और उद्यमवृत्ति से प्राप्त आय का योग है। (यह याद रखने की बात है कि सामान्य सरकारी क्षेत्र में, **कोई प्रचालन-शेष नहीं होता है।)**

4.2.5 सम्पत्ति आय में ब्याज, लाभांश, भूमि व इमारतों का किराया (किराये में वास्तविक किराया व मालिकों द्वारा खुद-काबिज मकानों का आरोपित किराया भी शामिल है।) आते हैं। रायल्टी भी सम्पत्ति आय का भाग है। रायल्टी, खनिज पदार्थों जैसे तेल व कोयला आदि के प्रयोग या पेटेन्ट्स व सर्वाधिकार और व्यापार-चिह्नों (Copyrights and Trade Marks) के प्रयोग के बदले में किया गया भुगतान है।

4.2.6 **उद्यमवृत्ति से प्राप्त आय प्रचालन** अधिशेष का दूसरा घटक (भाग) है। इसमें, उत्पादन व्यवस्था और जोखिम वहन करने के बदले में प्राप्त लाभ व भुगतान किए लाभ, शामिल रहते हैं। यह, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, साधन आंगतों या निविष्टियों की जिसे उद्यमवृत्ति कहते हैं, आय है।

प्रचालन-अधिशेष = साधन लागत पर सकल मूल्य-वृद्धि − कर्मचारियों का पारिश्रमिक-मूल्य-ह्रास (अचल पूँजी का उपभोग) − शुद्ध अप्रत्यक्ष कर

4.2.7 प्रचालन अधिशेष की अवधारणा सभी उत्पादक उद्यमों—निगमित व गैर-निगमित क्षेत्रकों के उद्यमों पर लागू होती है, चाहे वे निजी क्षेत्र में हों या सरकारी क्षेत्र में। सरकारी उद्यम भी अपने निवेशित फंडों पर एक उचित लाभ कमाने की आशा करते हैं।

घरेलू आय के घटक, जिनका अब तक वर्णन किया गया है, चित्र 4.1 में दिखाये गये हैं।

विदेशों से शुद्ध साधन आय

4.2.8 यह पहले ही देखा जा चुका है कि एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अन्तर्गत उत्पादित आय घरेलू आय होती है। इसमें गैर-निवासी उत्पादकों द्वारा उत्पादित आय-मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ के रूप में शामिल रहती है। गैर-निवासी श्रमिक किसी अन्य देश की घरेलू सीमा में काम करते हैं और मजदूरी व वेतन कमाते हैं। इसी प्रकार वे विदेशों में सम्पत्ति जैसे फैक्टरी, दुकानें और इमारतें आदि उपार्जित कर सकते हैं और वित्तीय परिसंपत्तियाँ जैसे बान्ड्स व शेयर
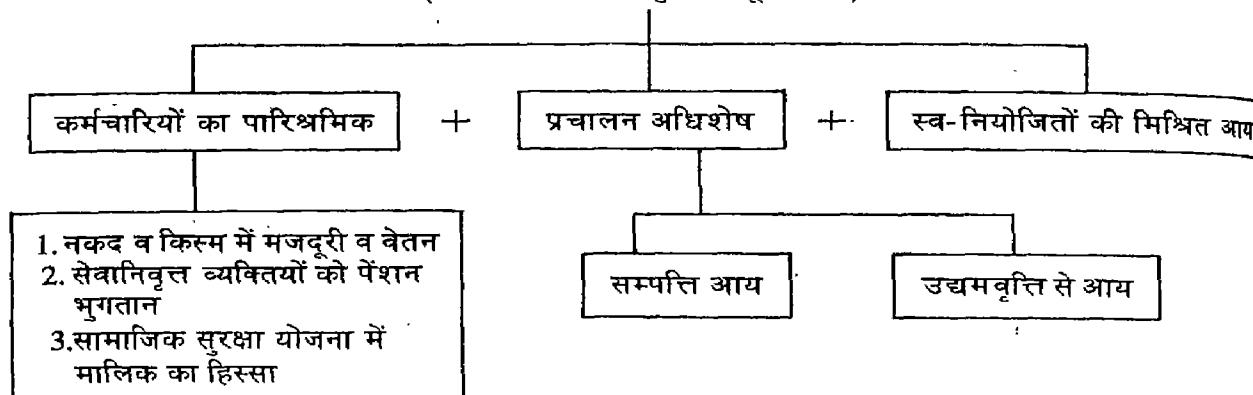
चित्र 4.1

आदि भी अर्जित कर सकते हैं। सम्पत्ति आय में किराया व ब्याज शामिल होते हैं। इसके साथ-साथ वे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके लाभ कमा सकते हैं। मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ का कुल योग उनकी स्वयं की व उनके देश की विदेशों से प्राप्त आय है। उदाहरण के लिए भारतीय निवासी विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं। भारतीय बैंक विदेशों में कार्य कर रहे हैं। भारतीय विदेशों में सम्पत्ति स्वामित्व भी प्राप्त कर लेते हैं और वे उस देश में अपनी पूँजी लगाकर उत्पादन प्रक्रिया में भी सहभागी होते हैं। इन सभी व्यक्तियों की आय, विदेशों से शुद्ध साधन आय होती है। दूसरे शब्दों में, यह विदेशों से अर्जित साधन आय है जो भारत के निवासियों द्वारा विदेशों में अपनी साधन सेवाएँ प्रदान करके कमाई गई हैं। इसी प्रकार गैर-निवासियों द्वारा भारत की घरेलू सीमा में साधन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। यह उनके देशों की विदेशों से अर्जित साधन आय है। विदेशों से शुद्ध साधन आय, विदेशों में प्रदान की गई साधन सेवाओं के बदले में प्राप्त आय और एक देश की घरेलू सीमा में गैर-निवासियों द्वारा प्रदान की गई साधन सेवाओं के बदले में भुगतान की गई आय का अन्तर है।

विदेशों से शुद्ध साधन आय की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है- "एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा शेष-विश्व को प्रदान की गई साधन सेवाओं के बदले में प्राप्त आय में से शेष-विश्व द्वारा उन्हें प्रदान की गई साधन सेवाओं के बदले में भुगतान की गई आय को घटा कर शेष जो प्राप्त है, वह विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है।"

4.2.9 विदेशों से शुद्ध साधन आय में निम्न का समावेश होता है:

(1) कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक

(2) सम्पत्ति व उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय, ब्याज, किराया, लाभ और लाभांश और

(3) विदेशों में निवासी कम्पनियों (हमारे देश की कम्पनियों) की प्रतिधारित आय (Retained Earnings) होती है।

कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक

4.2.10 शेष-विश्व से प्राप्त कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक, एक देश के निवासी कर्मचारियों (जो विदेशों में अस्थायी तौर पर रह रहे हैं या वहाँ रोजगार युक्त हैं) द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक * और इसी प्रकार उन गैर-निवासी कर्मचारियों को (जो हमारे देश में अस्थायी तौर पर रह रहे हैं या यहाँ रोजगार-युक्त हैं) किए गए भुगतान का अन्तर है। विदेशी दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और अतिरिक्त क्षेत्रीय (Extra Territorial) संस्थाओं, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विदेशी राजनयिक सैनिक प्रतिष्ठानों आदि में भर्ती किए गए स्थानीय कर्मचारी, विदेशों से कर्मचारियों के पारिश्रमिक क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

सम्पत्ति व उद्यमवृत्ति से शुद्ध आय

4.2.11 सम्पत्ति व उद्यमवृत्ति से प्राप्त शुद्ध आय, एक देश के निवासियों द्वारा ब्याज, किराया, लाभांश व लाभ के रूप में प्राप्त आय और इस प्रकार के दिए गए शेष-विश्व को भुगतानों का अन्तर है। इसमें सरकार द्वारा विदेशी ऋणों पर ब्याज भी शामिल होता है।

विदेशों में निवासी - कम्पनियों (Resident Companies) द्वारा प्रतिधारित आय

4.2.12 प्रतिधारित आय से अभिप्राय कम्पनियों के अवितरित लाभ से है। निवासी कम्पनियाँ (वे कम्पनियाँ जो किसी एक देश की होती हैं और अन्य देश की घरेलू सीमा में कार्य कर रही होती हैं।) विदेशों में अपने लाभों का एक भाग अपने अधिकार में रख लेती हैं जिससे विदेशों में आगे निवेश किया जा सके। इसी प्रकार विदेशी कम्पनियाँ जिस देश में कार्य कर रही हैं वहाँ कमाए गए लाभ का एक भाग अपने पास रखती है। विदेशी कम्पनियों द्वारा जो किसी एक देश में कार्य कर रही होती है और विदेशों में निवासी-कम्पनियों द्वारा प्रतिधारित आय का अंतर विदेशों में शुद्ध प्रतिधारित आय के बराबर होता है।

विदेशों से शुद्ध साधन आय =

कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक + विदेशों से शुद्ध सम्पत्ति आय और उद्यमवृत्ति से आय + विदेशों से शुद्ध प्रतिधारित आय

* टिप्पणी : संयुक्त राष्ट्र संघ की राष्ट्र संघ की राष्ट्रीय लेखा विधि के अनुसार निवासी श्रमिक (कर्मचारी) जो अस्थायी तौर पर विदेशों में रह रहे हैं या रोजगार में लगे हैं, इसका अर्थ है वे वहाँ एक वर्ष से कम अवधि के लिए वहाँ ठहरे हुए या रोजगार में लगे हैं। केवल इसी स्थिति में, उनकी आय विदेशों से शुद्ध पारिश्रमिक मानी जायेगी। यदि वे उस देश के सामान्य नागरिक बन जाते हैं और उनकी आय उस देश की राष्ट्रीय आय का भाग बनती है। उदाहरण-स्वरूप, बहुत से भारतीय विदेशों में जाते हैं और वहाँ एक वर्ष से अधिक ठहरते हैं या नौकरी कर रहे होते हैं। वे उस देश के सामान्य निवासी बन जाते हैं और उनकी आय उस देश की घरेलू व राष्ट्रीय आय का भाग बन जाती है। तथापि, हम देखते हैं कि वे अपनी आय का एक बड़ा भाग भारत को भेज देते हैं। ये विदेशों से प्रेषण कहलाते हैं। प्रेषण 'वर्तमान हस्तान्तरण' माने जाते हैं। हम जानते हैं कि हस्तान्तरण ''राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होते हैं। इसलिए वह आय जो वे विदेशों में कमाते हैं, विदेशों से अर्जित आय नहीं होती और भारत की राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होती। क्योंकि वर्तमान पुस्तक इस विषय के प्रारम्भिक विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए इस पुस्तक में दी गई ''विदेशों से कर्मचारियों का पारिश्रमिक'' की अवधारणा पर्याप्त है।

राष्ट्रीय आय

4.3.1 **राष्ट्रीय आय की परिभाषा कई प्रकार से** की जा सकती है। हम इसे बहुत सरल ढंग से परिभाषित करेंगे। राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों की अर्जित साधन आय हैं। यह घरेलू साधन आय और विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय का योग है।

राष्ट्रीय आय = घरेलू साधन आय + विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय

भारत में, घरेलू आय = कर्मचारियों का पारिश्रमिक + किराया + ब्याज + लाभ +स्व-नियोजितों की मिश्रित आय

1981-82 में घरेलू साधन आय और राष्ट्रीय आय प्रचलित कीमतों पर निम्न प्रकार से थी:

(करोड़ रुपयों में)

घरेलू साधन आय =49651+ 10209 + 4794 + 6926 + 50416
=121996

राष्ट्रीय आय =121996 +(-) 7
= 121989

घरेलू साधन आय, राष्ट्रीय आय से अधिक थी, क्योंकि विदेशों से शुद्ध साधन आय ऋणात्मक थी। यह स्थिति कुछ वर्षों तक रही। देश के आर्थिक विकास के लिए, भारत ने अन्य देशों को भारत में पूँजी-निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है और **विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विदेशों से ऋण भी लेता रहा है। फलस्वरूप,** विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय ऋणात्मक थी।

4.3.2 राष्ट्रीय आय से संबंधित अन्य समुच्चय निम्न हैं :

(1) सकल घरेलू उत्पाद: एक देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा शुद्ध मूल्य वृद्धि और अचल पूँजी के उपभोग मूल्य (मूल्य ह्रास) का जोड़ साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद है।

1. सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर (GDP7c) = शुद्ध मूल्य वृद्धि का जोड़ +मूल्य- ह्रास (अचल पूँजी का उपभोग) या =घरेलू साधन आय +मूल्य-ह्रास (अचल पूँजी का उपभोग)
2. सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर (GDPmp) =सकल घरेलू उत्पादन साधन लागत पर +शुद्ध अप्रत्यक्ष कर
3. सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर (GNPmp) =सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर + विदेशों से शुद्ध साधन आय
4. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर (NNPmp) =सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर – मूल्य-ह्रास
5. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर (NNP7c) =शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर–शुद्ध अप्रत्यक्षकर

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर (NNP7c) राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। दो बातों की विशेष सावधानी बरतनी है:

(1) सकल और शुद्ध समुच्चयों में अंतर मूल्य ह्रास (अचल पूँजी का उपभोग मूल्य) का होता है और (2) बाजार कीमत व साधन लागत में अंतर शुद्ध अप्रत्यक्ष करों का होता है।

4.3.3 उपरोक्त वर्णित राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं को चित्र 4.2 में दिखाया गया है।

हस्तान्तरण या अन्तरण-भुगतान (Transfer Payments)

4.3.4 एक उत्पादन के साधन को उत्पादन-प्रक्रिया के दौरान उसके द्वारा दी गई उत्पादक सेवाओं के बदले में दिया जाने वाला भुगतान उसकी आय कहलाती है तथापि, कुछ भुगतान परिवारों, उद्यमों व गैर-लाभकारी संस्थाओं को सरकार द्वारा बिना किसी वस्तु व सेवाओं के उत्पादन किए, दिए जाते हैं। इसी प्रकार इसकी विपरीत स्थिति भी होती है। यह एकतरफा भुगतान हैं। ऐसे भुगतान अन्तरण-भुगतान (Transfer Payments) कहलाते हैं। और इन्हें प्राप्त करने वाली इकाइयों के लिए ये अन्तरण या हस्तान्तरण आय होती है। कुछ हस्तान्तरण स्वैच्छिक होते हैं जैसे परिवारों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए धर्मदान। तथापि, परिवारों तथा उद्यमों द्वारा सरकार को दिए गए सभी प्रकार के कर जैसे कस्टम ड्यूटी, बिक्रीकर, आय कर, निगम कर आदि बाध्य हस्तान्तरण (Forced Transfers) हैं। इसलिए कर अनिवार्य भुगतान हैं। सरकार द्वारा इस बाध्य हस्तान्तरण के बदले में आर्थिक सहायता, वृद्धावस्था पैंशन, बेरोजगारी लाभ (भत्ता), निर्धन छात्रों को छात्र-वृत्ति आदि हस्तान्तरण भुगतानों का प्रवाह है।

वर्तमान हस्तान्तरण (Current Transfers)

4.3.5 अदाकर्ता की वर्तमान आय से किए गए हस्तान्तरण और प्राप्तकर्ता की वर्तमान आय में उपभोग व्यय के लिए जोड़े गए ये हस्तान्तरण, वर्तमान हस्तान्तरण कहलाते हैं। वर्तमान हस्तान्तरण के कुछ उदाहरण हैं:

1. देश के अन्तर्गत वर्तमान हस्तान्तरण

उपभोक्ता परिवार हस्तान्तरण आय प्राप्त करते हैं जैसे छात्र-वृत्ति उपहार, पुरस्कार, बेकारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन (सरकार व उद्यमों से)। इसी प्रकार, उद्यमों की हस्तान्तरण प्राप्तियों में आर्थिक सहायता और सरकार द्वारा दिए गए अन्य उपहार या पुरस्कार आदि शामिल हैं। सरकार की हस्तान्तरण प्राप्तियों में परिवारों द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं।

परिवारों द्वारा हस्तान्तरण भुगतानों में वैयक्तिक कर जैसे आय कर, गृह कर, और शिक्षा-शुल्क, और गैर-लाभकारी संस्थाओं को दिए गए उपहार व दान सरकार को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर। सरकारी हस्तान्तरण-भुगतान में परिवारों को छात्र-वृत्ति, बेकारी सुविधा, उद्यमों को आर्थिक सहायता और गैर-लाभकारी संस्थाओं को रख-रखाव अनुदान (Maintenance Grants)।

सरकार द्वारा दिया गया राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज भी हस्तान्तरण भुगतान है । परम्परानुसार, सरकार उपभोग कार्यों, जैसे वस्तुओं व सेवाओं के क्रय पर वर्तमान व्यय के लिए जनसाधारण से कर्जा लेती थी। आज भी राष्ट्रीय आय के सांख्यिकी-विदों के लिए यह जानना संभव नहीं है कि इस प्रकार लिए गए ऋण उत्पादन कार्य के लिए उपभोग में लाए जाते हैं, यदि हाँ, तो किस सीमा तक। अतः यह मान लिया जाता है कि सरकार द्वारा लिया गया ऋण, उपभोग कार्यों के लिए उपयोग में आते हैं। इसलिए राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज हस्तांतरण भुगतान है। इसी प्रकार उपभोग ऋणों पर ब्याज अर्थात उपभोक्ता परिवारों द्वारा उपभोग कार्यों के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज भी हस्तान्तरण भुगतान है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) और अन्य समुच्चय (*Aggregates*).

चित्र 4.2
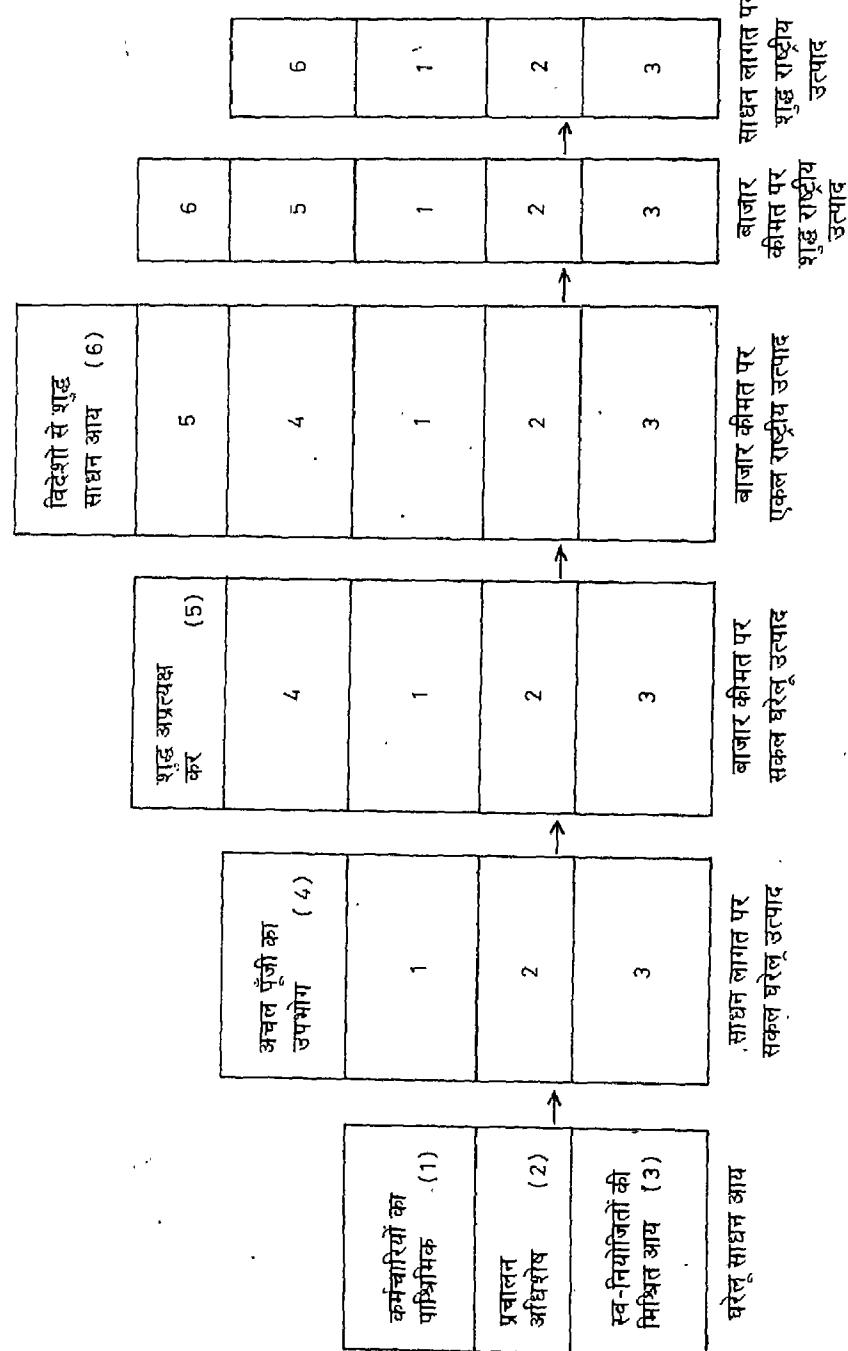
2. देशों के बीच वर्तमान हस्तांतरण

वर्तमान हस्तांतरण विभिन्न देशों के बीच भी किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक प्रकोप के समय एक देश के निवासियों द्वारा दूसरे देश के निवासियों को दिए गए उपहार जैसे वस्त्र, भोजन, व दवाइयाँ आदि हस्तांतरण भुगतान है। विभिन्न देशों के परिवार क्षेत्रकों और गैर-लाभकारी संस्थाओं के बीच भी हस्तान्तरण भुगतान किए जाते हैं। उपहार नकद या किस्म के रूप में हो सकते हैं। साधारण उपभोग वस्तुओं के अतिरिक्त, सरकारों के बीच हस्तान्तरण भुगतान सैनिक उपस्करों के रूप में भी होते हैं।

पूँजीगत हस्तान्तरण

4.3.6 पूँजीगत हस्तान्तरण नकद या किस्म के रूप में हस्तान्तरण है जो सकल पूँजी निर्माण या अन्य रूप में संचय, या प्राप्तकर्ता के दीर्घकालीन व्यय के प्रयोग में लाए जाते हैं। एक देश के अंतर्गत पूँजीगत हस्तान्तरण, सरकार से परिवारों और उद्यमों के बीच और इसके विपरीत दिशा में होते हैं। सरकारी नीति के अन्तर्गत किन्हीं विशेष उद्यमों के विकास हेतु, उद्यमों को दिए गए निवेश अनुदान (Investment Grants) देश में या किसी विशेष प्रदेश के विकास हेतु दिए गए अनुदान, या परिवारों को उनके मकानों का सरकार द्वारा गिराए जाने पर एक मुश्त दी गई राशि, सरकारी हस्तान्तरण के उदाहरण हैं। परिवारों पर लगाए गए कर और उद्यमों पर लगाए गए कर जैसे मृत्यु-कर, उत्तराधिकारी कर और पूँजीगत लाभ पर कर और ऐसा कोई भी अन्य कर जो सरकार द्वारा नियमित रूप से नहीं लगाया या वसूल किया जाता है, परिवारों और उद्यमों से सरकार को किए गए पूँजीगत हस्तान्तरण के उदाहरण हैं।

4.3.7 देशों के बीच पूँजीगत हस्तान्तरण हैं–युद्ध में विनाश की पूर्ति, आर्थिक सहायता, पूँजीगत वस्तुओं के एकतरफा हस्तान्तरण और एक सरकार द्वारा दूसरों को विदेशी व्यापार में वित्तीय घाटे की पूर्ति के लिए अनुदान।

राष्ट्रीय उत्पाद व सम्बन्धित समुच्चय

4.3.8 हम पहले ही देख चुके हैं कि निगमित और अर्ध-निगमत उद्यमों, सामान्य सरकार और परिवारों द्वारा शुद्ध मूल्य वृद्धि का जोड़ साधन लागत पर घरेलू उत्पाद होता है या घरेलू साधन आय। व्यवहार में, एक वर्ष में उत्पादित सारी आय उपभोक्ता परिवारों को नहीं प्राप्त होती है। सरकार के व्यावसायिक विभागीय-उद्यमों को सम्पत्ति व उद्यमवृति से प्राप्त आय, सरकार द्वारा रख ली जाती है। दूसरे, सरकार के गैर-विभागीय उद्यम अपने लाभ का एक भाग भविष्य में अपने विस्तार के लिए बचत कर लेते हैं। यह राशि भी विवरण के लिए उपलब्ध नहीं होती है। यदि, इन दो मूल्यों का जोड़, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से घटा दिया जाये तो हमें वह मूल्य प्राप्त होता है जो निजी क्षेत्रक को घरेलू उत्पाद से अर्जित होता है।

निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से अर्जित आय = साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद – सरकार को सम्पत्ति व उद्यम वृति से प्राप्त आय – गैर-विभागीय उद्यमों की बचत

निजी आय (Private income)

4.3.9 निजी आय में, निजी उद्यमों व श्रमिकों (निजी क्षेत्र में साधनों के स्वामी) द्वारा अर्जित साधन आय और सरकार व विदेशों से वर्तमान हस्तान्तरण आय शामिल होती है।

निजी आय = शुद्ध घरेलू उत्पाद से निजी क्षेत्र को प्राप्त साधन आय+राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज +विदेशों से शुद्ध साधन आय + सरकार से प्रचलित हस्तान्तरण + शेष= विश्वसे शुद्ध प्रचलित हस्तान्तरण।

वैयक्तिक आय (Personal income)

4.3.10 व्यक्तिगत आय या वैयक्तिक आय, व्यक्तियों व परिवारों को समस्त स्रोतों से प्राप्त आय है। वैयक्तिक आय ज्ञात करने के लिए हमे **निजी आय में से उद्यमों के अवितरित लाभ व** निगम करों को घटाना होगा। अवितरित लाभ को निगमों की बचत कहा जाता है। भारत में, विदेशी कम्पनियों की धारित आय को निगमों की बचतों से घटाने पर हमें भारत के निवासी उद्यमों की शुद्ध बचतें प्राप्त होंगी।

वैयक्तिक आय = निजी आय—निजी उद्यमों की बचतें (विदेशी कम्पनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय को निकालकर) — निगमकर

वैयक्तिक प्रयोज्य-आय (Personal Disposable income)

4.3.11 परिवार अपनी समस्त आय को व्यय नहीं कर सकते। उसका एक भाग सरकार आय कर और अन्य विविध करों जैसे शिक्षा-शुल्क, जुर्माने, स्वास्थ्य-कर या सफाई कर (नगर पालिकाओं द्वारा लगाया गया) आदि के रूप में उनसे वसूल करती है। ये समस्त कर वैयक्तिक आय में से वैयक्तिक **प्रयोज्य-आय जानने के लिए घटाने होंगे।**

वैयक्तिक प्रयोज्य आय = वैयक्तिक आय— परिवारों द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष **कर—सरकार को प्राप्त अन्य** विविध कर

वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह आय है जो परिवारों को समस्त स्रोतों से प्राप्त होती है और जिसे वे **अपनी इच्छानुसार व्यय करने के लिए स्वतन्त्र हैं।**

4.3.12 घरेलू उत्पाद तथा संबंधित समुच्चयों के बारे में चित्र 4.3 में दर्शाया गया है।
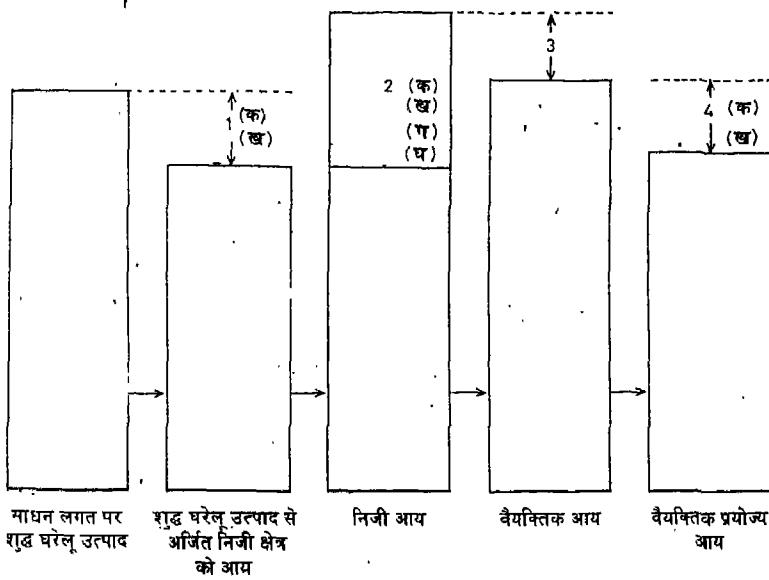
सूचक

1. (क) सरकार को सम्पत्ति व उद्यमवृत्ति से आय
   (ख) गैर-विभागीय उद्यमों की बचत
2. (क) राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज
   (ख) विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय
   (ग) सरकार से वर्तमान हस्तान्तरण
   (घ) शेष-विश्व से शुद्ध वर्तमान हस्तान्तरण
3. (क) निजी निगमित क्षेत्र की बचतें
   (ख) निगम कर
4. (क) परिवारों द्वारा दिये गये प्रत्यक्षकर
   (ख) सरकार की विविध प्राप्तियाँ

चित्र 4.3

अभ्यास 4.1

1. शुद्ध मूल्य वृद्धि और उत्पादित आय की समानता को एक उदाहरण से स्पष्ट करिए।
2. घरेलू साधन आय की परिभाषा दीजिए और उसके घटक बताइए।
3. कर्मचारियों के पारिश्रमिक की अवधारणा की व्याख्या करिए।
4. प्रचालन-अधिशेष क्या है? इसके घटक बताइए।
5. विदेशों से शुद्ध साधन आय की परिभाषा दीजिए और इसके घटक बताइए।
6. एक उचित उदाहरण देकर विदेशों से शुद्ध प्रतिधारित आय की अवधारणा की व्याख्या करिए।
7. अन्तर बताइए –
   (i) घरेलू साधन आय और राष्ट्रीय आय।
   (ii) साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद और साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद।
   (iii) बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद।
   (iv) बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद।
   (v) बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
   (vi) बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद।
   (vii) बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद।
8. एक उचित उदाहरण से साधन आय और हस्तान्तरण भुगतान में अन्तर बताइए।
9. वर्तमान हस्तांतरण की परिभाषा दीजिए और ऐसे हस्तांतरण से कैसे भेद करेंगे?
10. पूँजीगत हस्तान्तरण क्या है ? आप उसे वर्तमान हस्तान्तरण से कैसे भेद करेंगे ?
11. अन्तर बताइए:
    अ. शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद से निजी क्षेत्र को प्राप्त आय।
    ब. घरेलू उत्पाद से निजी क्षेत्र को प्राप्त आय और निजी आय।
    स. निजी आय और वैयक्तिक आय।
    द. वैयक्तिक आय और वैयक्तिक प्रयोज्य आय।

अभ्यास 4.2

सही उत्तर पर निशान लगाइए:

1. घरेलू साधन आय में केवल निम्न की उत्पादित आय शामिल होती है–
   अ. केवल गैर-निवासी उत्पादकों की
   ब. एक देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों की
   स. केवल विदेशी उत्पादकों की
2. मजदूरी व वेतन में शामिल है–
   अ. केवल नकद मजदूरी
   ब. केवल किस्म-रूप में मजदूरी
   स. कर्मचारियों द्वारा प्रत्यक्ष करों का भुगतान करने से पहले नकद व किस्म-रूप में मजदूरी।
   द. नकद व किस्म-रूप में मजदूरी और मालिकों (नियोजकों) द्वारा दिया गया सामाजिक सुरक्षा अंशदान।

3. मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना में दिया गया अंशदान —
   अ. कर्मचारियों के पारिश्रमिक का भाग है।
   ब. वेतन व मजदूरी का भाग है।
   स. नकद व किस्म-रूप में मजदूरी का भाग है।
   द. उद्यमी के लाभ का भाग है।
4. राज्य विधान सभा के सदस्यों और लोक सभा के सदस्यों के वेतन और भत्ते—
   अ. कर्मचारियों के पारिश्रमिक में शामिल होते हैं।
   ब. कर्मचारियों के पारिश्रमिक से बाहर रखे जाते हैं
   स. मालिक द्वारा दिए गए सामाजिक सुरक्षा अंशदान में शामिल होते हैं।
   द. उनका हस्तान्तरण भुगतान हैं।
5. प्रचालन-अधिशेष इनमें नहीं उत्पन्न होता —
   अ. अर्ध-निगमित उद्यम
   ब. निगमित उद्यम
   स. सरकारी उद्यम
   द. सामान्य सरकारी उद्यम
6. विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों की आय —
   अ. भारत की घरेलू आय का भाग है।
   ब. विदेशों से अर्जित आय है।
   स. भारत के शुद्ध घरेलू उत्पाद का भाग हैं।
   द. भारत के सकल घरेलू उत्पाद का भाग है।
7. विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंकों के लाभ —
   अ. उद्यम-वृति से विदेशों से प्राप्त आय हैं।
   ब. भारत की घरेलू साधन आय है।
   स. भारत की घरेलू सीमा में कार्य कर रहे उद्यमों के लाभ हैं।
   द. भारत में स्थित बैंकों का प्रचालन-अधिशेष।
8. भारत के सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों में क्रय किए गए बॉन्ड्स व ऋण-पत्रों पर प्राप्त व्याज—
   अ. भारत की घरेलू साधन आय है।
   ब. विदेशों में अर्जित सम्पत्ति आय है।
   स. विदेशों में उद्यम-वृत्ति से आय है।
   द. भारत का शुद्ध घरेलू उत्पाद है।
9. भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों की आय —
   अ. भारत की घरेलू साधन आय है।
   ब. भारत की विदेशों से प्राप्त साधन आय है।
   स. भारत के सामान्य निवासियों का कर्मचारियों का पारिश्रमिक है।
   द. भारतीय बैंकों की विदेशों में अर्जित सम्पत्ति आय है।
10. **सकल मल्यों और शुद्ध मूल्यों का अन्तर—**
   अ. शुद्ध अप्रत्यक्ष करों का मूल्य है।
   ब. मूल्य-ह्रास (अचल पूँजी का उपभोग) हैं।
   स. मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य है।
   द. अंतिम उपभोग का मूल्य है.

11. किसी भी समुच्चय के बाजार कीमत और साधन लागत में अन्तर–
    अ. मूल्य-ह्रास (अचल पूँजी का उपभोग) है।
    ब. शुद्ध अप्रत्यक्ष करों का मूल्य है।
    स. सरकार द्वारा क्रय की गई वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य है।
    द. सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता का मूल्य है।
12. एक पक्षीय भुगतान-
    अ. साधन आय कहलाते हैं।
    ब. साधन भुगतान कहलाते हैं।
    स. हस्तान्तरण भुगतान कहलाते हैं।
    द. दूसरों द्वारा दी गई उत्पादक सेवाओं का भुगतान कहलाते हैं।
13. परिवारों द्वारा वर्तमान हस्तान्तरण प्राप्तियाँ–
    अ. सेवाओं द्वारा प्राप्त साधनों की आय हैं।
    ब. सम्पत्ति आय और मजदूरी व वेतन है।
    स. छात्र-वृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, और बेकरी भत्ता हैं।
    द. कर्मचारियों का पारिश्रमिक व अन्य भुगतान हैं।
14. सरकार की हस्तान्तरण प्राप्तियों में शामिल हैं-
    अ. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर
    ब. आर्थिक सहायता, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, और अध्येतावृत्ति (Fellowships)
    स. निजी ट्रस्ट संस्थाओं को रख-रखाव अनुदान
    द. पुरस्कार व वृद्धावस्था पेंशन
15. राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज-
    अ. उद्यमों द्वारा हस्तान्तरण भुगतान का भाग है।
    ब. सरकार द्वारा हस्तान्तरण भुगतान का भाग है।
    स. राष्ट्रीय आय का भाग है।
    द. परिवारों द्वारा दिए गए ब्याज का भाग है।
16. विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भारत में अपने सगे-संबंधियों को भेजे गये उपहार व प्रेषण-
    अ. हस्तान्तरण भुगतान का भाग हैं।
    ब. शुद्ध साधन-आय का भाग हैं।
    स. प्राप्तकर्ताओं द्वारा अर्जित आय का भाग है।
    द. भारत की राष्ट्रीय आय का भाग हैं।
17. भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा विदेशों की रेडक्रास सोसायटियों द्वारा भेजे गये दवाइयों, वस्त्र और खाद्य-पदार्थ के उपहार-
    अ. पूँजीगत हस्तान्तरण हैं।
    ब. विदेशों से वर्तमान हस्तान्तरण हैं।
    स. भारत की राष्ट्रीय आय का भाग है।
    द. विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय का भाग हैं।
18. देशों के बीच पूँजीगत हस्तान्तरण का एक उदाहरण है-
    अ. बटर ऑयल, घी और खिलौने का हस्तान्तरण
    ब. पूँजीगत वस्तुओं का हस्तान्तरण
    स. खाद्य-पदार्थों व अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का हस्तान्तरण
    द. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का हस्तान्तरण

अभ्यास 4.3

1. निम्न में से किस में प्रचालन-अधिशेष उपलब्ध होता है-
   1. एक इस्पात-निर्माण का निर्गमित उद्यम
   2. राज्य सरकार निर्माण का निगमित उद्यम
   3. एक व्यापारी द्वारा चलाई गई फुटकर दुकान
   4. धर्मार्थ संस्था द्वारा चलाया गया स्कूल
   5. एक किसान जो स्व-उपभोग के लिए अनाज पैदा करता है
   6. सरकार के गैर-विभागीय उद्यम
   7. नगर-निगमों द्वारा प्रदान की गई स्वास्थ्य-सेवाएँ
   8. सरकार के विभागीय उद्यम

2. निम्न में कौन-सी मद भारतीय निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय की श्रेणी में आती है–
   1. भारतीयों द्वारा विदेशों से खरीदे गए बॉन्ड्स पर प्राप्त ब्याज
   2. भारत में स्थित विदेशी कम्पनियों द्वारा कमाए गए लाभ
   3. विदेशी ऋणों पर भारत सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज
   4. विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा अपने मित्रों व सगे-सम्बन्धियों को भेजे गये प्रेषण व उपहार
   5. भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा इंग्लैंड की रेडक्रास सोसायटी को भेजे गए उपहार
   6. मित्र देशों से भारत द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता
   7. लंदन स्थित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कमाए गए लाभ
   8. भारत स्थित विश्व-स्वास्थ्य संगठन के कार्यालय में कार्य कर रहे भारतीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक
   9. भारत स्थित विदेशी दूतावासों में कार्य कर रहे भारतीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक
   10. भारतीयों द्वारा उन इमारतों पर प्राप्त किराया जो विदेशों में उनके स्वामित्व में है

3. साधन आय और हस्तान्तरण प्राप्तियों में अंतर बताइए। निम्न मदों को आप किस वर्ग में रखेंगे:
   1. मालिकों द्वारा (प्राविडेन्ट फंड) भविष्य-निधि में दिया गया अंशदान
   2. एक नौकरी-शुदा बेटे को माँ द्वारा साइकिल खरीदने के लिए दिया गया धन
   3. एक जरूरतमन्द स्त्री को दी गई वृद्धावस्था पेंशन
   4. मालिकों द्वारा खुद-काबिज मकानों का आरोपित किराया
   5. विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय
   6. बेकारी भत्ता
   7. एक शिक्षा-संस्था को चलाने के लिए विदेशों से प्राप्त अनुदान।
   8. इंग्लैंड में रहने वाले व्यक्ति द्वारा भारत में अपनी माँ को भेजा गया 1000 पौंड का चैक।
   9. मालिक द्वारा दिया गया कर्मचारी को बोनस।
   10. मालिक द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए किराया-मुफ्त मकान
   11. एक पिता द्वारा अपने पुत्र को दिए गए 100 रु० जेब खर्च।
   12. सैनिक कर्मचारियों को वर्दी का मूल्य
   13. सरकार द्वारा निर्धन छात्रों को दी गई छात्र-वृत्ति।

अभ्यास 4.4

रिक्त स्थानों को भरिए:

1. अवकाश और बीमारी अवकाश में दिए गए भत्ते...... का भाग है। (कर्मचारियों का पारिश्रमिक/हस्तान्तरण आय)
2. व्यापारिक यात्रा के लिए दिए गए यात्रा व व्यापारिक व्यय........... का भाग है। (मजदूर व वेतन/मध्यवर्ती उपभोग)
3. कर्मचारियों द्वारा दिया गया आय कर........का भाग है। (कर्मचारियों का पारिश्रमिक/प्रचालन-अधिशेष)
4. प्रचालन-अधिशेष में.........शामिल हो। (मूल्य ह्रास/सम्पत्ति आय)
5. रायल्टी............. का भाग है। (प्रचालन-अधिशेष/कर्मचारियों का पारिश्रमिक)
6. रायल्टी............ का भाग है। (सम्पत्ति आय/कर्मचारियों का पारिश्रमिक)
7. प्रचालन-अधिशेष........... में उत्पन्न नहीं होता। (सामान्य सरकार/उद्यम)
8. भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों के लाभ......... का भाग हैं (भारत की राष्ट्रीय आय/भारत की घरेलू आय)
9. वर्तमान आय से हस्तान्तरण............ का भाग हैं। (पूँजीगत हस्तान्तरण/वर्तमान हस्तान्तरण)
10. एक व्यक्ति की सम्पत्ति में से दिए गए हस्तान्तरण भुगतान......... का भाग है। (पूँजीगत हस्तान्तरण/वर्तमान हस्तान्तरण)
11. राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज............. है। (हस्तान्तरण भुगतान/साधन भुगतान)
12. एक देश द्वारा, युद्ध में सम्पत्ति के नष्ट हो जाने पर दूसरे देश को क्षति पूर्ति का भुगतान............... है। (प्रचलित हस्तान्तरण/पूँजीगत हस्तान्तरण)
13. भारत द्वारा अपने मित्र देशों से प्राप्त मुफ्त अनुदान..........है। (पूँजीगत हस्तान्तरण/प्रचलित हस्तान्तरण)
14. उद्यमों द्वारा सरकार को भुगतान किए गए प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर............ हैं। (पूँजीगत हस्तान्तरण/प्रचलित हस्तान्तरण)
15. परिवार द्वारा लाटरी से प्राप्त आय............. है। (साधन आय/हस्तान्तरण आय)
16. पूँजीगत हस्तान्तरण........... में से भुगतान किए जाते हैं। (भूतकालीन बचतें/वर्तमान आय)
17. सरकारी विभागीय-उद्यमों के लाभ................हैं। (परिवारों को वितरित किए जाते हैं/सरकार द्वारा प्रतिधारित किए जाते हैं)
18. भारत के स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की बचत.......... की जाती है। (उसके द्वारा प्रतिधारित/उसके कर्मचारियों को वितरित)
19. वैयक्तिक प्रयोज्य आय, परिवारों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्यक्ष करों को.......... है। (सम्मिलित करती/बाहर रखती)
20. विदेशों से प्राप्त प्रचलित हस्तांतरण (शुद्ध)............ का भाग हैं। (राष्ट्रीय आय/वैयक्तिक प्रयोज्य आय)

अभ्यास 4.5

1. निम्न आंकड़ों से तीनों वर्षों में ज्ञात करिए—
   1. **सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर**
   2. **शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर**
   3. **शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर**
   4. **शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर**
   5. **निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से अर्जित आय**
   6. निजी आय
   7. वैयक्तिक आय
   8. **वैयक्तिक प्रयोज्य आय।**

	(प्रचलित कीमतों पर)	(करोड़ों रुपये में)	
	1979-80	1980-81	1981-82
1. साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद	95,131	1,13,882	1,31,740
2. अप्रत्यक्ष कर	14,709	16,744	20,092
3. आर्थिक सहायता	2,525	2,839	3,161
4. मूल्य ह्रास (अचल पूँजी का उपभोग)	6,625	8,048	9,751
5. विदेशों से शुद्ध-साधन-आय	153	298	(-)7
6. उद्यम वृत्ति व सम्पत्ति से अजित सरकारी प्रशासनिक विभागों को आय	1,981	2,135	2,438
7. गैर-विभागीय उद्यमों की बचत	344	170	1,180
8. राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज	1,008	1,490	1,842
9. सरकारी प्रशासनिक विभागों से प्रचलित हस्तान्तरण	2,392	2,835	3,311
10. शेष-विश्व से शुद्ध प्रचलित हस्तान्तरण	1,624	2,257	2,221
11. निजी निगमित उद्यमों की बचत (शुद्ध) विदेशी कम्पनियों की प्रतिधारित आय घटाकर	990	1,084	1,209
12. निगम कर	1,392	1,377	1,970
13. परिवारों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्यक्ष कर	1,995	2,197	2,501
14. सरकारी प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियाँ	282	303	371

अध्याय 5

आय का मापन

राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ

5.1.1 हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि वस्तुओं और सेवाओं (स्व-उपभोग के लिए वस्तुओं सहित) का उत्पादन और आय का उत्पादन जो इन क्रियाओं के साथ-साथ होता है, निरन्तर चलते रहते हैं। उत्पादन, आय को जन्म देता है, आय वस्तुओं और सेवाओं की मांग को, और मांग इसके बदले में व्यय को जन्म देती है। व्यय फिर आगे उत्पादन को। उत्पादन, आय और व्यय का चक्रीय प्रवाह चित्र 5.1 में दिखाया गया है:

उत्पादन, आय और व्यय का चक्रीय प्रवाह

चित्र 5.1

5.1.2 हम पहले ही देख चुके हैं कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापना अनिवार्य है क्योंकि यह हमें अर्थव्यवस्था की कार्यविधि को, हमारे सामने रखे गए लक्ष्यों के सन्दर्भ में, समझने के योग्य बनाएगा। हम राष्ट्रीय आय को वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह, आय के प्रवाह या वस्तुओं, सेवाओं पर व्यय के प्रवाह के रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार, राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह के तीन चरण हैं– उत्पादन, वितरण और व्यय। प्रत्येक चरण पर इसे मापने के लिए, हमें भिन्न आँकड़ों व विधियों की आवश्यकता है। यदि हम इसे उत्पादन के चरण पर मापते हैं तो हमें देश में सभी उत्पादक उद्यमों (सरकार सहित) द्वारा शुद्ध मूल्य-वृद्धि के कुल जोड़ को जानना होगा। यदि हम इसे आय के वितरण-चरण पर मापना चाहते हैं, तो हमें वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में उत्पादित कुल आय के जोड़ को मालूम करना होगा। अन्त में, यदि हम इसे व्यय के चरण पर मापना चाहते हैं तो हमें अर्थव्यवस्था की तीन व्यय करने वाली इकाईयों अर्थात् सामान्य सरकार, उपभोक्ता परिवार और उत्पादक उद्यमों के कुल व्यय के जोड़ को ज्ञात करना होगा।
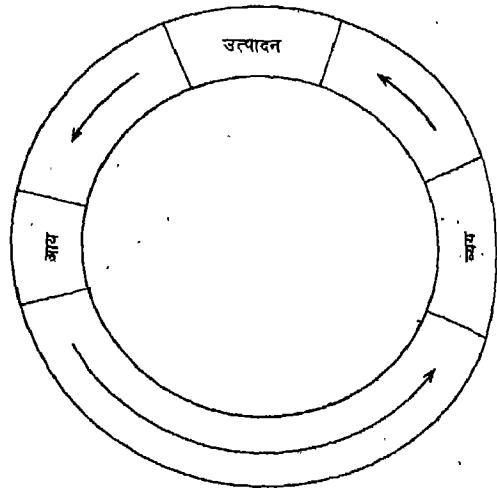
5.1.3. राष्ट्रीय आय के मापने की इन तीन चरणों के अनुरूप, तीन विधियाँ हैं—

1. मूल्य वृद्धि (वैकल्पिक रूप में उत्पादन विधि या शुद्ध उत्पाद विधि नाम से भी जानी जाती है।)
2. आय विधि
3. व्यय विधि

मूल्य वृद्धि विधि

5.1.4 हम दूसरे अध्याय में देख चुके हैं कि प्रत्येक उत्पादक उद्यम वस्तुओं व सेवाओं को बाजार में बेचता है और उसका उत्पाद मूल्य (Value of Output), विक्रय मूल्य और स्टॉक में परिवर्तन के योग के बराबर होता है। जहाँ तक इस उद्यम का सम्बन्ध है बिक्री को अंतिम बिक्री माना जाता है या *अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की बिक्री।* उदाहरणस्वरूप, एक किसान 2 टन गेहूँ का उत्पादन करता है और उसे एक आटा मिल को बेचता है। जहाँ तक किसान का सम्बन्ध है, गेहूँ की बिक्री अन्तिम बिक्री है और वह 500 रु० प्राप्त करता है। इस क्षण हमें मान लेना चाहिए कि उसने कोई उर्वरक या भाड़े के श्रमिक का उपयोग नहीं किया है। इसी स्थिति में 500 रु० उसके योगदान का मूल्य है। लेकिन आटा मिल द्वारा गेहूँ की खरीद मध्यवर्ती उपभोग के लिए है। वह गेहूँ को आटे में परिवर्तित करता है और उसे बेकरी वाले को 700 रु० में बेचता है। आटा मिल आटे को अंतिम उत्पाद मानता है। लेकिन बेकरी वाला उसे मध्यवर्ती आगत (Input) की तरह उपयोग करता है और डबलरोटी का निर्माण करता है। बेकरी वाला डबलरोटी दुकानदार को 900 रु० में बेचता है। बेकरी वाले के लिए, डबलरोटी अन्तिम वस्तु हैं, लेकिन दुकानदार के लिए यह मध्यवर्ती आगत है। हम मान लें कि दुकानदार कुल डबलरोटियों को 1000 रु० में बेचता है। जहाँ तक किसान, आटा मिल, बेकरी वाला व दुकानदार का संबंध है, उत्पादन का मूल्य 500+700+900+1000= 3100 रु० है। प्रत्येक उत्पादक जो वस्तु बेचता है उसे *अन्तिम* मानता है। वह ऐसा मानने में कोई गलती नहीं करता, क्योंकि उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है कि जो वस्तु वह बेचता है उसके बेचने के बाद वह किस उपभोग में आती है। लेकिन हम जानते हैं कि आटे के मूल्य में गेहूँ का मूल्य शामिल है और डबलरोटी के मूल्य में गेहूँ का मूल्य तथा आटा मिल की सेवाओं का मूल्य शामिल है। अन्त में, दुकानदार द्वारा बेची गई डबलरोटी के मूल्य में, गेहूँ का मूल्य, आटा मिल और बेकरी वाले की सेवाओं का मूल्य शामिल है। इस प्रकार, गेहूँ के मूल्य की चार बार गणना होती है, आटा मिल की सेवाओं को तीन बार और बेकरी वाले की सेवाओं की गणना दो बार होती है। इस प्रकार एक वस्तु के मूल्य की गणना जब एक बार से अधिक होती है तो इसे दोहरी *गणना* (Double Counting) कहते हैं। यह उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का अधिक मूल्यांकन होता है।

5.1.5 दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, हमें वस्तुओं व सेवाओं का केवल *अन्तिम* मूल्य लेना होगा। हम तीसरे अध्याय में पहले ही देख चुके हैं कि किसी भी वस्तु के तीन उपयोग हैं— अन्तिम उपभोग, मध्यवर्ती उपभोग और पूँजी निर्माण। इससे स्पष्ट है कि मुख्य रूप से केवल दो उपभोग हैं— अन्तिम उपभोग और पूँजी निर्माण। इसीलिए वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य इन दो उपयोगों के लिए आँका जाना है। इससे भी सरल तरीका यह है कि उत्पादन के हर स्तर पर उत्पादक उद्यमों के द्वारा मूल्य वृद्धि को ज्ञात करना होगा। डबलरोटी के निर्माण के प्रत्येक

(मूल्यों रुपयों में)

उत्पादक का नाम 1	उत्पादन का चरण 2	मध्यवर्ती उपभोग व्यय 3	उत्पादन का मूल्य 4	प्रत्येक चरण पर सकल मूल्य वृद्धि 5=(4-3)
किसान	गेहूँ	—	500	500
मिल	मैदा	500	700	200
बेकरी वाला	डबलरोटी	700	900	200
दुकानदार	बिक्री	900	1000	100
		2100	3100	1000

स्तर पर होने वाली सकल मूल्य वृद्धि उपरोक्त तालिका में दिखाई गई है:

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सकल मूल्य वृद्धि अन्तिम उपभोक्ता को बेची गई डबलरोटी के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रत्येक उद्यम द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के प्रचलित प्रवाह में योगदान उसके द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि है, लेकिन उत्पादन का मूल्य नहीं दूसरे शब्दों में, अन्तिम वस्तु का मूल्य बाज़ार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि के बराबर होता है।

5.1.6 मूल्य वृद्धि विधि, देश की घरेलू सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यम के योगदान को मापता है। इस विधि में निम्न कदम लिए जाते हैं:

1. उत्पादक उद्यम की पहचान करना और उनकी क्रियाओं के अनुसार उनको औद्योगिक क्षेत्रों में बाँटना।
2. प्रत्येक उत्पादक उद्यम और औद्योगिक क्षेत्र द्वारा शुद्ध मूल्य वृद्धि का अनुमान लगाना और समस्त औद्योगिक क्षेत्रकों की शुद्ध मूल्य वृद्धि को जोड़ना।

5.1.7 सारे उत्पादक उद्यमों को व्यापक रूप से निम्न तीन औद्योगिक क्षेत्रकों में बाँटा जाता है:

1. *प्राथमिक क्षेत्रक :* इस क्षेत्रक में कृषि और सहायक (सम्बद्ध) क्रियाएँ, मछली उद्योग, खनिज व उत्खनन आदि शामिल हैं। ये सारे उप-क्षेत्रक प्राकृतिक संसाधनों (धरातल के ऊपर के संसाधन जैसे भूमि व जल तथा धरातल के नीचे के संसाधन जैसे कोयला, कच्चा लोहा और अन्य खनिज) के दोहन से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं।

(2) *द्वितीयक क्षेत्रक:* इसे विनिर्माण क्षेत्रक भी कहते हैं। इस क्षेत्रक के उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार में परिवर्तित करते हैं।

(3) *तृतीयक क्षेत्रक :* इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। इस क्षेत्रक के उद्यम केवल सेवाओं का उत्पादन करते हैं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन व संचार, व्यापार व वाणिज्य।

5.1.8 व्यवहार में, ये तीनों क्षेत्रक आगे उप-क्षेत्रको में विभाजित किए जाते हैं। भारत में ये 13 उप-क्षेत्रकों में विभाजित किए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक उप-क्षेत्रक फिर वस्तु समूह या सेवाओं के प्रकार के आधार पर विभाजित किए जाते हैं।

5.1.9 दूसरा कदम अर्थात्, शुद्ध मूल्य वृद्धि का अनुमान लगाना, निम्न को अनुमानित करना है:

1. उत्पादन का मूल्य
2. मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य
3. स्थायी पूँजी उपभोग का मूल्य (मूल्य

ह्रास)

5.1.10 निम्न मदों के मूल्य को शामिल करने में सावधानी बरतनी चाहिए:

1. सरकार, उद्यम व परिवारों द्वारा अचल पूँजी का स्व-लेखा पर उत्पादन
2. स्व-उपभोग के लिए उत्पादन
3. मालिकों द्वारा खुद-काबिज मकानों का आरोपित किराया।

5.1.11 हम अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों द्वारा पुरानी वस्तुओं के क्रय-विक्रय के बारे में पहले ही तर्क दे चुके हैं। पुरानी वस्तुओं का क्रय-विक्रय वर्तमान (चालू) उत्पादन का भाग नहीं है (अर्थात उसी लेखा-वर्ष का उत्पादन)। उनको उसी वर्ष के उत्पादन में गिना जा चुका था जिस वर्ष में उनका उत्पादन हुआ था। जब वे फिर दुबारा पुरानी वस्तु के रूप में बेची जाती हैं, तो उनका विक्रय-मूल्य चालू वर्ष के उत्पादन में नहीं गिना जाना चाहिए। तथापि, पुरानी वस्तुओं के व्यापारी की दलाली या कमीशन वर्तमान वर्ष के उत्पादन का भाग है, क्योंकि वे उनकी, उस वर्ष की सेवाओं का भुगतान हैं।

5.1.12 प्रत्येक उत्पादक उद्यमी के भौतिक उत्पादन की मात्रा को उचित बाज़ार कीमत से गुणा किया जाना है। मध्यवर्ती उपभोग का अनुमान उद्यम द्वारा भुगतान की गई उसकी कीमत से किया जाता है। मूल्य-ह्रास (अचल पूँजी का उपभोग) भी नियम व अधिनियमों के अनुसार किया जाता है। उद्यम द्वारा शुद्ध मूल्य वृद्धि को जानने के लिए हमें निम्न को उत्पादन के मूल्य में से घटाना है:

1. मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य
2. मूल्य ह्रास (अचल पूँजी का उपभोग)
3. शुद्ध अप्रत्यक्ष कर।

एक क्षेत्रक के सभी उत्पादक उद्यमों द्वारा की गई शुद्ध मूल्य वृद्धि को जोड़ कर हमें औद्योगिक क्षेत्रक की शुद्ध मूल्य वृद्धि प्राप्त होती है। एक देश की घरेलू सीमा के अन्तर्गत सभी औद्योगिक क्षेत्रकों की शुद्ध मूल्य वृद्धि के जोड़ से हमें साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है।

5.1.13 तीसरा और अन्तिम चरण, मूल्य वृद्धि विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने में, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन-आय का अनुमान लगाना है, और उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद में जोड़ना है।

आय विधि

5.1.14 पिछले अध्यायों में हम देख चुके हैं कि प्रत्येक उत्पादक उद्यमों की शुद्ध मूल्य वृद्धि का योग उस उद्यम में उत्पादित साधन आय के बराबर होता है और घरेलू स्तर पर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन आय के बराबर होता है। हर एक रुपये मूल्य की उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं से एक रुपये मूल्य के बराबर आय उत्पादित होती है। इसीलिए, आय विधि से भी हमें राष्ट्रीय आय के वही आँकड़े मिलने चाहिए जैसा कि मूल्य वृद्धि विधि से हमें मिले हैं, यह मानते हुए कि आँकड़ों में कोई गलतियाँ, कमियाँ या असंगतियाँ नहीं हैं अथवा अनुमान लगाने की कार्य विधि में कोई गलती नहीं है।

5.1.15 आय विधि, उत्पादन के प्राथमिक साधनों को उनकी एक लेखा वर्ष में, दी गई उत्पादक सेवाओं के बदले में दिए गए भुगतान पक्ष की ओर से, राष्ट्रीय आय की गणना करती है। मूल्य वृद्धि विधि की तरह इस विधि में भी निम्न कदम उठाए जाते हैं:

1. उत्पादक उद्यमों की, जो साधन आगतों को नियुक्त करते हैं, पहचान करना है।
2. साधन भुगतानों का वर्गीकरण करना।
3. साधन भुगतानों का अनुमान लगाना।

मूल्य वृद्धि विधि में करा गया उत्पादक उद्यमों

का वर्गीकरण यहाँ भी उपयोग में लाया जा सकता है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, साधन भुगतान साधारणतया निम्न वर्गों में बाँटे जाते हैं:

1.कर्मचारियों का पारिश्रमिक
2.किराया
3.ब्याज
4.लाभ
5.स्व-नियोजितों की मिश्रित आय

प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा भुगतान की गई आय की गणना, नियुक्त किए गए प्रत्येक आगत की इकाईयों की संख्या, और हर प्रकार के आगत की प्रत्येक इकाई को दी गई भुगतान-आय से जानी जा सकती है। एक विशेष औद्योगिक उत्पादक उद्यम में समस्त उत्पादक साधनों की भुगतान की गई आय को हर उद्यम द्वारा भुगतान की गई आय में जोड़ कर प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रक द्वारा भुगतान की गई आय को जोड़कर हम घरेलू साधन आय प्राप्त कर सकते हैं।

5.1.16 साधन आय के अनुमान करते समय निम्न सावधानियाँ बरतनी होंगी:

1.समस्त हस्तान्तरण-भुगतानों को इससे बाहर रखा जाना चाहिए।
2.स्व-उपभोग के लिए रखी गई वस्तुओं का आरोपित मूल्य और मालिकों द्वारा खुद-काबिज मकानों का आरोपित किराया शामिल किया जाना चाहिए।
3.अवैध आय को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
4.आकस्मिक लाभ जैसे लॉटरी आय को शामिल नहीं करना चाहिए।
5.निगम कर लाभ का भाग है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय, लाभ को निगम करों का भुगतान करने से पहले शामिल करना चाहिए। ऐसा करते समय, निगम कर फिर अलग से नहीं जोड़ना चाहिए। इसी प्रकार, कर्मचारियों के पारिश्रमिक में उनके द्वारा दिया जाने वाला आय कर शामिल रहता है। इसीलिए कर्मचारियों के पारिश्रमिक को राष्ट्रीय आय में शामिल करते समय, आय कर अलग से नहीं शामिल करना चाहिए (जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, ये कर हस्तान्तरण-भुगतान है)।
6.मृत्यु-कर, उपहार कर, सम्पत्ति कर और आकस्मिक लाभों पर कर, सम्पत्ति या कर अदाकर्ताओं की भूतकालीन बचतों में से भुगतान किए जाते हैं। क्योंकि वे करदाताओं की वर्तमान आय में से नहीं दिए जाते, वे राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है।
7.अगर एक व्यक्ति अपनी पुरानी (पूर्व-प्रयुक्त) वस्तुओं को बेचकर धन प्राप्त करता है तो इनका विक्रय-मूल्य राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है क्योंकि उसने कोई उत्पादक सेवा नहीं प्रदान की है। केवल बेची व खरीदी गई पुरानी वस्तु के स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है। यह सौदा, वस्तुओं व सेवाओं के वर्तमान प्रवाह में कोई योगदान नहीं करता। इसी प्रकार, हजारों रुपये उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं जो बाजार में शेयर व बॉन्ड्स (नये व पुराने) बेचते हैं, यह मुद्रा प्राप्ति भी आय नहीं है। क्योंकि इसके अनुरूप भी कोई वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन नहीं होता और न ही आय का सृजन।

5.1.17 सभी उत्पादक क्षेत्रकों में (स्व-नियोजितों की मिश्रित आय सहित) उत्पादन साधनों को, अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अन्तर्गत, भुगतान किए गए कर्मचारियों का पारिश्रमिक, किराया, ब्याज और लाभ का जोड़, घरेलू साधन-आय है। राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ना पड़ता है।

व्यय विधि

5.1.18 हमने देखा है कि उपभोक्ता परिवार और सामान्य सरकार अन्तिम उपभोग के लिए बाज़ार में वस्तुओं व सेवाओं का क्रय करते हैं और इस क्रय पर किया जाने वाला व्यय अन्तिम उपभोग व्यय कहलाता है। आगे, निगमित व अर्ध-निगमित उद्यम, सामान्य सरकार और उपभोक्ता परिवार घिसी-पिटी मशीनों का प्रतिस्थापन तथा अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए, पूँजीगत वस्तुओं का क्रय करते हैं। हमने यह भी देखा है कि खुली अर्थव्यवस्था में सरकार व एक देश के उपभोक्ता परिवार किसी दूसरे देश के घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष क्रय भी करते हैं। ये क्रय, बेचने वाले देश के पक्ष की ओर से उसके निर्यात होते हैं और क्रेता देश के आयात। विदेशियों द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के प्रत्यक्ष-क्रय एक देश के कुल निर्यात का केवल एक भाग होते हैं। हम भारत का उदाहरण लें। हम, चाय, कॉफी, जूट की निर्मित वस्तुएँ, सूती वस्त्र आदि का निर्यात करते हैं। ये व्यापारिक माल का निर्यात कहलाते हैं। हम, सेवाओं जैसे जहाज रानी सेवाएँ बीमा, बैंकिंग, वायु-यातायात व पर्यटक-सेवाओं का भी निर्यात करते हैं। जब विदेशी, हमारे जहाजों का माल व यात्री भेजने में प्रयोग करते हैं, हमारे जहाज, जहाजरानी सेवाएँ निर्यात करते हैं। इसी प्रकार भारतीय कम्पनियाँ, बीमा सेवाओं का निर्यात करती हैं जब विदेशी, माल व यात्रियों के एक देश से दूसरे देश में जाने पर, बीमा-प्रीमियम का भुगतान करते हैं। अगर विदेशी एयर इन्डिया से यात्रा करते हैं तो वायु-सेवाएँ निर्यात की जाती हैं। जब विदेशी पर्यटक भारत आते हैं तो भारतीय उन्हें परिवहन व संचार, आवास, भोजन व चिकित्सा आदि सेवाएँ प्रदान करते हैं। इस स्थिति में, पर्यटक सेवाओं का निर्यात होता है। ये सभी वस्तुओं व सेवाओं का निर्यात देश की घरेलू सीमा के उत्पादकों द्वारा किया जाता है। इसलिए वस्तुओं व सेवाओं का निर्यात घरेलू उत्पाद का भाग है।

5.1.19 भारतीय उपभोक्ता परिवार व भारतीय सामान्य सरकार विदेशों में प्रत्यक्ष क्रय करते हैं, जैसा कि दूसरे अध्याय में देखा जा चुका है। इसके साथ-साथ व्यापारिक माल के आयातों में अनाज व अनाज के पदार्थ, पैट्रोलियम चिकना करने वाले पदार्थ, उर्वरक, धातुएँ, बिजली की मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल होते हैं। ये जहाजरानी, वायु परिवहन, बैंकिंग, बीमा व पर्यटन आदि सेवाओं का भी आयात करते हैं। ये सभी आयात दूसरे देशों के घरेलू उत्पाद का भाग हैं। हमें शुद्ध-निर्यात जानने के लिए इन वस्तुओं व सेवाओं के आयात मूल्य को इसके निर्यात मूल्य में से घटाना होगा। शुद्ध-निर्यात सकल घरेलू उत्पाद पर व्यय का भाग है।

5.1.20 व्यय विधि, सकल घरेलू उत्पाद पर अन्तिम व्यय को मापने का प्रयास करती है। सकल घरेलू उत्पाद पर अन्तिम व्यय के अन्तर्गत—(1) निजी अन्तिम उपभोग व्यय (2) सरकारी (सार्वजनिक) अन्तिम उपभोग व्यय (3) सकल स्थायी पूँजी निर्माण (4) स्टॉक में परिवर्तन और (5) वस्तुओं व सेवाओं का शुद्ध-निर्यात, आते हैं।

इन पाँच मदों की गणना करने से पहले हमें निम्न सावधानियाँ लेनी होंगी:

1. पुरानी (पूर्व-प्रयुक्त) वस्तुओं पर किए गये सारे व्यय इससे बाहर रखने चाहिए क्योंकि वे वर्तमान में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं पर किया गया व्यय नहीं है। पुरानी वस्तुएँ (पूर्व-प्रयुक्त) पिछले वर्षों में उत्पादित की गई थी इसीलिए ये वस्तुओं व सेवाओं के प्रचलित उत्पादन का भाग नहीं हैं।
2. व्यक्तियों द्वारा पुराने शेयर व बॉड्स का अन्य व्यक्तियों से खरीदने पर लाखों रुपयों का व्यय या उत्पादक उद्यमों से नये शेयर, बॉड्स के क्रय पर व्यय इससे बाहर रखना चाहिए क्योंकि ये वस्तुओं व

सेवाओं के बदले में भुगतान नहीं है। इन कागजी टुकड़ों पर किया जाने वाले व्यय के अनुरूप वस्तुओं व सेवाओं का कोई उत्पादन नहीं होता है। शेयर व बाँड्स के क्रय-विक्रय से केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को परिसम्पत्ति का हस्तान्तरण होता है।

3. समस्त सरकारी व्यय जो हस्तान्तरण भुगतानों जैसे बेकारी भत्ता, वृद्धावस्था-पेंशन, और छात्र-वृत्तियाँ आदि को भी इस क्षेत्र से बाहर रखनी चाहिए क्योंकि इनके प्राप्तकर्ताओं द्वारा बदले में कोई भी उत्पादक सेवा प्रदान नहीं की गई। यह व्यय, किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन भी नहीं दिखाता।

4. मध्यवर्ती वस्तुओं व सेवाओं पर किया गया व्यय भी इस क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। हम जानते हैं कि सभी उत्पादक मध्यवर्ती उपभोग पर व्यय करते हैं और यह व्यय वर्तमान में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं पर है। इस पर भी, यह बाहर रखा जाना चाहिए। नहीं तो यह दोहरी गणना की समस्या खड़ी कर देगा। हम पिछले उदाहरण में देख चुके हैं कि आटा मिल, किसान से गेहूँ के क्रय पर 500 रु० व्यय करता है और बेकर आटा क्रय करने पर 700 रु०। ये प्रचलित उत्पादन पर किए गए व्यय हैं लेकिन गेहूँ और आटा मध्यवर्ती वस्तुएँ हैं और यदि हम कुल व्यय में इन पर किया गया क्रय शामिल करते हैं तो हमें दोहरी-गणना की समस्या का सामना करना पड़ेगा। यहाँ हमें केवल अन्तिम वस्तु अर्थात डबल-रोटी पर किए गए व्यय को शामिल करना है।

हम यह कैसे जान सकते हैं कि एक विशेष व्यय मध्यवर्ती वस्तु पर है या अन्तिम वस्तु पर? यदि एक उत्पादक उद्यम अपनी वस्तु (या सेवा) को किसी अन्य उद्यम को दुबारा बिक्री के लिए या फिर आगे उत्पादन करने के लिए बेचता है तो यह मध्यवर्ती वस्तु हैं; लेकिन यदि वह इसे अन्तिम उपभोग या पूँजी-निर्माण के लिए बेचता है तो यह अन्तिम वस्तु है। उदाहरण के लिए, यदि एक वस्त्र-निर्माणकर्त्ता अपने वस्त्र उपभोक्ता परिवारों को बेचता है, तो वे अन्तिम वस्तु हैं। और यदि वह उन्हें एक दुकानदार को बेचता है तो वे मध्यवर्ती वस्तुएँ हैं।

5.1.21 अब हम सकल घरेलू उत्पाद पर अन्तिम व्यय के घटकों की गणना करेंगे। इस उद्देश्य के लिए हमें दो प्रकार के आँकड़ों की आवश्यकता है— (1) बाजार में बिक्री की कुल मात्रा (2) फुटकर कीमतें। अन्तिम बिक्री की कुल मात्रा को उपभोक्ता परिवारों, निजी गैर-लाभकारी संस्थाओं को दी जाने वाली टिकाऊ वस्तुओं, अर्ध-टिकाऊ वस्तुओं, गैर-टिकाऊ वस्तुओं व सेवाओं की फुटकर कीमतों से गुणा करने पर हम घरेलू बाज़ार में निजी अन्तिम उपभोग व्यय को प्राप्त करते हैं। हम जानते हैं कि इस व्यय में वह व्यय भी शामिल है जो गैर-निवासी परिवारों और इतर प्रादेशिय संस्थाओं (Extra Territorial Bodies) ने प्रत्यक्ष-क्रय पर घरेलू बाज़ार में किया है। इसलिए, उनके व्यय का भाग घरेलू बाज़ार में निजी अन्तिम उपभोग व्यय में से घटाना होगा। हम यह भी जानते हैं कि निवासी परिवार विदेशों से प्रत्यक्ष-क्रय करते हैं। निजी अन्तिम उपभोग व्यय को जानने के लिए ये प्रत्यक्ष-क्रय घरेलू बाजार में निजी अन्तिम उपभोग व्यय में जोड़े जाएँगे। हम भारतीय अर्थव्यवस्था से एक उदाहरण लें। 1981-82 वर्ष में भारत का निजी अन्तिम उपभोग व्यय इस प्रकार था:

(प्रचलित कीमतों पर)	करोड़ रु०
1. टिकाऊ वस्तुएँ	2,734
2. अर्ध-टिकाऊ वस्तुएँ	11,648
3. गैर-टिकाऊ वस्तुएँ	68,898
4. सेवाएँ	18,693
5. घरेलू बाजार में निजी अन्तिम उपभोग व्यय	1,01,973

6. जोड़ें निवासी परिवारों द्वारा विदेशों में प्रत्यक्ष-क्रय	138
7. घटायें : घरेलू बाज़ार में गैर-निवासियों व इतर-प्रादेशिय संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष क्रय	1,175
8. निजी अन्तिम उपभोग व्यय	100,936

दूसरी मद सरकारी अन्तिम उपभोग व्यय है। जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि इसमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक और सरकार द्वारा वस्तुओं व सेवाओं का शुद्ध- क्रय शामिल रहता है। उद्यमों द्वारा सरकार को बेची गई कुल बिक्री की मात्रा को फुटकर कीमतों से गुणा करके हम घरेलू बाज़ार में सरकार के वस्तुओं व सेवाओं पर किए गये व्यय को जान सकते हैं। इसमें, कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं विदेशों से क्रय को जोड़ना है। तब हम सरकार के अन्तिम उपभोग व्यय के आँकड़े प्राप्त करते हैं।

5.1.22 हम पहले ही देख चुके हैं कि स्व-उपभोग के लिए उत्पादन, उत्पादन व आय का भाग है। अतः यह भी अन्तिम उपभोग का भाग है। स्व-उपभोग के लिए उत्पादन की मात्रा को उत्पादक के निकट के बाज़ार में प्रचलित कीमतों से गुणा करना होगा। हमने, मालिकों द्वारा खुद काबिज मकानों का आरोपित किराया भी उत्पादन और आय में शामिल किया है। इसलिए मालिकों द्वारा खुद-काबिज मकानों का आरोपित किराया भी घरेलू बाज़ार में अन्तिम उपभोग व्यय का भाग है।

5.1.23 सकल अचल पूँजी निर्माण निम्न दो वर्गों में बाँटा जाता है:

1. निर्माण
2. मशीनरी व उपस्कर

निर्माण पर किया गया व्यय नए निर्माण पर खर्च किए गए कुल धन या उस पर लगाई गई कुल आगतों के मूल्य से जाना जा सकता है। नए निर्माण पर व्यय सामग्री आगत (Material Inputs) जैसे सीमेन्ट, स्टील, ईंटें, लकड़ी फिटिंग (Fixtures & Fittings) और श्रम व पूँजी साधनों की लागत आय के बराबर होता है। कुल सामग्री आगत की मात्रा को निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण स्थल पर दी गई कीमतों से गुणा करके, हमें सामग्री आगतों पर किया गया कुल व्यय प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से व्यय की गणना को जिस (पण्य)- प्रवाह विधि (Commodity-flow Approach) कहते हैं तत्पश्चात् हमारे लिए कर्मचारियों का पारिश्रमिक, किराया, ब्याज और लाभ पर किए गए व्यय को भी जोड़ना आवश्यक है

5.1.24 नए निर्माण पर व्यय में निम्न मदें सम्मिलित होती हैं:

1. समस्त उत्पादकों, क्षेत्रकों द्वारा स्व-लेखा उत्पादन के लिए अचल परिसम्पत्तियाँ
2. उपभोक्ता परिवारों द्वारा नये मकानों का क्रय
3. निर्माण स्थल पर चालू कार्य (Work-in-progress)
4. पूँजीगत मरम्मतें जैसे पुरानी इमारतों में बड़ी रद्दोबदल, या वर्तमान इमारत में नए कमरे का निर्माण

5.1.25 जहाँ तक मशीनरी व उपस्कर का सम्बन्ध है, हम उन पर किए गए अन्तिम व्यय को, बाजार में प्रचलित कीमतों से अन्तिम बिक्री की मात्रा को गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में जिस (पण्य)-प्रवाह विधि (Commodity-flow Approach) के अनुसार हम प्रचलित वर्ष में उत्पादित मशीनरी व उपस्करों की कुल मात्रा ज्ञात कर सकते हैं और उसे क्रेता द्वारा भुगतान की गई कीमतों से गुणा कर सकते हैं। कोई भी विधि अपनाएँ, योग एक समान होगा। स्व-लेखा उत्पादन हेतु मशीनरी व उपस्करों के उत्पादन को जोड़ना होगा। जहाँ तक उत्पादकों के पास स्टॉक में भौतिक परिवर्तन (Physical Changes) का सम्बन्ध है, भौतिक- परिवर्तन को बाज़ार कीमतों से गुणा करना होगा।

5.1.26 इस प्रकार सकल स्थायी पूँजी निर्माण पर व्यय, और घरेलू उत्पादित वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन, हमें सकल पूँजी निर्माण पर कुल व्यय को बताते हैं।

5.1.27 अन्त में शुद्ध निर्यातों का मूल्य (निर्यात–आयात) जानना है। विदेशियों द्वारा शुद्ध निर्यातों पर किया गया व्यय सकल घरेलू उत्पाद पर व्यय का भाग है।

एकल घरेलू उत्पाद पर व्यय = निजी अन्तिम उपभोग व्यय + सार्वजनिक अन्तिम उपभोग व्यय + सकल स्थायी पूँजी निर्माण + स्टॉक में परिवर्तन + शुद्ध निर्यात

सकल घरेलू उत्पाद पर व्यय चित्र 5.2 में दर्शाया गया है:

5.1.28 व्यय विधि से हमें सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर (GDPmp) प्राप्त होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन-आय को जोड़ने से, हमें बाज़ार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNPmp) प्राप्त होता है। इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और मूल्य ह्रास (स्थायी पूँजी का उपभोग) घटाने से हमें साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP7c) अर्थात राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। यह वह योग है जो हमने मूल्य वृद्धि विधि और आय विधि से प्राप्त किया था।

तीनों विधियों का मिलान

5.1.29 जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, कि एक ही भौतिक उत्पादन को मापने के लिये तीन विधियों का तीन चरणों में उपयोग किया जाता है तीनों विधियों से हमें राष्ट्रीय आय के आँकड़े एक समान ही मिलने चाहिए। साधारणतया व्यय के आँकड़े पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होते तथापि परिणाम सही आँकड़ों व अनुमानों पर निर्भर करता है। अत: व्यय विधि से एक घरेलू उत्पाद के कम अनुमान (Under Estimation) या कम आँके जाने की सम्भावना है। फिर भी यह विधि अन्य दो विधियों के परिणामों की जाँच पड़ताल के लिए उपयोग में लाई जाती है।

चित्र 5.3 तीन विधियों का उपयोग और उनके द्वारा प्राप्त परिणामों में समानता को दर्शाता है:

सकल घरेलू पूँजी निर्माण को वित्त के स्रोत

5.2.1 पूँजी निर्माण, एक देश की आर्थिक संवृद्धि को निर्धारित करता है। अन्य बातें पूर्ववत रहने पर, पूँजी निर्माण की दर और आर्थिक संवृद्धि की दर में प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। सकल पूँजी निर्माण और सकल घरेलू उत्पाद में अनुपात को पूँजी निर्माण की एकल दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह प्रतिशत रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण-स्वरूप, 1981-82 में भारत में सकल घरेलू पूँजी निर्माण 24.7% था। अचल परिसम्पितयों का सृजन जैसे सिंचाई के लिए बाँध बनाने, नहरें, बिजलीघर, कारखाने, नई खानों का निर्माण, इमारतों, परिवहन व संचार सुविधाएँ, मशीनों व उपस्कर का निर्माण, पशु धन के स्टॉक में वृद्धि, नये बागानों का विकास, आदि, सब अचल पूँजी निर्माण के भाग हैं। ये घरेलू अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हैं और लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। इसके बदले में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होगी।

5.2.2 आर्थिक संवृद्धि में सकल घरेलू पूँजी निर्माण मुख्यतया है इसलिए हमें इसके वित्तीय स्रोतों को जानना आवश्यक है। इसके स्रोत निम्न

सकल घरेलू उत्पाद पर व्यय
अंतिम उपभोग व्यय
सकल घरेलू पूँजी निर्माण
वस्तुओं व सेवाओं का शुद्ध निर्यात
निजी अंतिम उपभोग व्यय
सार्वजनिक अंतिम उपभोग व्यय
सकल घरेलू स्थायी पूँजी निर्माण
स्टॉक में परिवर्तन
वस्तुओं व सेवाओं का निर्यात
घटाओ
वस्तुओं व सेवाओं का आयात

चित्र 5.2

है:
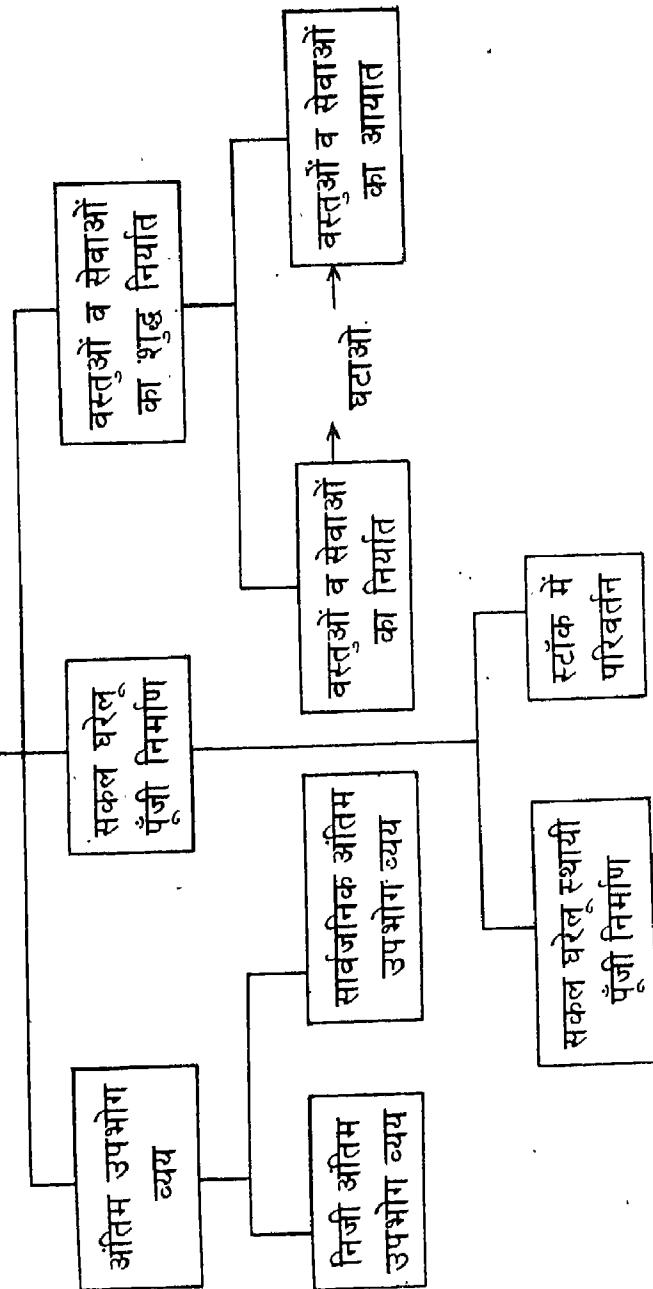
1. बचत
2. मूल्य-ह्रास के लिए प्रबन्ध (स्थायी पूँजी की खपत के लिये प्रावधान)
3. शेष-विश्व से शुद्ध पूँजी हस्तान्तरण
4. शेष-विश्व से ऋण (शुद्ध)

बचत

5.2.3 बचत प्रचलित आय का प्रचलित व्यय पर आधिक्य है। सकल पूँजी निर्माण का यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्रोत है । बचतकर्ता उपभोक्ता परिवार, उत्पादक उद्यम व सामान्य सरकार हैं। इन तीनों में परिवार अर्थव्यवस्था में कुल बचत में सर्वाधिक योगदान करने वाले हैं। उद्यमों की बचत से अभिप्राय अवितरित लाभ से हैं। सामान्य सरकार में बचते उसकी वर्तमान प्राप्तियों का वर्तमान व्यय पर आधिक्य है। परिवार अपनी बचतें उद्यमों व सरकार को वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंक व बीमा कम्पनियों के माध्यम से, उधार देते हैं।

मूल्य-ह्रास (स्थायी पूँजी का उपभोग)

5.2.4 उत्पादक उद्यमों द्वारा मूल्य-ह्रास की व्यवस्था सकल घरेलू पूँजी निर्माण का दूसरा महत्त्वपूर्ण स्रोत है । मूल्य-ह्रास फंड की व्यवस्था उद्यमों द्वारा अपनी वर्तमान आय में से की जाती है। निगमित व अर्ध-निगमित उद्यम (सरकारी उद्यमों सहित) और परिवार इसी क्रिया को करते हैं। (ध्यान रखिए, सामान्य सरकारी क्षेत्र में मूल्य-ह्रास का प्रश्न नहीं उठता है।)

शेष-विश्व से पूँजीगत हस्तान्तरण

5.2.5 एक देश से दूसरे देश को पूँजीगत हस्तान्तरण नकद व किस्म दोनों रूपों में किए जाते हैं। प्राप्तकर्ता देश में अचल परिसम्पतियों के निर्माण के लिए ये हस्तान्तरण उपलब्ध कोषों में वृद्धि करते हैं। विदेशों से कोषों के लिए पूँजीगत-हस्तान्तरणों द्वारा उपलब्ध राशि इन देशों की प्राप्तकर्ता देश के विकास के प्रयासों में सहायता देने की इच्छा पर निर्भर करती है। प्राप्तकर्ता देश भी अन्य देशों को कुछ अनुदान दे सकता है। उदाहरणस्वरूप, भारत यूरोप के विकसित देशों से पूँजीगत हस्तान्तरण प्राप्त करता है। और इसी प्रकार के भुगतान एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों को करता है। इसलिए, हमें विदेशों से शुद्ध पूँजीगत हस्तान्तरण जानने होंगे। तथापि, पूँजीगत हस्तान्तरण भारत जैसे विकासशील देशों के लिए पूँजी निर्माण के लिए बहुत कम महत्त्व के स्रोत हैं।

विदेशों से शुद्ध ऋण

5.2.6 "शुद्ध ऋण" का अर्थ है विदेशी वित्तीय परिसम्पत्तियों के शुद्ध अर्जन पर विदेशी देनदारियों के शुद्ध दायित्व भार का आधिक्य (Excess of Net incurrence of Liabilities over net acquisition of Assets)। हम भारत का उदाहरण लें, और इस वित्तीय स्रोत को समझें। जब भारत सरकार और उत्पादक उद्यम—विदेशों से फन्ड उधार लेते हैं या विदेशी भारत में पूँजी निवेश करते हैं तो हमारे देश पर विदेशी देनदारियों (Liabilities) का भार आ जाता है। जब हम विदेशी ऋण का भुगतान करते हैं या विदेशी अपनी पूँजी वापस ले लेते हैं, तब देश की विदेशी देनदारियों में कमी आ जाती है। इन दोनों प्रवाहों का अन्तर विदेशी शुद्ध देनदारियाँ हैं। दूसरी ओर, अगर भारत निर्यात अधिक करता है और आयात कम, यह हमारे विदेशी विनिमय रिजर्व को बढ़ाएगा। यदि भारत मित्र देशों को उधार देता है और भारतीय उद्यम विदेशों में पूँजी निवेश करते हैं तो हमारी वित्तीय परिसम्पतियाँ बढ़ जायेंगी। जब आयात-निर्यात से अधिक होते हैं तो विदेशी-विनिमय रिजर्व में कमी आएगी। जब मित्र देश

मापन की तीनों विधियों का मिलान

उत्पाद विधि

- शुद्ध अप्रत्यक्ष कर
- अचल पूँजी का उपभोग
- प्राथमिक क्षेत्र में साधन लागत पर शुद्ध मूल्यवृद्धि
- द्वितीय क्षेत्र में साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि
- सेवा क्षेत्र में साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि

बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद

=

आय विधि

- शुद्ध अप्रत्यक्ष कर
- स्थायी पूँजी का उपभोग
- कर्मचारियों का पारिश्रमिक
- परिचालन अधिशेष
- स्व-नियोजितों की मिश्रित आय

बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद

=

व्यय विधि

- निजी अन्तिम उपभोग व्यय
- सार्वजनिक उपभोग व्यय
- सकल घरेलू पूँजी निर्माण
- वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध निर्यात

बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद

चित्र 5.3

ऋणों का भुगतान कर देते हैं और भारतीय उद्यम विदेशों में निवेशित पूँजी वापस ले लेते हैं, तो हमारी वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी आयेगी। इन दोनों प्रवाहों के अन्तर से हमें वित्तीय परिसम्पत्तियों का शुद्ध अर्जन प्राप्त होता है। यदि विदेशी देनदारियों का शुद्ध भार विदेशी वित्तीय परिसम्पत्तियों के शुद्ध अर्जन से अधिक होता है, तो देश के पूँजी निर्माण के स्रोतों में वृद्धि होती है। विदेशों से शुद्ध ऋणों द्वारा पूँजी निर्माण करने से देश की विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाती है। दीर्घ काल में यह स्थिति देश के हित में नहीं होती।

अभ्यास 5.1

1. दोहरी गणना की समस्या की एक उदाहरण द्वारा व्याख्या कीजिए।
2. एक उद्यम की साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना में उठाए जाने वाले कदमों को बताइए।
3. क्या आप प्रचलित अवधि में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में पुरानी (पूर्व-प्रयुक्त) वस्तुओं की बिक्री को शामिल करेंगे? क्यों?
4. आय विधि से घरेलू साधन आय के घटक बताइए।
5. आय विधि से घरेलू साधन की गणना में कौन-सी सावधानियाँ बरतनी आवश्यक हैं।
6. व्यय विधि में सम्मिलित मदों के नाम बताइए।
7. उन व्यय मदों के नाम बताइए जो व्यय विधि से बाहर रखी जाती है।
8. सकल घरेलू पूँजी निर्माण के स्रोत बताइए।
9. विदेशों से पूँजी हस्तान्तरण के दो उदाहरण दीजिए।
10. विदेशी वित्तीय परिसम्पतियों की प्राप्ति के तीन उदाहरण दीजिए।

अभ्यास 5.2

1. निम्न में से प्रत्येक स्थिति में बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना करिये:
   (1) "अ" 50 रु० के मूल्य की आगतें खरीदता है और "ब" को 100 रु० का माल और "स" को 70 रु० का माल बेचता है। "ब" 20 रु० मूल्य की मध्यवर्ती आगतें "क" से खरीदता है, और "स" को 150 रु० मूल्य का माल तथा उपभोक्ता परिवारों को 200 रु० मूल्य की निर्मित वस्तुएं बेचता है। "स" 15 रु० मूल्य की आगतें "ख" से खरीदता है और 415 रु० की निर्मित वस्तुएँ परिवारों को बेचता है।
   (2) "अ" 200 रु० मूल्य का कच्चा माल "ब" को बेचता है। "ब" 300 रु० मूल्य का निर्मित माल "स" को बेचता है। "स" 400 रु० मूल्य की अन्तिम वस्तुएं उपभोक्ता परिवारों को बेचता है।
   (3) "अ" 400 रु० मूल्य की मध्यवर्ती वस्तुएँ "ब" को बेचता है। "ब" 400 रु० मूल्य की निर्मित वस्तुएँ "स" को और 200 रु० मूल्य की "द" को बेचता है। "स" अपनी वस्तुएँ "द" को 500 रु० में बेचता है। "द" 850 रु० की अन्तिम वस्तुएँ उपभोक्ता परिवारों को बेचता है।
   (4) "अ" अपनी अर्ध-निर्मित वस्तुएँ "ब" को 600 रु० और "स" को 400 रु० में बेचता है। "ब" 300 रु० मूल्य की निर्मित वस्तुएँ "स" को और 500 रु० मूल्य की उपभोक्ता परिवारों को बेचता है। "स" अपनी वस्तुएँ 800 रु० में उपभोक्ता परिवारों को बेचता है।
   (5) "अ" अपनी वस्तुएँ 800 रु० में "ब" को और 400 रु० में निजी अन्तिम उपभोग के लिए बेचता है। "ब" 1000 रु० मूल्य की वस्तुएँ "स" को बेचता है। "स" अपनी वस्तुएँ निजी अन्तिम उपभोग के लिए 1150 रु० में बेचता है।

(6) "अ" 50 रु० मूल्य की वस्तुएँ आयात करता है और 20 रु० मूल्य की निर्यात करता है और "ब" को 40 रु० मूल्य की वस्तुएँ बेचता है। "ब" 60 रु० मूल्य की वस्तुएँ उपभोक्ता परिवारों को बेचता है। "स" 40 रु० मूल्य की वस्तुएँ "द" को और 10 रु० मूल्य की वस्तुएँ निजी अन्तिम उपभोग के लिए बेचता है। "द" 50 रु० मूल्य की वस्तुएँ निर्यात करता है और 20 रु० की सरकारी उपभोग के लिए बेचता है।
(संकेत-आयात मध्यवर्ती उपभोग है और निर्यात अन्तिम विक्रय)

(7) "अ" 50 रु० की वस्तुएँ "ब" को और 30 रु० की "स" को बेचता है। "ब" 40 रु० की वस्तुएँ निजी अन्तिम उपभोग के लिए बेचता है और 40 रु० की निर्यात करता है। "स" 25 रु० की वस्तुएँ उपभोक्ता परिवारों को बेचता है और 25 रु० मूल्य की स्टॉक में वृद्धि करता है।
(संकेत—स्टॉक में वृद्धि मूल्य वृद्धि का भाग है)।

(8) "अ" अपने उत्पादन से 20 रु० मूल्य का माल "ब" को 30 रु० का "स" को और 20 रु० का अन्तिम उपभोग के लिए बेचता है और 30 रु० मूल्य का अनबिका माल उसके पास रहता है। "ब" अपने उत्पादन से 40 रु० मूल्य का "स" को, 60 रु० का "द" को और 50 रु० मूल्य का अन्तिम उपभोग के लिए बेचता है। "स" अपना उत्पादन 100 रु० मूल्य का "द" को 100 रु० का अन्तिम उपभोग के लिए, और 100 रु० मूल्य का निर्यात करता है। "द" अपना उत्पादन 300 रु० मूल्य का अन्तिम उपभोग के लिए और 100 रु० का सरकारी उपभोग के लिए बेचता है।

अभ्यास 5.3

1. निम्न आँकड़ों से बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद (GDPmp) आय विधि और व्यय विधि से ज्ञात करिए

(रु० करोड़ों में)

(1)	कर्मचारियों का पारिश्रमिक	13,363
(2)	सरकारी अन्तिम उपभोग व्यय	3,801
(3)	अप्रत्यक्ष कर	3,864
(4)	सकल स्थायी पूँजी निर्माण	6,305
(5)	स्व-नियोजितों की मिश्रित आय	16,112
(6)	ब्याज, किराया, और लाभ	5,044
(7)	स्टॉक में परिवर्तन	1,039
(8)	वस्तुओं व सेवाओं का निर्यात	1,771
(9)	वस्तुओं व सेवाओं का आयात	1,816
(10)	निजी अन्तिम उपभोग व्यय	29,163
(11)	विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय	(–) 284
(12)	आर्थिक सहायता	337
(13.)	मूल्य-ह्रास (स्थायी पूँजी की खपत)	2,217

(संकेत-घरेलू साधन आय में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और मूल्य-ह्रास को जोड़ने से हमें, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर प्राप्त होगा)

2. निम्न दिए गए आँकड़ों से ज्ञात करिए (1) सकल [illegible] उत्पाद बाज़ार क़ीमत पर (GDPmp) (2) सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर (GDP7c) (3) राष्ट्रीय आय, आय विधि व व्यय विधि से :

(रु० करोड़ों में)

(1)	सार्वजनिक अन्तिम उपभोग व्यय	7,351
(2)	अप्रत्यक्ष कर	8,834
(3)	सकल अचल पूँजी निर्माण	13,248
(4)	स्व-नियोजितों की मिश्रित आय	28,267

(5)	आर्थिक सहायता	1,120
(6)	स्टॉक में परिवर्तन	3,170
(7)	किराया, ब्याज व लाभ	9,637
(8)	मूल्य ह्रास (अचल पूँजी का उपभोग)	4,046
(9)	निजी अन्तिम उपभोग व्यय	51,177
(10)	वस्तुओं व सेवाओं का आयात	5,664
(11)	वस्तुओं व सेवाओं का निर्यात	4,812
(12)	विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय	(-)255
(13)	कर्मचारियों का पारिश्रमिक	24,420

अभ्यास 5.4

रिक्त स्थान भरिए :

1. आकस्मिक लाभ राष्ट्रीय आय का भाग ....।(है/नहीं है)
2. एक व्यक्ति द्वारा पुरानी कार बेचने पर प्राप्त मौद्रिक आय राष्ट्रीय आय का भाग ....।(है/नहीं)
3. पूँजीगत हस्तान्तरण .... का भाग हैं।(राष्ट्रीय आय/सकल अचल पूँजी निर्माण)
4. व्यय विधि से हमें सकल घरेलू उत्पाद .... मिलता है।(साधन लागत पर/बाज़ार कीमत पर)
5. विदेशों से लिए गए शुद्ध ऋण.............का भाग हैं। (सकल स्थायी पूँजी निर्माण/सकल घरेलू उत्पाद)

अध्याय 6

भारत में घरेलू उत्पाद का मापन

1. राष्ट्रीय आय का मापन

6.1.1 भारत में, राष्ट्रीय आय का मापन कार्य उन्नीसवीं शताब्दी से आरम्भ हुआ। सर्वप्रथम, दादाभाई नौरोजी ने 1867-68 में राष्ट्रीय आय के आँकड़े तैयार किए थे और भारत में निर्धनता की समस्या को उजागर करने के लिए एक पुस्तक "Poverty and Un-British Rule in India" में प्रकाशित किए। तत्पश्चात् विभिन्न शोधकर्त्ताओं द्वारा इस सम्बन्ध में आँकड़े तैयार किए गए, विशेषकर सन् 1900 के आरम्भ से। प्रथम वैज्ञानिक आँकड़े 1931-32 में प्रो०वी०के० आर०वी० राव ने तैयार किए। तथापि निजी शोधकर्त्ताओं द्वारा तैयार आँकड़ों को दीर्घकालिक अध्ययन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था क्योंकि उनके आकलन में कई सीमितताएँ थीं।

6.1.2 भारत गणराज्य के लिए, सर्वप्रथम 1948-49 में अधिकृत अनुमान वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए। इस कार्य को सरकारी तौर पर महत्त्व 1949 में दिया गया, जब इस वर्ष में प्रो० पी० सी० महलनवीस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई जिसके सदस्य प्रो० डी० आर० गाडगिल और प्रो० वी०के०आर०वी० राव थे। समिति ने अपनी प्रथम व अन्तिम रिपोर्ट क्रमश: 1951 और 1954 में प्रकाशित की। इन रिपोर्टों के प्रकाशित होने के बाद, राष्ट्रीय आय के अनुमानों पर कार्य सरकारी स्तर पर नियमित रूप से जारी रहा। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO), सांख्यिकी विभाग, योजना मंत्रालय, को भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान का कार्य सौंपा गया जिसने राष्ट्रीय आय समिति द्वारा अपनाई गई अवधारणाओं का प्रयोग किया। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) ने 1956 में राष्ट्रीय आय पर *श्वेत पत्र* (White Paper) के प्रथम संस्करण जारी किया। तभी से, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय के अनुमान "राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी" (National Accounts Statistics) प्रकाशित कर रहा है। (*श्वेत पत्र नाम अब बन्द कर दिया गया है।*) वर्तमान में, राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित समूहों के राष्ट्रीय आय के अनुमान, राष्ट्रीय आय के तीनों पहलुओं (घरेलू उत्पाद, उसका साधन-आय के रूप में वितरण और अन्तिम उपभोग तथा पूँजी निर्माण के लिए उसका उपयोग) पर प्रकाश डालते हैं।

6.1.3 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को निम्न औद्योगिक क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों में वर्गीबद्ध किया:

(1) *प्राथमिक क्षेत्र*
1. कृषि
2. वनोद्योग और लट्ठे बनाना
3. मछली उद्योग
4. खनन तथा उत्खनन

(2) *द्वितीयक (गौण) क्षेत्र*
5. विनिर्माण
5.1 पंजीकृत विनिर्माण
5.2 गैर-पंजीकृत विनिर्माण
6. निर्माण कार्य
7. विद्युत, गैस तथा जलपूर्ति

(3) *तृतीयक क्षेत्र*
अ परिवहन, संचार तथा व्यापार
8. परिवहन, संग्रहण तथा संचार
8.1 रेलवे
8.2 अन्य साधनों द्वारा परिवहन और संग्रहण
8.3 संचार
9. व्यापार, होटल तथा जलपान-गृह
ब वित्त तथा स्थावर सम्पदा
10 बैंकिंग तथा बीमा
11 स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ
स सामुदायिक तथा वैयक्तिक सेवाएँ
12 सरकारी प्रशासन तथा प्रति रक्षा
13 अन्य सेवाएँ

राष्ट्रीय आय मापन की विधियाँ

6.1.4 भारत में, राष्ट्रीय आय आकलन तीनों विधियों से अलग-अलग करना सम्भव नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, और आँकड़ों की कमी तथा अविश्वसनीयता गम्भीर समस्याएँ खड़ी कर देते हैं। उदाहरणस्वरूप कृषि क्षेत्र में आय विधि का उपयोग सम्भव नहीं हैं, क्योंकि आय के विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पारिवारिक उद्यमों में तीनों विधियों के उपयोग से उत्पादित आय और अन्तिम उपभोग व्यय का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। इसलिए, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। काफी समय से, मूल्य वृद्धि विधि और आय विधि सभी क्षेत्रों में परिणामों के प्रति-परीक्षण (Cross Check) के लिए उपयोग में लाई जाती रही है।

6.1.5 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा भारत के घरेलू उत्पाद के आकलन में अपनाई गई कार्य प्रणाली का वर्णन 1980 में उसकी प्रकाशित **''राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी—स्रोत तथा विधियाँ** (National Accounts Statistics: Sources and Methods) में किया गया है। कार्य प्रणाली में सुधार और राष्ट्रीय आय के अनुमानों में संशोधन **होते रहते हैं जैसे-जैसे नए आँकड़े प्राप्त होते हैं और परिणाम बाद के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में प्रकाशित परिशिष्ट (Appendix) ''कार्य प्रणाली पर टिप्पणी'' के अन्तर्गत दिए जाते हैं :**

6.1.6 उत्पादन विधि (मूल्य वृद्धि विधि), निम्न उत्पादक क्षेत्रों में घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने के लिए उपयोग में लाई जाती है:
1. कृषि व सम्बद्ध कार्य कलाप में
2. वनोद्योग व लट्ठा बनाना उद्योग
3. मछली उद्योग
4. खनन तथा उत्खनन
5. पंजीकृत विनिर्माण

6.1.7 आय विधि, निम्न क्षेत्रों में घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में, उपयोग में लाई जाती है:
1. गैर-पंजीकृत विनिर्माण
2. गैस, बिजली व जल पूर्ति
3. बैंक व बीमा
4. परिवहन, संचार तथा संग्रहण
5. स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व व व्यावसायिक सेवाएँ
6. व्यापार, होटल तथा जलपान-गृह
7. सार्वजनिक प्रशासन तथा प्रतिरक्षा
8. अन्य सेवाएँ

निर्माण क्षेत्र में, घरेलू उत्पाद के अनुमान

वस्तु प्रवाह विधि तथा व्यय विधि के सम्मिश्रण पर आधारित है।

6.1.8 सकल व शुद्ध घरेलू उत्पाद के अनुमान **प्रचलित व स्थिर दोनों कीमतों पर लगाए जाते हैं।** तथापि, हम केवल प्रचलित कीमतों पर लगाये गये अनुमानों का ही अध्ययन करेंगे।

कृषि व सम्बद्ध कार्य कलाप

6.1.9 सकल घरेलू उत्पाद व शुद्ध घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान जानने के लिए 68 कृषि फसलों पर विचार किया जाता है। उत्पादन और कीमतों के आँकड़े एकत्रित करने की दो विधियाँ हैं। एक को संगणना विधि कहते हैं और दूसरी को निदर्शन विधि। (11 वीं कक्षा में पढ़े आँकड़े एकत्रित करने की विधियाँ याद करिये) कृषि के लिए निदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में, दैव-निदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। हम गेहूँ का उदाहरण लें और दैव-निदर्शन विधि को समझें। देश में गेहूँ को उत्पादन करने वाले राज्यों में हर जिले में जहाँ गेहूँ की फसल कटने के लिए तैयार है, कुछ खेतों का दैव चुनाव कर लिया जाता है। फसल एक हैक्टेयर भूमि में काटी जाती है। इस उत्पादन को उस मौसम में जिले के बाजार में प्रचलित कीमत से गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार हमें एक हैक्टेयर भूमि में उत्पादित गेहूँ का मूल्य प्राप्त होता है। इस गेहूँ के मूल्य को गेहूँ उत्पादन करने वाली हैक्टेयर भूमि की संख्या से गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार हमें एक जिले में उत्पादित गेहूँ का मूल्य प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार की विधि, राज्य स्तर पर हर जिले में अपनाई जाती है।

6.1.10 वास्तविक व्यवहार में, फसल काटने के दैव-निदर्शन वार्षिक सर्वेक्षण राज्य सरकारों द्वारा 36 मुख्य फसलों के लिए किए जाते हैं। दूसरी फसलों के लिए, उत्पादन-मूल्य के आँकड़े विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं।

6.1.11 पशुधन से प्राप्त पदार्थों जैसे दुग्ध व दुग्ध-पदार्थ, मांस, मांस-पदार्थ, अंडे, और मुर्गी-पालन में उत्पादन का मूल्य, संगणना विधि से प्राप्त किया जाता है। पशुधन की संगणना भारत में प्रति पाँच वर्ष में की जाती है। उदाहरण के लिए, दुग्ध उत्पादन का मूल्य विभिन्न प्रकार के पशुधन के औसत उत्पादन को उनकी संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। और फिर उसे निकट के बाजार के औसत थोक मूल्य से गुणा कर दिया जाता है।

6.1.12 कृषि व सम्बद्ध कार्य कलापों की सकल मूल्य वृद्धि जानने के लिए इसके उत्पादन मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग की आवश्यक कटौतियाँ की जाती है। मध्यवर्ती लागतों में (1) बीज (2) खाद **(रासायनिक खाद आदि) (3) स्थायी परिसम्पत्ति** की चालू-मरम्मत व रख-रखाव पर व्यय और प्रचालन लागतें (Operational Costs) (4) पशुधन के लिए चारा (5) सिंचाई व्यय (6) बाजार व्यय (7) बिजली (8) कीटाणुनाशक और कीटनाशक और (9) डीजल, सम्मिलित हैं।

6.1.13 कृषि-उत्पादन में प्रयुक्त स्थायी पूँजी उपभोग के लिए निम्न परिसम्पत्तियाँ सम्मिलित हैं :

1. कृषि उपकरण, मशीनरी व परिवहन उपस्कर
2. फार्म हाउस, खलिहान और पशुओं के लिए शेड (पशुशाला)
3. फलों के बाग और बागान
4. **मेढ़ और अन्य भूमि विकास**
5. कुएँ व अन्य सिंचाई के साधन
6. माँस की दुकानें

इस क्षेत्र के सकल मूल्य वृद्धि अनुमानों में से स्थायी पूँजी की खपत को घटाकर शुद्ध मूल्य वृद्धि प्राप्त की जाती है।

वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना

6.1.14 **वनोद्योग के बड़े पदार्थों जैसे इमारती** लकड़ी, गोल लकड़ी, माचिस और गूदा लकड़ी तथा ईंधन लकड़ी आदि के उत्पादन के आँकड़े और थोक मूल्यों को हर राज्य के वनों के मुख्य संरक्षक (Chief Conservator of forests) से **प्राप्त किए जाते हैं। काफी मात्रा में औद्योगिक व ईंधन लकड़ी सरकारी रिकार्ड में आने से बच जाती है। इसलिए रिकार्ड में आए उत्पादन के मूल्य का 10% भाग ऐसे बिना रिकार्ड में आए उत्पादन के** लिए जोड़ दिया जाता है। मध्यवर्ती लागतें हैं। (1) प्रचालन लागतें (Operational Costs) (2) सड़कों **और अन्य परिसम्पत्तियों की मरम्मत और** रख-रखाव पर व्यय। मूल्य ह्रास (अचल पूँजी का उपभोग) का भी अनुमान लगाया जाता है। उत्पादन-मूल्य से, मध्यवर्ती लागत मूल्य और मूल्य-ह्रास (अचल पूँजी उपभोग) को घटाकर इस क्षेत्र की शुद्ध मूल्य वृद्धि ज्ञात की जाती है।

मछली उद्योग

6.1.15 इस क्षेत्र में दो प्रकार की क्रियाएँ होती हैं—समुद्री मछली पकड़ना (Marine fishing or Sea-fishing) और देशीय जल जैसे नदियों, सिंचाई की नहरों, झीलों आदि में मछली पकड़ना। बेचने के उद्देश्य से मछली पकड़ना व्यावसायिक मछली उद्योग कहलाता है और स्व-उपभोग के लिए मछली पकड़ना निर्वाह के लिए होता है। हम देखते हैं कि व्यक्ति इन दो प्रकार की मछली उद्योग में लगे हुए हैं। भिन्न-भिन्न विधियों का प्रयोग इन दोनों उद्योगों में (समुद्री और देशीय) मछली पकड़ने के आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। उदाहरणस्वरूप, वार्षिक निदर्शन सर्वेक्षण, प्रमुख तटीय केन्द्रों से सूचना प्राप्त करना, नगरपालिकाओं के बाजार में मछली की बिक्री, प्रतिवर्ष उपभोग की गई मछली की मात्रा आदि, विधियों के कुछ उदाहरण हैं जो विभिन्न राज्यों द्वारा आँकड़े एकत्रित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। जहाँ तक निर्वाह मात्र के लिए मछली पकड़ने का सम्बन्ध है, इसके आँकड़े स्थानीय बाजारों से जबानी पूछ-ताछ से एकत्रित किए जाते हैं। प्रमुख केन्द्रों में प्रचलित औसत थोक-मूल्यों का प्रयोग, इस उद्देश्य से मछली पकड़ने के उत्पादन-मूल्य को ज्ञात करने के लिए, किया जाता है। ये आँकड़े **केन्द्रीय समुद्री मछली उद्योग शोध संस्थान** (Central Marine fisheries Research Institute) और राजकीय मछली विभागों (State fisheries Department) द्वारा एकत्रित व संकलित **किए जाते हैं। मध्यवर्ती आगतों व मूल्य-ह्रास** सम्बन्धित आँकड़ों के उपलब्ध न होने के कारण, इनके लिए कुछ मूल्यों की मान्यता कर ली जाती है। शुद्ध वृद्धि जानने के लिए इन मूल्यों को उत्पादन मूल्य में से घटा दिया जाता है।

खनन व उत्खनन

6.1.16 मुख्य खनिज पदार्थों जैसे कोयला, तेल, लौह अयस्क, मैंगनीज आदि के उत्पादन के आँकड़े उत्पादक उद्यम इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (IBM) को प्रस्तुत करते हैं। राज्यवार और खनिज-वार उत्पादन मूल्य आई० बी० एम० **द्वारा आकलन व प्रकाशित किए जाते हैं।** आगतों का मूल्य से अभिप्राय है खनन-व्यय जिसमें कच्चे माल की लागत, ईंधन, बिजली, जो उत्पादन में प्रयुक्त हुई है, तथा खानों द्वारा स्वयं कच्चे माल का उपभोग और बाहर से खरीदी गई औद्योगिक व गैर-औद्योगिक सेवाओं का मूल्य भी शामिल रहता है। मध्यवर्ती उपभोग के अनुमान प्रत्येक खनिज **और प्रत्येक राज्य के अलग-अलग संकलित किए** जाते हैं। राज्यों के आँकड़ों को जोड़ कर राष्ट्रीय योग प्राप्त किया जाता है। मध्यवर्ती उपभोग-मूल्य और मूल्य-ह्रास को उत्पादन मूल्य में से घटा कर इस क्षेत्र की शुद्ध मूल्य वृद्धि ज्ञात की जाती है।

पंजीकृत विनिर्माण

6.1.17 भारतीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (The National Sample Survey Organisation of India) ने इस क्षेत्र को दो भागों में बाँटा है– (1) संगणना क्षेत्र और (2) निदर्शन क्षेत्र। और यह उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करता है। जिसे "**उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण**" (Annual Survey of Industries) कहते हैं। यह सर्वेक्षण उद्योग वार रोजगार, उत्पादन, आगत और नियुक्त पूँजी सम्बन्धी आँकड़ों को देशों, क्षेत्रों के लिए अलग-अलग उपलब्ध कराता है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण से उत्पादन-मूल्य के अनुमान लगाए जाते हैं। मध्यवर्ती उपभोग में –(1) उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल का मूल्य (2) उपयोग किया गया ईंधन और बिजली और (3) बाहर से खरीदी गई सेवाओं का मूल्य, शामिल रहता है, मध्यवर्ती उपभोग-मूल्य और मूल्य-ह्रास को उत्पादन मूल्य में से घटाकर शुद्ध मूल्य वृद्धि ज्ञात की जाती है।

गैर-पंजीकृत विनिर्माण

6.1.18 इस क्षेत्र में आय विधि का प्रयोग होता है। वर्ष-प्रतिवर्ष उत्पादन-मूल्य के अनुमान व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। एन०एस०एस०ओ० **(NSSO) और अन्य सरकारी संगठनों द्वारा किए गए प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से किसी विशेष वर्ष के** आँकड़े उपलब्ध होते हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणामों से उत्पादन-मूल्य लिया जाता है और जनगणना से कर्मचारियों की संख्या ली जाती है। प्रति कर्मचारी मूल्य वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है और इसे जनगणना द्वारा प्राप्त कर्मचारियों की संख्या से गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार हर उद्योग में उस वर्ष के जिसके आँकड़े उपलब्ध हैं, शुद्ध मूल्य वृद्धि का योग प्राप्त हो जाता है।

निर्माण कार्य

6.1.19 यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक भाग के लिए व्यय विधि और दूसरे भाग के लिए वस्तु-प्रवाह विधि प्रयोग में लाई जाती है। निर्माण क्रियाएँ दो भागों में वर्गबद्ध की जाती हैं– (1) पक्का निर्माण और (2) श्रम-प्रधान कच्चा निर्माण। पक्के निर्माण में सीमेन्ट, स्टील, ईंटें, बिजली व स्वास्थ्य सम्बन्धी फिटिंग और अन्य औद्योगिक उत्पाद, आगतों में शामिल हैं। कच्चे निर्माण में आगतें हैं, पत्तियाँ, सरकंडे मिट्टी आदि जो ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क उपलब्ध हैं। कच्चे निर्माण के उदाहरण हैं– ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन किसानों तथा मजदूरों द्वारा रहने के लिए मकान व पशु शालाएँ। जहाँ तक पक्के निर्माण का सम्बन्ध है उत्पादन-मूल्य के अनुमान (ए०एस०आई०) उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, सरकारी विभागों, और ठेकेदारों से इमारतों की फुटकर कीमतों और अन्य व्यय सम्बन्धी आँकड़ों का प्रत्यक्ष एकत्रीकरण से प्राप्त किए जाते हैं। कच्चे निर्माण के सम्बन्ध में (एन०एस०एस०ओ०) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किये गये सर्वेक्षण ही उत्पादन मूल्य के अनुमानों का आधार है। उत्पादन मूल्य में से मूल्य-ह्रास और **मध्यवर्ती उपभोग मूल्य को घटाकर हर क्षेत्र में** अलग-अलग शुद्ध मूल्य **वृद्धि प्राप्त** की जाती है। कच्चे निर्माण कार्य में मूल्य ह्रास नगण्य होता है।

बिजली, गैस व जलपूर्ति

6.1.20 यहाँ शुद्ध मूल्य वृद्धि ज्ञात करने के लिए आय विधि का उपयोग होता है। इसका अभिप्राय है कि साधन आय के रूप में कर्मचारियों का पारिश्रमिक और परिचालन-अधिशेष का योग। उपक्षेत्र जलपूर्ति के लिए कर्मचारियों की संख्या

और वेतन के आँकड़े नगरपालिकाओं से उपलब्ध होते हैं। ए०एस०आई० प्रचालन-अधिशेष और मूल्य-ह्रास के आँकड़े उपलब्ध कराता है।

परिवहन, संग्रहण और संचार

6.1.21 इस क्षेत्र में आय विधि का उपयोग होता है। जहाँ तक परिवहन उपक्षेत्र का सम्बन्ध है, सकल मूल्य वृद्धि और शुद्ध मूल्य वृद्धि के अनुमान चार परिवहन उपक्रमों—रेल, सड़क, जल व वायु द्वारा वार्षिक खातों से प्राप्त होते हैं जहाँ ऐसे खाते उपलब्ध हैं। दूसरे मामलों में, प्रति कर्मचारी मूल्य-वृद्धि के अनुमान (एन०एस०एस०ओ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठनों के परिणामों से प्राप्त होते हैं और जनगणना के आँकड़े कर्मचारियों की संख्या बताते हैं। संग्रहण में भी, इसी विधि का उपयोग होता है। संचार में कोई समस्या नहीं उठती, क्योंकि साधन आय के आँकड़े सरकारी खातों और बजट दस्तावेजों से सरलता से एकत्रित किए जाते हैं।

व्यापार, होटल और जलपान गृह

6.1.22 इस क्षेत्र में साधन आय के नियमित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर आधारित, विशेष वर्षों के अनुमान लगाये जाते हैं। अन्य वर्षों के लिए अनुमान समुचित संकेतों को प्रयोग में लाकर लगाये जाते हैं।

बैंकिंग व बीमा

6.1.23 व्यावसायिक बैंकों और अन्य बैंकों में साधन आय के अनुमानों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया मुख्य स्रोत है। वित्तीय निगमों, और बीमा कम्पनियों में साधन आय के अनुमान उनके वार्षिक खातों का विश्लेषण करने से प्राप्त होते हैं।

स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व और अन्य सेवाएँ

6.1.24 सकल और शुद्ध मूल्य-वृद्धि के अनुमान संगठित और असंगठित प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग तैयार किए जाते हैं। संगठित क्षेत्र में साधन आय के अनुमान कम्पनियों के खातों का विश्लेषण करके प्राप्त किए जाते है। असंगठित इकाईयों की मूल्य वृद्धि को संगठित भाग की मूल्य वृद्धि के कुछ प्रतिशत के रूप में विवादास्पद तौर पर मान लिया जाता है।

6.1.25 आवास गृहों के स्वामित्व के सम्बन्ध में सकल मूल्य वृद्धि आवास गृहों के सकल किराया मूल्य में से उनकी मरम्मत व रख-रखाव पर खर्चों को निकालने के बाद शेष मूल्य के बराबर होती है। सकल किराया मूल्य, नगरपालिकाओं व ग्राम पंचायतों से ज्ञात किया जाता है। वर्तमान मरम्मत पर व्यय और मूल्य-ह्रास, मकानों के मूल्य का कुछ प्रतिशत मान लिए जाते हैं।

6.1.26 व्यावसायिक सेवाओं के लिए, प्रति कर्मचारी मूल्य वृद्धि और कर्मचारियों की संख्या कुछ वर्षों के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण रिपोर्टों और अन्य प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से प्राप्त होती हैं। अन्य वर्षों के अनुमान कुछ संकेतकों जैसे उपभोक्ता-सूचक अंकों में परिवर्तन और मजदूरी दर का प्रयोग करके लगाए जाते हैं।

(सार्वजनिक) सरकारी प्रशासन और प्रतिरक्षा

6.1.27 सरकारी प्रशासन और प्रतिरक्षा की मूल्य-वृद्धि में केवल कर्मचारियों का पारिश्रमिक शामिल है। ये आँकड़े केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों के बजट व वार्षिक खातों से प्राप्त होते हैं।

अन्य सेवाएँ

6.1.28 सेवाओं के विभिन्न वर्गों जैसे शैक्षिक सेवाएँ (स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों) चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएँ (डाक्टरों, नर्सों, कम्पाउण्डरों व अन्य कर्मचारियों की) मनोविनोद व मनोरंजक सेवाएँ (गायकों, नर्तकों, अभिनेता व संगीतज्ञों की) व्यक्तिगत सेवाएँ (नाईयों, घरेलू नौकरों और ब्यूटी सैलूनों की) आदि में मूल्य वृद्धि के अनुमान आय विधि से लगाए जाते हैं। (अर्थात प्रत्येक सेवा में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या और प्रति कर्मचारी आय)। जहाँ तक निगमित, अर्ध-निगमित उद्यमों और सरकारी उद्यमों का सम्बन्ध है, साधन आय के अनुमान उनके वार्षिक खातों, वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्टों और बजट दस्तावेजों से लगाए जाते हैं। स्व-लेखा कर्मचारियों और पारिवारिक उद्यमों में अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्टों के आधार पर किए जाते हैं।

6.1.29 अर्थव्यवस्था के उपरोक्त 13 घरेलू क्षेत्रों की शुद्ध मूल्य वृद्धि का योग साधन लागत पर घरेलू उत्पाद होता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (राष्ट्रीय आय) ज्ञात करने के लिए साधन लागत पर घरेलू उत्पाद में विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है।

विदेशों से अर्जित शुद्ध आय

6.1.30 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं की निर्यात प्राप्तियाँ, सरकारी खातों और निजी खातों पर मित्र देशों से वर्तमान और पूँजीगत हस्तान्तरण, अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण और अन्य उधार और साधन आय की प्राप्तियों के आँकड़ों को एकत्रित करता है और संकलित करके प्रकाशित करता है। इसी प्रकार विदेशी भुगतान के आँकड़े भी जैसे वस्तुओं और सेवाओं के आयात-भुगतान, विदेशों को वर्तमान और पूँजीगत हस्तान्तरण वित्तीय परिसम्पत्तियों का परिग्रहण (Acquisition) और साधन आय आदि—रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित, संकलित और प्रकाशित किए जाते है। यह भारत का भुगतान-शेष खाता प्रतिवर्ष तैयार करता है। इन खातों से विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय की गणना की जाती है।

2. राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की सारिणियों का अध्ययन

6.2.1 हर वर्ष की प्रथम चौथाई अवधि में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS) सात भागों में विभाजित है और हर भाग में कई विवरण होते हैं। इसके अतिरिक्त, परिशिष्ट और कार्यप्रणाली पर टिप्पणियाँ हैं। जनवरी 1984 में अंतिम प्रकाशित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में प्रचलित और स्थिर कीमतों पर विभिन्न समुच्चयों (Aggregates) से सम्बन्धित 57 विवरण दिए गए हैं और तीन परिशिष्ट तथा कार्यप्रणाली पर टिप्पणियाँ हैं।

6.2.2 भाग 1 में समष्टि अर्थशास्त्र से सम्बन्धित समुच्चयों पर पाँच विवरण दिए गए हैं। विवरण 1, अर्थव्यवस्था के ढांचे को दर्शाता है। इसमें 16 समष्टि अर्थशास्त्र के समुच्चय हैं जैसे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP7c), साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP7c) बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNPmp)और अन्य समुच्चय जो राष्ट्रीय आय के तत्व हैं। कुछ चुने हुए वर्षों 1970-71 से 1981-82 तक की प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर व्यय के आँकड़े भी इसमें दिए गए है। ये सभी समुच्चय अध्याय 4 और 5 में चर्चित किए जा चुके हैं।

6.2.3 भाग एक का दूसरा विवरण, राष्ट्रीय उत्पाद, उपभोग, बचत और पूँजी निर्माण (जिनकी

चर्चा अध्याय 3,4, और 5 में की जा चुकी है) का **सारांश दर्शाता है। विवरण 4 (भाग 1) में राष्ट्रीय उत्पाद और सम्बन्धित समुच्चय है। इनकी चर्चा अध्याय 4 में की जा चुकी है। 1981-82 के ये** समुच्चय नीचे दिए गए हैं:

विवरण 4. राष्ट्रीय उत्पाद और सम्बन्धित समुच्चय

(प्रचलित कीमतों पर)	*(रु० करोड़ में)*
1. सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर (GNP7c)	1,31,740
2. *जोड़ें* अप्रत्यक्ष कर	20,092
3. *घटाएँ* आर्थिक सहायता	3,161
4. सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर (GNPmp)	1,48,671
5. *घटाएँ* मूल्य ह्रास (स्थायी अचल पूँजी का उपभोग)	9,751
6. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाज़ार कीमत पर (NNPmp)	1,38,920
7. *घटाएँ* विदेशों से शुद्ध साधन आय	(-) 7
8. शुद्ध घरेलू उत्पाद बाज़ार कीमत पर (NDPmp)	1,38,927
9. शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर (NDP7c)	1,21,996
10. *घटाएँ* सरकारी प्रशासकीय विभागों को सम्पत्ति व उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय	2,438
11. *घटाएँ* गैर-विभागीय उद्यमों की बचत	1,180
12. निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय	1,18,378
13. *जोड़ें* राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज	1,842
14. *जोड़ें* विदेशों से शुद्ध साधन आय	(-) 7
15. *जोड़ें* सरकारी प्रशासनिक विभागों से वर्तमान हस्तान्तरण	3,311
16. *जोड़ें* शेष-विश्व से अन्य प्रचलित हस्तान्तरण (शुद्ध)	2,221
17. निजी आय	1,25,745
18. *घटाएँ* निजी निगमित क्षेत्र की बचतें, (विदेशी कम्पनियों की प्रति धारित आय से शुद्ध)	1,209
19. *घटाएँ* निगम कर	1,970
20. वैयक्तिक आय	1,22,566
21. *घटाएँ* परिवारों द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष कर	2,501
22. *घटाएँ* सरकारी प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियाँ	371
23. वैयक्तिक प्रयोज्य आय	1,19,694

6.2.4 भाग 2 में दो विवरण हैं। विवरण 6 मूल उद्योगों द्वारा शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर (NDP7c)दर्शाता है और विवरण 7 में मूल उद्योगों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर दिखाया गया है वे उत्पादन विधि से शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना के चरण से सम्बन्धित है।

6.2.5 भाग 3 में साधन आय के आंकड़े हैं। विवरण 8 में 1981-82 वर्ष की साधन आय निम्न प्रकार से दिखाई गई है:

(प्रचलित कीमतों पर)	*(रु० करोड़ों में)*
1. कर्मचारियों का पारिश्रमिक	49,651
2. ब्याज	10,209
3. किराया	4,794
4. लाभ और लाभांश	6,926
5. स्व-नियोजितों की मिश्रित आय	50,416
शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर	1,21,996

उपरोक्त विवरण दूसरे चरण से सम्बन्धित है और राष्ट्रीय आय की गणना में आय विधि के उपयोग को दिखाता है।

6.2.6 भाग 4. राष्ट्रीय आय की गणना के तीसरे चरण अर्थात् व्यय विधि से सम्बन्धित है। इसमें सात विवरण हैं जो उपभोग, बचत और पूँजी निर्माण को दिखाते हैं। विवरण 11 और 12 निजी अन्तिम उपभोग के आँकड़े बताता है। विवरण 13 और 14 बचत की दर और पूँजी निर्माण को दिखाते हैं। विवरण 15 में घरेलू पूँजी निर्माण (परिसम्पत्तियों के किस्म के रूप में) के आँकड़े दिखाए गए हैं और

1981-82 वर्ष में ये आँकड़े निम्न प्रकार से हैं:

विवरण 15 : परिसम्पत्तियों के प्रकार के अनुसार घरेलू पूँजी निर्माण

(प्रचलित कीमतों पर) *(रु० करोड़ों में)*

1.	निर्माण कार्य	15,445
2.	मशीनरी व उपस्कर	14,271
3.	स्टॉक में परिवर्तन	6,964
4.	कुल सकल घरेलू पूँजी निर्माण	36,680
5.	*घटाएँ* मूल्य ह्रास (स्थायी पूँजी की खपत अचल पूँजी का उपभोग)	9,751
6.	कुल शुद्ध घरेलू पूँजी निर्माण	26,929

सकल घरेलू पूँजी निर्माण का लगभग 42% भाग निर्माण कार्य का है जबकि मशीनरी व उपस्कर का 40% से भी कम है। यह इस बात का सूचक है कि निर्माण कार्य, भारत में पूँजी निर्माण में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

6.2.7 भाग 5, सार्वजनिक क्षेत्र के संव्यवहारों (सौदों) से सम्बन्धित है। सार्वजनिक क्षेत्र में, सामान्य सरकार (सरकारी प्रशासनिक विभाग भी कहते हैं) के विभागीय उद्यम और गैर-विभागीय उद्यम शामिल हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के अंश से यह स्पष्ट होता है कि उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व किस सीमा तक है और उनका उपयोग व्यक्तियों के कल्याण के लिए किस सीमा तक किया जाता है राष्ट्रीय आय के आँकड़े यह दिखाते हैं कि शुद्ध घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र का अंश लगभग 7%से 21.4% तक 1950-51 और 1981-82 के बीच बढ़ गया है। इसी अवधि में सकल घरेलू पूँजी निर्माण में उसका अंश 32% से 40% बढ़ गया। घरेलू बचत में उसके अंश में नाममात्र वृद्धि हुई जैसे यह 18% से बढ़कर 21% हो गई। यह स्पष्ट करता है कि बचत के सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र का निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है।

6.2.8 भाग 6, राष्ट्र के समेकित लेखे (Consolidated Accounts) दिखाता है। लेखा 1, सकल घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद पर व्यय को दिखाता है। लेखा नं० 3, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (National Disposable Income) और उसके विनियोजन (Appropriation) को दिखाता है। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय और शेष-विश्व से वर्तमान हस्तान्तरण (शुद्ध)का योग है। इसके विनियोजन में सरकारी अन्तिम उपभोग व्यय, निजी अन्तिम उपभोग व्यय और बचतें आती हैं। (इस लेखे में बचत सन्तुलन की मद है।)

6.2.9 भाग 6 में, लेखा 5, पूँजी वित्त लेखा (Capital Finance Account) है। यह देश में सकल संचय के वित्तीय स्रोतों और देश में सकल संचय की राशि को दर्शाता है। वित्तीय स्रोत हैं-बचत, मूल्य ह्रास (स्थायी पूँजी की खपत अचल पूँजी का उपभोग) और शेष-विश्व से पूँजीगत हस्तान्तरण शेष-विश्व को शुद्ध ऋण और सकल घरेलू पूँजी निर्माण सकल संचय का निर्माण करता है। सकल संचय एक राष्ट्रीय अवधारणा है और सकल घरेलू पूंजी निर्माण एक घरेलू अवधारणा है। इन दोनों में अन्तर शेष-विश्व को शुद्ध ऋण का है। शेष-विश्व को शुद्ध ऋण, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है।

6.2.10 भाग 6 में लेखा 6, भारत के विदेशी संव्यवहारों (सौदों) से सम्बन्धित है। यह "विदेशी संव्यवहार लेखा" (External Transaction Account) कहलाता है। इसमें भारत के शेष-विश्व के साथ सब वर्तमान सौदे शामिल होते हैं। वर्तमान प्राप्तियों के पक्ष की ओर वस्तुओं व सेवाओं का निर्यात मूल्य, शेष-विश्व से कर्मचारियों का पारिश्रमिक, शेष-विश्व से सम्पत्ति आय व उद्यम-वृत्ति से आय, और शेष-विश्व से परिवारों और गैर-लाभकारी संस्थाओं को अन्य हस्तान्तरण, लिखे जाते हैं। वर्तमान भुगतान पक्ष की ओर,

वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात मूल्य, शेष-विश्व को कर्मचारियों का पारिश्रमिक शेष-विश्व की सम्पत्ति व उद्यम वृत्ति से आय, विदेशी कम्पनियों की प्रतिधारित आय, और शेष-विश्व को अन्य हस्तान्तरण लिखे जाते हैं। इसमें देश के शेष-विश्व से पूँजीगत हस्तान्तरण भी दिखाए जाते हैं जैसे शेष-विश्व को शुद्ध पूँजी गत हस्तान्तरण, विदेशी वित्तीय परिसम्पत्तियों का शुद्ध उपार्जन (Acquisition) और विदेशी देनदारियों की देयता।

6.2.11 **इस प्रकार एक राष्ट्र के चार संगठित लेखे होते हैं – सकल घरेलू उत्पाद और व्यय लेखा (लेखा क्रमांक1), राष्ट्रीय प्रयोज्य आय और उसका विनियोजन** (लेखा क्रमांक3), पूंजीवित्त (लेखा **क्रमांक5), और विदेशी** संव्यवहार (सौदे) (लेखा **क्रमांक6)।** राष्ट्रीय लेखा सर्वेक्षण (SNA) **विकासशील देशों के लिए इन चार समेकित लेखों (Consolidated Accounts)** को सर्वोच्च **प्राथमिकता देता है।** केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन **(CSO) इन सभी चार लेखों को तैयार करता है। (लेखा संख्या 2 और 4 को कम प्राथमिकता दी जाती है।)**

6.2.12 भाग 7 में गैर समुच्चय विवरण **(Disaggregated Statements)** होते हैं। **अर्थव्यवस्था के 13 घरेलू में से प्रत्येक की** मूल्य वृद्धि के आँकड़े और विदेशों से शुद्ध साधन **आय, इन विवरणों में दी जाती है। इन विवरणों से, हमें हर क्षेत्र का घरेलू उत्पाद में योगदान का ज्ञान** हमें हर क्षेत्र का शुद्ध घरेलू उत्पाद में योगदान का होगा, और 1970-71 से 1981-82 तक उनके सापेक्ष और निरपेक्ष योगदान में परिवर्तनों का ज्ञान भी होगा।

6.2.13 परिशिष्ट 1 में समष्टि अर्थशास्त्र के समुच्चयों जैसे शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP), सकल घरेलू उत्पाद (GDP), शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, (NNP),सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) प्रतिव्यक्ति आय पूँजी निर्माण आदि का 1950-51 से 1982-83 तक प्रचलित कीमतों और स्थिर कीमतों (1970-71 की कीमतें) दोनों पर समावेश होता है। यह, विचारगत अवधि में जनसंख्या आँकड़े भी दर्शाता है। आपको याद होगा कि प्रथम अध्याय में हमने देखा है कि एक दीर्घ अवधि तक निरन्तर स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में संवृद्धि को ही आर्थिक संवृद्धि की परिभाषा दी गई है। आइए, परिशिष्ट में दिए गए आँकडों से हम देखें कि क्या देश में आर्थिक संवृद्धि हुई है, यदि हाँ, तो किस सीमा तक हमारे समक्ष रखे गए लक्ष्यों की पूर्ति 1950-51 से 1982-83 तक में हुई।

6.2.14 निम्न तालिका हमारे कार्य को सरल बनाती है:

समष्टि आर्थिक समुच्चय

रु० करोड़ों में

	स्थिर कीमतों पर		*प्रचलित कीमतों पर*	
	1950-51	1982-83	1950-51	1982-83
1. सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर	17,469	54,187	9,136	1,45,141
2. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर	16,731	50,486	8,812	1,34,066
3. प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर	486.6	764.3	254.5	2047.1
4. प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर	466.0	712.1	245.5	1890.9

1950-51 में जनसंख्या 35.9 करोड़ से बढ़कर 1982-83 में 70.9 करोड़ हो गई।

6.2.15 तालिका से स्पष्ट है कि 32 वर्ष की अवधि में सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर स्थिर कीमतों पर लगभग 200% और प्रचलित कीमतों पर लगभग 1500% बढ़ गया। हम कीमतों में वृद्धि का राष्ट्रीय आय की संवृद्धि पर प्रभाव को समझ सकते हैं। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद स्थिर कीमतों पर केवल 57% ही बढ़ा, लेकिन प्रचलित कीमतों पर वह 700% बढ़ गया। ये आंकड़े इस निष्कर्ष को सिद्ध करते हैं कि प्रचलित कीमतों पर प्रतिव्यक्ति आय में संवृद्धि, आर्थिक संवृद्धि को जानने के लिए व्यर्थ है।

6.2.16 दूसरा और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष जो इन आँकड़ों से निकलता है यह है कि प्रति व्यक्ति आय 1982-83 तक भी दुगनी नहीं की जा सकी। यद्यपि इस लक्ष्य-प्राप्ति का वर्ष 1977-78 था। इस सम्बन्ध में हमने केवल 60% ही सफलता प्राप्त की है। विचारगत अवधि में जनसंख्या लगभग दुगनी हो गई। फलस्वरूप, प्रति व्यक्ति आय में संवृद्धि साधन लागत पर सकल व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में संवृद्धि से कहीं कम थी।

6.2.17 1950-51 से भारत में आर्थिक संवृद्धि होती रही है। किन्तु परिशिष्ट के आंकड़े निर्णयात्मक रूप से सिद्ध करते है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद 5 से 5.5% वार्षिक यौगिक दर (Annual Compound Rate) से संवृद्धि का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा लक्ष्य प्रतिव्यक्ति आय को दुगुना करने का भी प्राप्त नहीं किया जा सका है क्योंकि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई।

अभ्यास 6.1

1. उन क्षेत्रों के नाम बताइए जिनमें आय विधि का उपयोग होता है।
2. भारतीय कृषि में प्रयुक्त पाँच आगतों (Inputs) के नाम बताइए।
3. भारतीय कृषि में प्रयुक्त तीन अचल परिसम्पत्तियों के नाम बताइए जिनमें मूल्य-ह्रास का अनुमान लगाया जाता है।
4. निर्माण क्षेत्र में मूल्य-वृद्धि का अनुमान लगाने की विधि का नाम बताइए।
5. एक कृषक की निम्न क्रियाओं को साधन आगतों का भुगतान, मध्यवर्ती उपभोग और पूँजी निर्माण में वर्गबद्ध करिए:
   अ. खेत तक खाद को बैल गाड़ी से ले जाना
   ब. ट्यूबवैल चलाने के लिए बिजली का खर्चा
   स. भूमि जोतने के लिए श्रमिकों को दिया गया भुगतान
   द. एक ट्रैक्टर का खरीदना।
   इ. एक सहकारी-समिति को फसल के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान
6. केन्द्रीय सरकार की निम्न प्राप्तियों को साधन आय और अन्य प्राप्तियों में वर्गबद्ध
   अ. सरकारी कर्मचारियों को गृह-निर्माण ऋण पर ब्याज
   ब. रेलवे द्वारा सृजित अधिशेष
   स. उत्पादकों से एकत्रित किया गया केन्द्रीय उत्पादन शुल्क
   द. सरकार द्वारा एकत्रित जुर्माने
7. निम्न में से कौन-सी मदें सामान्य सरकार द्वारा साधन लागत पर की गई मदें हैं:—
   अ. सरकारी कर्मचारियों को दिया गया वेतन
   ब. कार्यालयों में प्रयोग के लिए स्टेशनरी का क्रय
   स. सरकारी कार्यालयों में बिजली के खर्चे
   द. वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान

अभ्यास 6.2

1. एक देश के चार समेकित लेखों के नाम बताइए।
2. सकल संचय और सकल घरेलू पूँजी निर्माण में अन्तर बताइए।
3. 1981-82 में कुल घरेलू साधन आय में स्व-नियोजितों की मिश्रित आय का प्रतिशत भाग बताइए।
4. 1950-51 और 1981-82 में शुद्ध और सकल घरेलू पूँजी निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र का क्या भाग है।
5. निम्न आँकड़ों से स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमतों, दोनों ज्ञात करिए:
   (1) प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर और (2) प्रतिव्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर

(रु० करोड़ो में)

समुच्चय	*वर्ष*	*स्थिर कीमतों पर*	*प्रचलित कीमतों पर*
1. सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर	1955-56	20,854	9,710
	1960-61	25,424	13,999
	1970-71	·36,452	36,452
	1980-81	50,603	1,13,882
2. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर	1955-56	19,953	9,262
	1960-61	24,250	13,263
	1970-71	34,235	34,235
	1980-81	47,312	1,05,834
3. जनसंख्या	वर्ष	करोड़ों में	
	1955-56	39.3	
	1960-61	43.4	
	1970-71	54.1	
	1980-81	67.9	

मुख्य पारिभाषिक शब्दावली

1. **लेखावर्ष** : वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आरम्भ
2. **राष्ट्रों के लेखे**: चार लेखे जो उत्पादन (सकल घरेलू उत्पाद और व्यय), उपभोग (राष्ट्रीय प्रयोज्य आय और उसका विनियोजन) संचय (पूँजी वित्त और विदेशी सौदे) विदेशी सौदे लेखा से क्रमशः सम्बधित हैं।
3. **संचय**: अचल सम्पत्तियों, गैर-टिकाऊ वस्तुओं का स्टॉक, वित्तीय परिसम्पत्तियों, पेटेन्ट्स, कॉपीराइट्स और अन्य अगोचर परिसम्पत्तियों का एक लेखा अवधि में अर्जन से *घटाये* देनदारियों का दायित्व।
4. **परिसम्पत्तियाँ**: मशीनरी, उपस्कर, फर्नीचर, इमारतों, और अन्य टिकाऊ पुर्नउत्पादनीय वस्तुओं, गैर-टिकाऊ वस्तुओं का स्टॉक, भूमि, स्मारकों और अन्य गैर-पुर्नउत्पादनीय अगोचर परिसम्पत्तियों, कॉपीराइट्स, पट्टे, वित्तीय दावे अन्य पक्षों पर और अन्य अगोचर परिसम्पत्तियों का स्वामित्व।
5. **पूँजी वित्तलेखा** : पूँजी सौदों से सम्बन्धित लेखा अर्थात् संचय और उसका निवासी संस्थात्मक इकाइयों को वित्तीयन।
6. **सकल व शुद्ध पूँजी निर्माण**: सकल पूँजी निर्माण में सकल अचल पूँजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन शामिल होता है। सकल पूँजी निर्माण से मूल्य-ह्रास (अचल पूँजी उपभोग) घटाकर शुद्ध पूँजी निर्माण प्राप्त किया जा सकता है।
7. **घरेलू पूँजी निर्माण**: घरेलू पूँजी निर्माण से अभिप्राय देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी उत्पादकों की क्रियाओं से है। इसमें अचल पूंजी निर्माण शामिल होता है जिसमें देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत निवासी उद्योगों, सामान्य सरकार, निजी गैर-लाभकारी संस्थाओं (जो परिवारों को सेवाएँ प्रदान करती हैं) और उपभोक्ता परिवारों द्वारा नए मकानों का निर्माण शामिल होता है। इसमें उद्यमों, सामान्य सरकार, और उत्पादक परिवारों का स्टॉक में परिवर्तन भी शामिल होता है।
8. **अचल पूँजी निर्माण**: अचल पूँजी निर्माण में उद्यमों व सामान्य सरकार के व्यय (क्रय और स्वलेखा उत्पादन) उत्पादक परिवारों द्वारा अपनी अचल परिसम्पत्तियों (नए टिकाऊ पदार्थों) में वृद्धि से पुरानी व रद्दी वस्तुओं की बिक्री को घटाकर, शामिल किया जाता है। सरकार द्वारा सैनिक उद्देश्यों से टिकाऊ वस्तुओं पर किया गया व्यय इससे बाहर रखा जाता है। भूमि के सुधार व विकास पर किया गया व्यय, इमारती लकड़ी क्षेत्र का विस्तार, बागानों, फलों के बगीचे आदि जो एक वर्ष से अधिक उत्पादक सेवा के योग्य होते हैं, चालू काम, निर्माण परियोजनाएँ, प्रजनन, पशुधन, दुग्ध पशु आदि, और भूमि के क्रय-विक्रय, खनिज भंडारों व लकड़ी क्षेत्र के क्रय-विक्रय पर हस्तान्तरण लागतें इसमें शामिल होती हैं। उपभोक्ता परिवारों द्वारा आवास-गृहों पर निर्माण व्यय भी इसमें शमिल होता है।
9. **स्व-लेखे पर अचल पूंजी निर्माण**: इमारतों का निर्माण (आरोपित मूल्य सहित), छोटे सिंचाई कार्य, सड़कों का निर्माण आदि व इसी प्रकार के अन्य कार्य और मशीनरी व उपकरण जिनका अनुमानित जीवनकाल एक वर्ष या अधिक होता है, तथा जो उद्योगों, सामान्य सरकार व परिवारों द्वारा स्वलेखा पर उत्पादित किए जाते हैं।
10. **परिवारों द्वारा पूँजी निर्माण**: उत्पादक परिवारों द्वारा नई पूँजी का अर्जन और स्टॉक में वृद्धि और उपभोक्ता परिवारों द्वारा नए आवास-गृहों का अर्जन। परिवार क्षेत्रक में, व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी गैर-सरकारी, गैर-निगमित उद्यम जैसे कृषि व गैर कृषि व्यापार, अनिगमित उद्यम जैसे एकल व्यापार, सांझेदारी व गैर-लाभकारी संस्थाएँ जैसे धर्मार्थ ट्रस्ट, धार्मिक संस्थान शैक्षणिक संस्थाएँ आदि शामिल रहते हैं।

11. **पूँजीगत वस्तुओं द्वारा अचल पूँजी-निर्माणः** इसके अंतर्गत निम्न प्रकार का सकल घरेलू पूंजी निर्माण शामिल रहता है–

   1. **नई परिसम्पतियाँ**
      अ. इमारतें
      ब सड़कें व पुल
      स. अन्य निर्माण व कार्य
      द. परिवहन उपकरण (परिवहन पशु सहित)
      इ. मशीनरी व अन्य उपस्कर, प्रजनन पशुधन, दुग्ध पशु आदि सहित।
   2. विदेशों से पुरानी भौतिक परिसम्पत्तियों के शुद्ध क्रय

12. **पूँजीगत हानिः** संस्थागत व अन्य इकाइयों की परिसम्पतियों के मूल्य में कमी जो बाजार में परिवर्तनों, खनिज भंडारों व अन्य संसाधनों में कमी, अदृश्य अप्रचलन, चोरी, बड़ी विध्वंसक व अन्य घटनाओं के कारण होती है। सिवाय परिसम्पत्तियों के सामान्य टूट-फूट, आकस्मिक हानि और अशोध्य ऋण (Bad Debts) के।

13. **पूँजीगत वस्तुएँ पदार्थ** : वे सभी वस्तुएँ जो भविष्य में उत्पादन-प्रक्रिया के लिए उत्पादित की जाती है-मशीनरी, उपकरण, संयंत्र, इमारतें व अन्य निर्माण तथा कार्य, कच्चे माल का स्टॉक, और उत्पादकों के पास अर्ध-निर्मित व निर्मित वस्तुएँ।

14. **पूँजीगत हस्तान्तरण** : अपुरस्कृत सकल पूँजी निर्माण के लिए वित्तीय करण, अन्य संचय या प्राप्तकर्ता के अन्य दीर्घकालीन व्यय जो दाता की सम्पत्ति या बचत से दिए जाते हैं, या जो इन सौदों में किसी भी पक्ष के लिए अनियमित होते हैं।

15. **अचल पूँजी का उपभोग (मूल्य ह्रास)** : पुर्नउत्पादनीय अचल परिसम्पत्तियों की वर्तमान प्रतिस्थापन लागत (सरकार द्वारा सड़कों, बांधों व अन्य निर्माण कार्यों के अलावा), जो एक लेखा अवधि में सामान्य टूट-फूट, दृश्य अप्रचलन, और आकस्मिक हानि की सामान्य दर प्रयोग में आती है।

16. **वस्तु-प्रवाह विधिः** वस्तु प्रवाह विधि, वस्तुओं की पूर्ति के अनुमानों से जो उत्पादकों के मूल्यों से प्रकट किए जाते हैं आरम्भ होती है, और क्रेताओं द्वारा भुगतान की गई कीमतों में प्रकट किए गए अनुमानों तक पहुँचती है जिसमें व्यापार परिवहन व्यय-अन्तर (Margins) व अन्य इसी प्रकार के व्यय जोड़े जाते हैं।

17. **कर्मचारियों का पारिश्रमिक** : उत्पादकों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए सभी भुगतान, वेतन व मजदूरी, नकद व किस्म रूप में, और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, निजी पेंशन, परिवार भत्ता, दुर्घटना बीमा व जीवन बीमा आदि योजनाओं के लिए किए गए नकद व आरोपित मूल्य में भुगतान।

18. **उपभोक्ता टिकाऊ पदार्थः** उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त सभी वस्तुएं जिनका अनुमानित जीवन काल एक साल से कहीं अधिक होता है जैसे मोटरगाड़ियाँ, रेफ्रिजरेटर, कपड़े धोने की मशीनें आदि। आवास-गृह इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं क्योंकि वे अचल परिसम्पत्तियाँ होती हैं।

19. **वर्तमान मरम्मत व रख-रखावः** वे व्यय जो अचल परिसम्पत्तियों की टूट-फूट व उनकी उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। इनमें उन अचल परिसम्पतियों के नए पुर्जों व उनको सही स्थिति में बनाए रखने पर किए गए व्यय भी शामिल किए जाते हैं, जिनके उपयोग का अनुमानित जीवन काल एक वर्ष या उससे कुछ अधिक होता है परन्तु जो अचल परिसम्पत्तियों की अपेक्षा कम समय तक ही रहते हैं और जिनका मूल्य अचल परिसम्पतियों की अपेक्षा कम होता है।

20. **प्रचलित हस्तान्तरण** : सौदे करने वालों के बीच आय का हस्तान्तरण भुगतान कर्ता की वर्तमान आय में से हस्तान्तरण और प्राप्तकर्ता की वर्तमान आय में जोड़े जाने वाले हस्तान्तरण जो उपभोग के उद्देश्य से लिए जाते हैं।

21. **प्रयोज्य आय** : सभी प्रचलित हस्तान्तरणों को भुगतान करने के बाद एक देश की सभी स्रोतों से प्राप्त आय। यह बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय में से सभी प्रचलित हस्तान्तरणों को निकालने के बाद शेष आय है।
22. **घरेलू उत्पादन** : यदि सभी घरेलू उत्पादकों लेखों को सम्मिलित किया जाए तो प्राप्त योग हमें एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किया गया उत्पादन बताएगा जिसे घरेलू उत्पादन कहते हैं।
23. **सकल घरेलू उत्पाद**: एक देश की घरेलू सीमा के अन्तर्गत सकल उत्पादन मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग मूल्य को घटा कर प्राप्त किया जाता है। यह निजी अन्तिम उपभोग पर सकल व्यय सरकारी अन्तिम उपभोग व्यय, सकल पूँजी निर्माण (घरेलू), वस्तुओं व सेवाओं के निर्माण मूल्य में से वस्तुओं व सेवाओं के आयात मूल्य को घटा कर योग के बराबर भी होता है। यह कर्मचारियों के पारिश्रमिक, स्व-नियोजितों के मिश्रित आय, प्रचालन-अधिशेष, मूल्य-ह्रास (स्थायी पूँजी की खपत) शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के योग के बराबर भी होता है।
24. **शुद्ध घरेलू उत्पाद** : सकल घरेलू उत्पाद *घटाएँ* मूल्य-ह्रास (अचल पूँजी का उपभोग)
25. **घरेलू उत्पाद और व्यय लेखा**: एक देश का प्रमाणित समेकित (Consolidated) उत्पादन, उपभोग, व्यय और पूंजी निर्माण लेखा।
26. **घरेलू सीमा**: एक देश की भू-भागीय समुद्र सहित राजनैतिक सीमाओं के साथ (उसके समुद्र पार की सीमाओं व अधिकारों को छोड़कर) घरेलू सीमा के अंतर्गत 1.दो या दो से अधिक देशों के बीच, देश के निवासियों द्वारा पूर्ण रूप या आंशिक रूप से चलाए गए जलयान और वायुयान 2. मछली पकड़ने के जहाज, तेल व प्राकृतिक गैस के लिए संयंत्र, और फ्लोटिंग (Floating) प्लेटफार्म, जो पूर्ण रूप से देश के निवासियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र में चलाए जाते हैं या उन क्षेत्रों में दोहन कार्य में लगे हुए हैं जहाँ देश को अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों या अधिकथनों के अन्तर्गत दोहन कार्य के सर्वाधिकार प्राप्त हैं और 3. विदेशों में स्थित देश के दूतावास, वाणिज्य-दूतावास और सैनिक प्रतिष्ठान।
27. **उद्यम**: संस्थागत वर्गीकरण में अंतिम इकाई।
28. **देश के निवासी उद्यम** : एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादन कार्य या सौदों में व्यस्त इकाइयाँ।
29. **निगमित उद्यम**: निगम, संयुक्त पूँजी कम्पनियाँ, सहकारिताएँ, सीमित दायित्व साझेदारी, और अन्य वित्तीय व गैर वित्तीय संस्थाएँ जो कानून प्रशासनिक अधिनियमों व रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत अपने मालिकों से पृथक अपना अस्तित्व रखती हैं।
30. **वित्तीय उद्यम** : उद्यम जो मुख्य रूप से बाजार में वित्तीय सौदों में व्यस्त हैं जिनमें देनदारियों का दायित्व व वित्तीय परिसम्पत्तियों का अर्जन शामिल है।
31. **गैर-वित्तीय उद्यम**: उद्यम जो वित्तीय व बीमा संबंधी सेवाएँ प्रदान करने के अलावा अन्य क्रियाओं में व्यस्त हैं।
32. **निजी उद्यम**: उद्यम,जिनमें निजी व्यक्ति समस्त या एक बड़े भाग में शेयरों पर स्वामित्व रखते हैं और अन्य पूँजी या इक्वीटी पर स्वामित्व रखते हैं और जिन्हें निजी व्यक्ति नियंत्रित करते हैं।
33. **सार्वजनिक उद्यम**: विभागीय व गैर-विभागीय उद्यम।
34. **सार्वजनिक विभागीय उद्यम**: उद्यम, जिनका स्वामित्व व नियंत्रण सार्वजनिक प्राधिकारियों (Authority) के हाथ में होता है, जो मुख्य रूप से उन वस्तुओं व सेवाओं को प्रदान करते हैं जिनका उत्पादन बहुधा व्यायसायिक उद्यमों द्वारा किया जाता है परन्तु जो वित्तीय दायित्व या परिसम्पत्तियाँ नहीं रखते सिवाय अपने कार्यशील बैलेन्स व व्यावसायिक लेखों के।
35. **गैर-विभागीय उद्यम**: सरकारी कम्पनियाँ या निगम जो पूर्ण रूप या मुख्य रूप से सार्वजनिक प्राधिकारियों के अधिकार या नियंत्रण में होते हैं.
36. **साधन आय**: कर्मचारियों का पारिश्रमिक, स्व-नियोजितों की मिश्रित आय और उत्पादकों का प्रचालन-अधिशेष।

37. **सरकारी अंतिम उपभोग व्यय:** सरकारी प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया प्रचलित व्यय जिसमें से विक्रय मूल्य घटा दिया जाता है।

38. **परिवारों का अंतिम उपभोग व्यय :** निवासी परिवारों द्वारा नई टिकाऊ व गैर-टिकाऊ वस्तुओं व सेवाओं पर किए गए व्यय में से उनकी पुरानी, बेकार व रद्दी वस्तुओं की बिक्री को घटाकर किया गया व्यय। इसमें स्व-लेखा उत्पादन की वस्तुएँ व सेवाएँ भी शामिल की जाती हैं।

39. **परिवारों का अँतिम उपभोग व्यय, घरेलू बाजार में:** एक देश की घरेलू सीमा के अन्तर्गत निवासी परिवारों और गैर-निवासी परिवारों द्वारा नई वस्तुओं और सेवाओं पर (स्वलेखा उत्पादन की वस्तुओं, सेवाओं सहित) किए गए व्यय में से उनके द्वारा पुरानी, रद्दी व बेकार वस्तुओं के विक्रय मूल्य को घटाकर किया गया व्यय।

40. **निजी अँतिम उपभोग व्यय:** परिवारों व गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा वर्तमान वस्तुओं व सेवाओं पर किया गया अंतिम व्यय *घटाएँ,* पुरानी वस्तुओं, रद्दी व बेकार वस्तुओं का विक्रय मूल्य *जोड़ें* शेष-विश्व से किस्म के रूप में प्राप्त उपहारों का मूल्य। इसमें गैर-निवासी परिवार का घरेलू बाजार में किया गया अंतिम उपभोग व्यय शामिल नहीं किया जाता। लेकिन देश के निवासी परिवारों द्वारा विदेशों में किया गया अंतिम उपभोग व्यय शामिल होता है।

41. **वस्तुओं व सेवाओं का अंतिम उपभोग:** वस्तुओं व सेवाओं का अंतिम उपभोग व्यय के लिए निपटान (Disposition) सकल पूँजी निर्माण, स्टॉक व निर्यातों में वृद्धि।

42. **सरकारी प्रशासनिक विभाग:** सभी सरकारी विभाग, कार्यालय और अन्य संस्थाएं जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों के प्रशासन कार्य और प्रतिरक्षा कानून तथा व्यवस्था में व्यस्त हैं।

43. **सामान्य सरकार:** सभी विभाग, कार्यालय संगठन और अन्य संस्थाएँ जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों की एजेन्सियाँ या उपकरण हैं। इसके अन्तर्गत सरकारी उद्यम मुख्य रूप से सरकार के स्वयं के लिए वस्तुओं व सेवाओं का उत्पदान करते हैं या जनसाधारण को लघु स्तर पर वस्तुएँ व सेवाएँ बेचते हैं, शामिल किए जाते हैं।

44. **आय विधि:** सकल घरेलू उत्पाद का मापन करने के लिए आय विधि के अभिप्राय है उत्पादन से अर्जित साधन आय का योग अर्थात् मूल्य-ह्रास की व्यवस्था, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, स्व-नियोजितों की मिश्रित आय, प्रचालन-अधिशेष और अप्रत्यक्ष करों का आर्थिक सहायता पर आधिक्य।

45. **सम्पत्ति से आय:** वास्तविक और आरोपित आय का हस्तान्तरण जो वित्तीय परिसम्पत्तियों, कृषि व अन्य भूमि, पेटेन्ट्स, कॉपीराइट, रियायत व इसी प्रकार के अगोचर परिसम्पत्तियों के स्वामित्व से अर्जित की जाती हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र को छोड़कर सभी उद्यमों व इमारतों से शुद्ध किराया भी शामिल रहता है।

46. **निजी आय:** साधन आय और निजी क्षेत्र को सभी स्रोतों से अर्जित हस्तान्तरण इसमें सार्वजनिक प्राधिकरणों से व शेष-विश्व से हस्तान्तरण भी शामिल रहते हैं।

47. **उद्योगों का मध्यवर्ती उपभोग:** उत्पादन में उपयोग की गई गैर-टिकाऊ वस्तुएँ व सेवाएँ पूँजीगत स्टॉक की मरम्मत व रख-रखाव अनुसंधान विकास और प्रत्याशा, पूँजी निर्माण के वित्तीयकरण पर व्यय जैसे ऋणों की प्राप्ति पर व्यय, भूमि अगोचर परिसम्पत्तियों व वित्तीय परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर व्यय शामिल रहते हैं। मूल्य-ह्रास इसमें शामिल नहीं किया जाता है।

48. **सामान्य सरकार का मध्यवर्ती उपभोग:** वर्तमान लेखे पर नई वस्तुओं व सेवाओं का अधिग्रहण (किस्म रूप में क्रय व हस्तान्तरण), इसमें से इसी प्रकार की पुरानी रद्दी व बेकार वस्तुओं के लिए शुद्ध विक्रय मूल्य को, सैनिक उद्देश्यों के लिए प्राप्त टिकाऊ वस्तुओं के मूल्य सहित, घटा दिया जाता है।
49. **राष्ट्रीय आय सकल व शुद्ध:** कर्मचारियों के पारिश्रमिक और सम्पत्ति व उद्यम कृति से प्राप्त आय का योग अर्थात् वितरित साधन आय, देश की राष्ट्रीय आय का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें मूल्य-ह्रास जोड़ने से यह सकल बन जाती है। पारिभाषिक रूप से यह साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद (सकल या शुद्ध) के बराबर होती है।
50. **स्व-नियोजितों की मिश्रित आय:** स्वलेखा श्रमिकों की आय और अनिगमित उद्यमों के लाभ और लाभांश
51. **सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर :** मूल्य-ह्रास घटाने से पहले उत्पाद का साधन लागत मूल्य, जो देश के सामान्य निवासियों द्वारा दिए गए साधनों से सम्बन्धित है, यह सकल घरेलू उत्पाद का साधन लागत मूल्य और विदेशों से शुद्ध साधन आय का जोड़ है।
52. **राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर (शुद्ध):** मूल्य-ह्रास घटाने के बाद उतपाद का साधन लागत मूल्य, जो देश के सामान्य निवासियों द्वारा दिये गये साधनों से सम्बन्धित है।
53. **राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर:** राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर + अप्रत्यक्ष कर -आर्थिक सहायता।
54. **विदेशों से शुद्ध साधन आय:** देश के सामान्य निवासियों द्वारा शेष-विश्व को प्रदान की गई साधन सेवाओं से संबंधित आय *घटाएँ* शेष-विश्व द्वारा उन्हें प्रदान की गई सेवाओं की आय। में व्यक्ति व संस्थाएँ दोनों शामिल हैं। विदेश जाने वाले पर्यटक और व्यावसायिक यात्री सामान्य निवासियों की तरह माने जाते हैं। एक देश के राजनयिक अधिकारी और वाणिज्य-प्रतिनिधि, सरकारी दूतमंडल के सदस्यों और सशस्त्र सेवाओं के सदस्यों सहित जो विदेशों में स्थित हैं, उस देश के द्वारा जहाँ वे स्थित हैं, अन्य देशीय माने जाने चाहिए और जिस देश से वे संबंधित हैं, उस देश के निवासी माने जाने चाहिए। ऐसे निवासियों द्वारा उत्पादित साधन आय निवासी देश का घरेलू उत्पाद है। विदेशी राजनयिक या सैनिक प्रतिष्ठानों द्वारा स्थानीय भर्ती किए गए कर्मचारियों की साधन आय विदेशों से शुद्ध साधन आय में शामिल की जाती है।
55. **प्रचालन-अधिशेष :** सकल उत्पाद मूल्य–मध्यवर्ती उपभोग का योग + कर्मचारियों का पारिश्रमिक (स्व-नियोजितों की मजदूरी आय सहित) + मूल्य-ह्रास + (अप्रत्यक्षकर-आर्थिक सहायता)
56. **स्टॉक में परिवर्तन:** वर्ष के आरम्भ में कच्चे माल के स्टॉक की बाजार कीमतों, चालू कार्य (निर्माण कार्य को छोड़कर), बूचड़खाने के लिए पशुधन और उद्योगों द्वारा निर्मित माल, सामरिक सामग्री और सरकार द्वारा धारित आवश्यक पदार्थों की बाजार कीमतों और इन सबकी वर्ष के अन्त में बाजार कीमतों का अन्तर है।
57. **आर्थिक सहायता :** सरकार द्वारा वर्तमान लेखे पर दिए गए सभी अनुदान जो उद्योगों और सार्वजनिक निगमों को दिए जाते हैं और सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सरकारी उद्यमों को उनकी हानि पूर्ति के लिए दिए गए अनुदान जब ये हानि सरकार द्वारा कीमतों को उत्पादन लागतों से कम की नीति का परिणाम हो।

उत्तरमाला

अभ्यास 1.1

1	1970-71	1980-81	1984-85
प्रचलित मूल्यों पर	1300	1750	3050
स्थिर मूल्यों पर	1300	1750	1750

2	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81
प्रतिव्यक्ति आय	400	500	600	700

4. (अ) हाँ (ब) नहीं (स) नहीं (द) हाँ (इ) हाँ (ई) हाँ
5. (अ) नहीं (ब) नहीं (स) हाँ (द) नहीं
6. (1) स्टॉक (2) प्रवाह (3) स्टॉक (4) स्टॉक (5) प्रवाह (6) स्टॉक (7) स्टॉक (8) प्रवाह (9) प्रवाह (10) स्टॉक (11) प्रवाह (12) स्टॉक (13) प्रवाह (14) प्रवाह
7. 2000 लिटर प्रतिदिन
8. खुली अर्थव्यवस्था · (1) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (2) उधार देना व लेना (3) विदेशों में कार्यरत तकनीशियन

अभ्यास 1.2

1. स 2. अ 3. ब 4. अ 5. स 6. स 7. द 8. स 9. अ 10. ब 11. ब 12. स 13. ब 14. स 15. स

अभ्यास 1.3

1. सत्य 2. असत्य 3. असत्य 4. सत्य 5. सत्य 6. असत्य 7. सत्य 8. सत्य 9. असत्य 10. सत्य 11. सत्य 12. असत्य 13. सत्य 14. असत्य 15. सत्य 16. असत्य 17. सत्य 18. सत्य 19. सत्य 20. असत्य।

अभ्यास 1.4

1. सामान्य निवासी 2. गैर-निवासी 3. भारत के सामान्य निवासी 4. प्रवाह 5. एक निश्चित समय बिन्दु पर 6. उत्पादन 7. उपभोग 8. प्रवाह 9. सरल करने के लिये मान्यता 10. पूँजी निर्माण 11. पूँजी निर्माण 12. उपभोग नहीं 13. उत्पादन 14. लागतों का भार उठाया जाता है 15. क्रय किए जाते हैं।

अभ्यास 2.2

1. स 2. ब 3. स 4. अ 5. स 6. द 7. द

अभ्यास 2.3

सत्य 2. असत्य 3. असत्य 4. असत्य 5. असत्य 6. असत्य 7. असत्य
असत्य 9. असत्य 10. असत्य

अभ्यास 2.4

. परिवार 2. सरकारी क्षेत्रक 3. मुख्य समस्या 4. सार्वजनिक आवश्यकताएँ 5. उत्पादन लागत

अभ्यास 3.2

1. (1) 900 (2) 700 (3) 650 (4) 600
2. (1) 1800 (2) 1100 (3) 900 (4) 800
3. 2700 4. 800 5.(1500)

अभ्यास 3.3

1. स 2. स 3. द 4. अ 5. ब 6. अ 7. स 8. ब 9. ब 10. अ 11. द 12. ब 13. अ
14. अ 15. अ 16. द 17. स 18. अ 19. ब 20. अ 21. ब 22. अ

अभ्यास 3.4

1. 1. मध्यवर्ती वस्तु 2. उपभोक्ता वस्तु 3. पूँजीगत वस्तु 4. पूँजीगत वस्तु 5. उपभोक्ता वस्तु
   6. उपभोक्ता सेवा 7. मध्यवर्ती वस्तु 8. उपभोक्ता सेवा
2. 1. टिकाऊ 2. अर्ध-टिकाऊ 3. गैर-टिकाऊ 4. सेवा 5. सेवा 6. गैर-टिकाऊ 7. अर्ध-टिकाऊ
   8. अर्ध-टिकाऊ
3. 1. स्थायी पूँजी निर्माण 2. स्टॉक में परिवर्तन 3. स्थायी पूँजी निर्माण 4. स्थायी पूँजी निर्माण 5. स्थायी पूँजी निर्माण 6. स्टॉक में परिवर्तन 7. स्थायी पूँजी निर्माण
4. 1. मध्यवर्ती उपभोग 2. अंतिम उपभोग 3. अंतिम उपभोग 4. मध्यवर्ती उपभोग 5. मध्यवर्ती उपभोग
   6. मध्यवर्ती उपभोग 7.अंतिम उपभोग .

अभ्यास 3.5

1. मध्यवर्ती उपभोग 2. साधन लागत 3. उपभोग व्यय 4. उत्पादन 5. अंतिम उपभोग व्यय 6. अंतिम उपभोग व्यय 7. पूँजीगत पदार्थ 8. पूँजी निर्माण 9. पूँजी निर्माण 10. पूँजी निर्माण 11. पूँजी निर्माण 12. पूँजी निर्माण 13. भौतिक परिसम्पत्तियों के स्वामित्व में परिवर्तन 14. स्टॉक 15. प्रचलित प्रतिस्थापन लागत 16. लाभ 17. शुद्ध मूल्य वृद्धि 18. साधन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि 19. केवल कर्मचारियों का पारिश्रमिक 20. सरकारी क्षेत्र

अभ्यास 4.2

1. स 2. स 3. अ 4. अ 5. स 6. ब 7. अ 8. ब 9. अ 10. ब 11. ब 12. स 13. स 14. अ 15. ब 16. अ 17. ब 18. ब

अभ्यास 4.3

1. (1), (3), (6) और (8)
2. (1), (8), (9), (10)
3. (1) साधन आय (2) हस्तान्तरण भुगतान (3) हस्तान्तरण भुगतान (4) साधन आय (5) साधन आय (6) हस्तान्तरण भुगतान (7) हस्तान्तरण भुगतान (8) हस्तान्तरण भुगतान (9) साधन आय (10) साधन आय (11) हस्तान्तरण भुगतान (12) साधन आय (13) हस्तान्तरण भुगतान

अभ्यास 4.4

1. कर्मचारियों का पारिश्रमिक 2. मध्यवर्ती उपभोग 3. कर्मचारियों का पारिश्रमिक 4. सम्पत्ति आय 5. प्रचालन अधिशेष 6. सम्पत्ति आय 7. सामान्य सरकार 8. भारत की घरेलू आय 9. प्रचलित हस्तान्तरण 10. पूँजीगत हस्तान्तरण 11. हस्तान्तरण भुगतान 12. पूँजीगत हस्तान्तरण 13. पूँजीगत हस्तान्तरण 14. प्रचलित हस्तान्तरण 15. हस्तान्तरण आय 16. भूतकालीन बचतें 17. सरकार द्वारा प्रतिधारित 18. उसके द्वारा प्रतिधारित 19. (सम्मिलित नहीं होती है) 20. वैयक्तिक प्रयोज्य आय

अभ्यास 4.5

			1979-80	*1980-81*	*1981-82*
1. 1.	बाजार कीमत पर	जी.एन.पी.	1,07,315	1,27,787	1,48,671
2.	बाजार कीमत पर	एन.एन.पी.	1,00,690	1,19,739	1,38,920
3.	बाजार कीमत पर	एन.डी.पी.	1,00,537	1,19,441	1,38,927
4.	साधन लागत पर	एन.डी.पी.	88,355	1,05,536	1,21,996
5.	निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से उपार्जित आय		86,028	1,03,231	1,18,378
6.	निजी आय		91,205	11,011	1,25,745
7.	वैयक्तिक आय		88,823	1,07,650	1,22,566
8.	वैयक्तिक प्रयोज्य आय		86,546	1,05,150	1,19,694

अभ्यास 5.2

1. 530 2. 400 3. 850 4. 1300 5. 1550 6. 110 7. 120 8. 700

अभ्यास 5.3

1. आय विधि		व्यय विधि	
1. कर्मचारियों का पारिश्रमिक	13,363	1. सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	3,801
2. ब्याज, किराया और लाभ	5,044	2. निजी अंतिम उपभोग व्यय	29,163
3. स्वनियोजितों की मिश्रित आय	16,112	3. सकाल पूँजी निर्माण	6,305
4. मूल्य-ह्रास अचल स्थायी पूँजी की खपत)	2,217	4. स्टॉक में परिवर्तन	1,039
5. अप्रत्यक्ष कर	3,864	5. वस्तुओं व सेवाओं का निर्यात	1,771
6. घटाएँ आर्थिक सहायता	337	6. घटाएँ वस्तुओं व सेवाओं का आयात	1,816
7. बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद	40,263	7. बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर व्यय	40,263

2. आय विधि		व्यय विधि	
1. कर्मचारियों का पारिश्रमिक	24,420	1. सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	7,351
2. ब्याज, किराया और लाभ	9,637	2. निजी अंतिम उपभोग व्यय	51,177
3. स्वनियोजितों की मिश्रित आय	28,267	3. सकल स्थायी पूँजी निर्माण	13,248
4. मूल्य-ह्रास (अचल स्थायी पूँजी की खपत)	4,046	4. स्टॉक में परिवर्तन	3,170
5. अप्रत्यक्ष कर	8,834	5. वस्तुओं व सेवाओं का निर्यात	4,812
6. घटाएँ आर्थिक सहायता	1,120	6. वस्तुओं व सेवाओं का आयात	5.664
7. बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद	74,084	7. बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर व्यय	74,084
8. घटाएँ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर	7,714	8. घटाएँ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर	7,714
9. सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर	66,370	9. सकल घरेलू उत्पाद पर व्यय साधन	66,370
10. घटाएँ मूल्य ह्रास	4,046	10. घटाएँ मूल्य ह्रास	4,046
11. साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद	62,324	11. शुद्ध घरेलू उत्पाद पर व्यय	62,324
12. जोड़े विदेशों से शुद्ध साधन आय	-255	12. जोड़े विदेशों से शुद्ध साधन आय	-255
13. राष्ट्रीय आय	62,029	13. राष्ट्रीय आय	62,069

अभ्यास 5.4

1. भाग नहीं है 2. भाग नहीं है 3. सकल पूँजी निर्माण
4. बाजार कीमतें 5. सकल पूँजी निर्माण

अभ्यास 6.1

5. अ मध्यवर्ती उपभोग ब. मध्यवर्ती उपभोग स. साधन भुगतान द. पूँजी निर्माण इ. साधन भुगतान
6. अ. साधन आय ब. साधन आय स. हस्तान्तरण प्राप्तियाँ द. हस्तान्तरण प्राप्तियाँ
7. अ. साधन लागतें ब. मध्यवर्ती उपभोग स. मध्यवर्ती उपभोग द. हस्तान्तरण भुगतान

अभ्यास 6.2

5. प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर

	स्थिर कीमतों पर	*प्रचलित कीमतों पर*
1955-56	530.6	247.1
1960-61	585.8	322.6
1970-71	673.8	673.8
1980-81	745.3	1677.2

2. साधन लागत पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद

	स्थिर कीमतों पर	*प्रचलित कीमतों पर*
1955-56	507.7	235.7
1960-61	558.8	305.6
1970-71	632.8	632.8
1980-81	696.8	1558.7